Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 7-11

The World of the Absurd Characters in the Plays of Pinter

Dr. Mercy George*

Harold Pinter often maintained silence on the information about characters. Pinter's writing process is one of 'finding out' about his characters by following how they proceed from his initial image of them. Pinter is an acute observer of human behaviour and is well aware that the individual psyche is very complex and does not always operate according to reason. Pinter's approach to characterisation may be found in the list of characters given in the beginning of the text. Age and sex of the character is only mentioned, nothing more. The information of the characters lies at the heart of the plays. The unfolding drama of each play is an ongoing process of exploring how the characters relate to each other, and what the true extent of an actual relationship is.

Pinter's characters just talk. One can take little they say at face value. Pinter's characters may contradict themselves; they may have more than one name; what they say is open to several interpretations. To say that they fail to communicate is only partly true. More often they refuse to communicate. Fearing to expose or reveal themselves, they use words as 'a violent, sly, anguished smokescreen which keeps the other in its place. Pinter calls this smoke screen 'A stratagem of nakedness.'

…I am interested primarily in people: I want to present living people to the audience, worthy of their interest basically because they are, they exist, not because of any moral the author may draw from them …I want as far as possible to leave comment to the audience; let them decide whether the characters and situations are funny or sad.[1]

Harold Pinter often maintained silence on the information about characters. For some time he was criticized for deliberate obscurity, in offering contradictory information about characters or no information at all. Many playwrights provide an exposition early on, which informs audience about the characters and about their dramatic function. Pinter doesn't do this. His approach to 'character' has a different starting point.

Pinter's writing process is one of 'finding out' about his characters by following how they proceed from his initial image of them. Bill Naismith points out: "There is a psychologic to how characters speak and behave in Pinter, but not everything is explained in an obvious way."[2] Pinter is an acute observer of human behaviour and is well aware that the individual psyche is very complex and does not always operate according to reason. Pinter stands aloof from the insistent expository devices in order to chalk out the details about characters and incidents, which may serve as clues for the audience to get at the message of the play. As Pinter himself says:

Finding the characters and letting them

* *Asstt Prof.(English), Govt V Y T P G Autonomous College, Durg (C.G.)*

speak for themselves is the great excitement of writing. I would never distort the consistency of a character by a kind of hoarding in which I say, 'By the way, these characters are doing this because of such and such.' I find out what they are doing, allow them to do it, and keep out of it. Then it is up to the audience to decide how much is Truth and how much is lies.[3]

Pinter maintains his detachment. He presents the audience with implied and insinuated clues and withdraws. It is left for the audience to draw their own inference.

Pinter's approach to characterisation may be found in the list of characters given in the beginning of the text. Age and sex of the character is only mentioned, nothing more. The information of the characters lies at the heart of the plays. The unfolding drama of each play is an ongoing process of exploring how the characters relate to each other, and what the true extent of an actual relationship is.

Pinter does not give lengthy or detailed physical descriptions of his characters. The audience see them purely as they make their appearance on the stage, with very little information being given about their past history. In this Pinter makes a departure from the standard conventions of drama. Another characteristic is the choice of characters who do not speak fluently and with intelligence. Instead, they are often incoherent. The characters have no superhuman or extraordinary abilities. They inhabit a world which is recognizably real. When they speak, they do it in ordinary colloquial language. According to Pinter,"My situations and characters aren't always explicit. Well, I don't see life as being very explicit. Our personalities are too complex to be cut and dried and labeled."[4]

The real motives of other people are not known to us. Even our own motives are pretty obscure. Pinter does not believe that a dramatist can know his characters, for people can hardly be precisely known in our living and moving life. On the contrary, he holds that what life offers to us is fragmented, mysterious and suggestive.

In Pinter's theatre menace is evoked through the indefinable nature of the characters and their maneuvers. The behaviour of the character, their defensive tactics and how they react physically and verbally when confronted with a vital challenge holds the attention of the audience.

For Pinter, the past is a continuous mystery, a place where both good and bad experiences can be remembered, more or less vaguely. This leaves one in the present in a state of insecurity. Naismith observes, "Personal insecurity leads many of Pinter's characters to devious evasions, linguistic strategies to protect themselves or language games."[5] The characters in the Pinterian play do not wish to be known. They rarely offer a convincing explanation of themselves. "His characters have conflict with each other, but they have conflict with themselves and that's what's really exciting,"[6] said Lia Williams who played the roles of Mrs. Sands and Suki respectively in the 2000 New York Pinter Festival double bill of The Room and Celebration and the part of Ruth in the 2001 revival of The Homecoming.

Pinter's characters do not inform anything. His characters can neither say what they know, nor know what they say. Neither they nor the audience can trust words. What Mick speaks for Davies in *The Caretaker* applies to all his characters: "I can take nothing you say at face value. Every word you speak is open to any number of different interpretations" (Caretaker, 71). His characters use words which refer only to the partly known.

When Pinter's characters try to explain themselves, they fail to clarify. Pinter knows that life is far from being neat, tidy and carefully groomed. Paul Rogers, who first played Max in The Homecoming, says, "The wonderful thing about Pinter is that he really writes about people. And the extra ordinary way in which ordinary people's minds work. Ordinary people don't behave like people in a well-made play, where

you follow one line of direction."[7] Life is a mess. The world is completely irrational and gratuitous. Pinter's characters are unmotivated and vague. Their actions are largely incomprehensible, mysterious and unpredictable. Their verbal idiom registers the frivolity and fraility of their existence.

Unreliability of memory is a major theme of Pinter's plays. It is one reason for the difficulty of verifying what a character says. In 1962, Pinter spoke of the immense difficulty, if not the impossibility, of verifying the past. I don't mean merely years ago, but yesterday, this morning.... A moment is sucked away and distorted, often even at the time of its birth. 'If people share a common ground,' it's more like quicksand.' For they interpret experience differently. As in life, Pinter's characters either cannot remember, are uncertain of the accuracy of their memory, or recognise that what ever they recall is true mainly for the present, however false it may be for the past. While their memories are unverifiable guides to the past, they create dramatic present that affects others and that audiences verify before their eyes.

What people are and whether one can truly perceive their essence are issues in several of Pinter's plays. When his characters attempt to explain themselves they fail to clarify. The more detail they employ, the less convincing they become. Each piece of information about background and motivation proves to be partial information and raises new issues. The problem is not that one questions their reality but that one fails to understand them - a failure that is the dramatic point. Pinter objects to 'the causes of drama' and asks, 'What reason have we to suppose that life is so neat and tidy.' Like people, he, points out, his characters are usually 'inexpressive, giving little away, unreliable, elusive, evasive, obstructive, unwilling. Not only does this reversal create greater realism, but also it provides direct impact upon spectators and readers who are in the position of the characters.

Pinter's characters just talk. One can take little they say at face value. Pinter's characters may contradict themselves; they may have more than one name; what they say is open to several interpretations. To say that they fail to communicate is only partly true. More often they refuse to communicate. Fearing to expose or reveal themselves, they use words as 'a violent, sly, anguished smokescreen which keeps the other in its place. Pinter calls this smoke screen 'a stratagem of nakedness.'

There is no future for the characters of Pinter. In play after play, the curtain comes down on a terrible state of states in which the only possible development for the individuals concerned is, at best, continued stagnation, at worst, putrefaction. This is not a matter of accident. The characters frequently refer to the future. Yet the future which they imagine is quite clearly beyond their grasp. Their visions are perpetually betrayed by their actions - and their actions, as the audience come to realize, are conditioned by their history. This steady elimination of the future by the slow revelation of old times is the most distinctive mark of Pinter's dramatic technique. Its most interesting aspect is the way in which he subtly corrupts his audience into abandoning all hope for the characters.

The menacing atmosphere of the plays is a product of the way in which the spectator is left prey to the pity and terror naturally associated with an unexpected visit to the inhabitants of inferno.

Characters on the traditional stage use dialogue as a definite theatrical strategy for pushing the action forward. They reveal their true selves in the monologues which reveal to the audience what is inside them. Pinter's characters can hardly be trusted whether they are talking to others or to themselves. There is no soliloquy or aside.

Characters created by Pinter are never cardboard ones. They have their own dimension to move about and grow entirely out of the words they exchange. By means of his stage language the playwright builds those characters, who, as Pirandello's character Father finds in *Six Characters in Search of an Author*, "Springs into life

up here on the stage face to face with each other."[8]

Pinter has an acute concern for the visualisation of characters, to be achieved mainly through the spoken interactions aided by gesture and movement. What Pinter is interested in, does not lie in the mere factual details about men and women around us; he rather concerns himself with the cosmic or universal truth that cuts in the human condition in any time-oriented sequence in our life in this world. His characters remind of Pirandello's views that, when the actors come on stage "they must not be actors any longer, they must be the characters in the play they are acting. That way they will have a reality in their own right that is absolute not relative: it won't be the false Truth of the stage, but the positive undeniable truth of life."[9]

As a playwright Pinter never assumes the roles of an omniscient narrator of events, or of a reformist, propagandist, or even of a psychoanalyst. His characters are neither conceptualized, nor pre-conceived. He say's: "I don't know what kind of characters my plays will have …well, until they are. Until they indicate to me what they are."[10]

Rose in *The Room* is a woman of sixty is tormented by dark forebodings and existential fears. The woman is completely devoted and absorbed in attending in the man. Bert just sits there, reads the newspaper, and allows himself to be fed and looked after. She chatters incessantly perhaps to hide her fears or to show her importance. She frequently harps on the room's warmth and seclusion as against the dark and cold outside. And the dank and cold basement preoccupies her. Rose's entombed withdrawal is, in fact, subject to endless interruption.

There is uncertainty about Rose's past; her antecedent mystery shrouds her dual response of repulsion and attraction towards Riley. Past is invoked, and sometimes recreated to suit the present need. Irrationality is prevented from being senseless and meaningless by the characters consistent attempt to counter it with illusions of rationality and order. The characters try to impose a mental construct on the shapeless and formless chaos that seems all set to engulf them.

Rose is talkative and appears possessive, and even demonstrates her concern for her husband Bert. Conversation for her is a kind of escape from loneliness and a kind of illusion. It is "a constant stratagem to cover nakedness" for her.[11] As long as she keeps a conversation going, she is active in a structured situation which gives her a temporary role, a confirmation of identity and an escape from the terror of unstructured isolation. Bert's indifference may be one of the reasons for her feeling of insecurity. She treats her husband as a baby and she is very much attached to the room. She talks of the warmth and is quite happy in her room. But security of her identity inside her room proves to be an illusion when a succession of intruders barge in.

Kidd, the first one, claims the ownership of the chairs, Mr. And Mrs. Sands claim for the room and finally the third intruder, Riley, claims her. This is a gradual, insidious and sinister move to invade her territory and her own self. Rose can no longer hold her fortress of illusion and succumbs to 'implosion'.

Mr. Kidd, the elderly man, whom Rose treats as the landlord, does not even know the number of floors in the house. "To tell you the truth," he confesses, "I don't count them now" *(Room, 92)*. The ostensible landlord seems hilariously vague about his present, his past, his place of abode and even his origins. He says about his mum, "I think my mum was a Jewess. Yes, I wouldn't be surprised to learn that she was a Jewess."*(Room, 93)* Rose tries to question Kidd about the tenants down in the basement floor, but he does not answer her questions, perhaps because he is deaf or perhaps for some other, sinister reason. Kidd talks communicates nothing, thereby confusing the audience and creating an atmosphere of menace. When Kidd comes for the second time

and informs Rose about someone waiting for her in the basement, she ignores the information but goes on talking about two people who told her that her room was vacant.

Bert is a van driver. Bert sits unnervingly silent at a table reading a magazine as the play opens while Rose chatters incessantly. Bert's silence arouses one's curiosity. He breaks his silence when he makes his second entry on the stage. This time he channelises his emotion to his vehicle, which he treats as his mistress. He indulges in it to make good his own sense of inadequacy, but his passion is aroused when he finds Riley getting close to Rose. In a mood of despair he furiously attacks Riley without asking him anything. Bert represents the typical Pinter man who is "haunted by a sense of insignificance, and tries to counter it by imposing his authority on other vulnerable characters or by fantasizing his own sense of importance."[12]

Riley the blind Negro, wants to take Rose back for reasons not known. Riley's desperate pleading with Rose to go back home with him indicates his helpless dependence on her. Rose, the supposed victim becomes the victimizer. Rose could be having a shady past; Riley could be the agent of the organization, of the dark unconscious force, or of fate, which dogs the fugitive Rose. The transference of blindness from Riley to Rose suggests that the intruder is less of a human being and more of a subversive dark force.

The blind Negro has been lying in the basement for days and has brought a message for Rose from her past. He has been lying down below and had foreknowledge of the future, that room number seven would soon become vacant. The Negro must therefore be a being from beyond this world; he may be a dead man or a messenger of death, perhaps Rose's own dead father. His blackness and his blindness reinforce these allegorical implications.

Works Cited :

1. Harold Pinter in his interview to ***The Times 'Avant - Garde Playwright and Intimate Revue', The Times,*** 16 November 1959 included in Batty 103.
2. Bill Naismith, ***Harold Pinter: The Birthday Party, The Caretaker, The Homecoming*** (London: Faber and Faber, 1996) 8.
3. Harold Pinter in his interview to ***Saturday Review,*** 8 April 1967 included in Mark Batty 121.
4. Harold Pinter, interview with Philip Purser ***News Chronicle***, 28 July 1960 included in Mark Batty, 106.
5. Naismith 8.
6. Lia Williams, interview with Michael Billington 27 April 2001, included in Mark Batty 201.
7. Paul Rogers qtd. in Naismith, 8.
8. Robert Rietty, et al, trans., ***Pirandello: Three Plays*** (London: Methuen, 1988) 79.
9. Dario Niccodemi, qtd. Susan Basnett-Maguire in ***Pirandello*** (London: Methuen, 1981) xi.
10. Arthur Ganz, ed., ***Pinter: A Collection of Critical Essays*** (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1972) 25.
11. Pinter, "Writing for the Theatre," xii. 12 Gurucharan Behera, Reality and Illusion in the Plays of Harold Pinter (New Delhi: Atlantic Publishers, 1998) 61.

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 12-16

Globalization and Unorganized Labour in India

***Dr.Subhash,**
**** Bhavna Hammad,**

The paper deals with the impact of globalization on the workers of informal sector. With the help of NSSO data from 1999-00 and 2004-05 the paper concludes that the net effect of the globalization in India is the in-formalization of workers. Workers find most of jobs/employments in informal or unorganized sector and jobs are declining in formal sectors. Lack of social security in unorganized sector is beneficial for the employers and put workers in dangerous conditions.

Key Words: *Informal Workers, Globalization, Unorganized, Contract labour.*

Introduction :

What constitutes the informal sector economy has been a matter of considerable debate over the past two decades, even as the phenomenon itself expended to include over 500 million people all over the world by the turn of the last century. The distinction between formal and informal sector employment at least in manufacturing sector can be made, on the basis of whether the employing enterprise is registered under the factory Act or not. For once the enterprise is a registered factory the conditions of work get regulated. The registration is obligatory as size of employment reaches 10 workers with use of power and 20 workers without use of power.[1]

The formal and informal classification was initially used by Hart[2] in a study of urban Ghana. Hart observed that many income-generating opportunities were informal in nature. These opportunities were identified with unorganized and self employed sector. Employment mission to Kenya (ILO/UNDP) with a view to framing specific policy measures for creation of employment and income in the informal sector has also divided the urban production system into formal and informal sub system[3]. Heather and Vijay Joshi have distinguished, organised and unorganized sectors in Bombay under the three major heads - market structure, technology and relationship with government[4]. They defined informal sector as "those engaged in economic activity, who are not identifiably performing it for the formal sector"[5]. Illustrating the Indian situation, Papola, opines that the distinction between the formal and informal sector employment can be made on the basis of registration of the manufacturing enterprise under the Factories Act[6]. Dipak Majumdar's study describes informal sector as the "unprotected" sector. He observes that employment in the formal sector is protected by the actions of trade unions and government, while

* *Asstt. Professor of Economics, Govt. College Nagina, Mewat, Hr., India*
** *Doctor Fellow, Bangor University, North Wales, UK*

the same is denied to the informal sector labour[7]. The enterprise-based definition of unorganized sector propounded by the 15th international conference of labor statisticians and the New System of National Account (SNA), 1993 is woefully inadequate as it completely ignores the status and conditions of the worker, his/her wages, quality of work, social security and the heterogeneity of occupations and relations. Agricultural occupations are also largely ignored although they comprise the biggest component of the informal economy. A better description of the informal economy would be in terms of the absence of legal or formal relationship between employer and employee, apart from self-employment. It is characterized by very low wages, absence of legal benefits like health care, old age benefits and extremely onerous terms of work.

Characteristics of Unorganised Sector :

The national commission on labor (1969) observed certain difficulties in defining the unorganized labor. Therefore the commission described the characteristics of this sector as follows:

(A) Casual Nature of Employment- This is a fact that the people do not get regular employment for their work. They get work for one or two days or for few days only, there is no concept of regular or permanent work in the unorganized sector.

(B) Ignorance and Illiteracy- The people working in the unorganized sector are illiterate and ignorant. Therefore they remain ununionized in their work. They can't foresee the strength of organization. With the result they have to suffer only with the problems of insecurity and the hazards of their work.

(C) Small Size of Establishment with Low Capital Investment per Person Employed- The establishment or the work place is very wretched for the workers. Although, the employer gets his profit at the cost of the laborers, yet he does not provide them any suitable place. The size of the workplace is very small and ill maintained in respect of the proportion of the workers and their labor.

(D) Scattered Nature of the Establishment - One of the most important features of the unorganized sector is that the work is not confined to one place. Rather it is spread over several areas. Consequently the workers can't work at one place. The obvious motive behind, it is to keep them disintegrated and unorganized so that they couldn't raise their voices unitedly against the employers or the management.

(E) Superior Strength of the Employers Operating Single and in Combination- In order to keep the workers disintegrated, the employers appoint illiterate workers. They don't give them regular work and are kept at different places. Due to these reasons, the workers always feel insecure and try to remain loyal and faithful to their employers. Thus, the employers maintain their superiority and strength over their laborers. This is the management skill of the unorganized establishment. Thus a single employer as well as several partners can run the organization with this skill.

MAJOR COMPONENT OF INDIA'S UNORGANISED SECTOR :

Among the different sectors of the industrial workforce, the informal sector is one of the biggest manual sectors. In India, the unorganized workers constitute 93% of the total workforce. Some of the prominent components of India's informal sector are categorized below:

Agriculture :

All landless agricultural labourers, small

and marginal farmers (Who need to work as wage laborers to supplement their income from meager land holdings), artisans (like leather workers, weavers, potter etc.) fisherfolk, those involved in animal husbandry, those involved in forest based activities, and diverse occupations ancillary to these.

Industry :

Majority of workers in diverse industries like brick-kilns, salt, papad, construction, beedi-making, agarbatti making and dozens of others usually based in rural areas. Workers in industries that should normally be covered by legal provisions but are actually not, especially small scale industries ; sections of large scale industries that have contractualised a part of the workforce; home based workers producing a variety of goods; employers and workers of small household; own account enterprises of other kinds; and various enterprises ancillary or complementary to these.

Services :

Majority of workers in transport, shops, hotels and dhabas, personal services, domestic servant and community services etc. come under unorganized labour category.

Table : 1
Employment growth rates of informal and formal workers by economic activity in India, 1999-00 to 2004-05

Econamic Activity	Growth Rate (%) Informal Workers	Growth Rate (%) formal Workers	Growth Rate (%) Total Workers
Agriculture	1.75	-0.18	1.73
Industry	6.66	-0.6	5.73
Services	4.71	0.12	3.67
Total	3.16	-0.10	2.89

Source: *Computed from individual level data, NSSO 55th (1999-2000) and 61st (2004-05) Round Surveys on Employment - Unemployment.*

The table shows that in each of the three sectors, agriculture, industry and services, virtually the entire increase in employment is in the form of informal employment. Hence we can conclude from the data that the net effect of globalization came out in the form of informalization of workers. Employment in formal sector shows a decline during the globalization phase. The share of unorganized manufacturing in total manufacturing employment has increased from 80.7% in 1983, to 83.2% in 1993-94, and further to 85.0% in 2004-05. Workers employed through contractor (hereafter, contract workers) as percentage of total workers employed in organized manufacturing has increased from 14% in 1995-96 to 29% in 2005-06 (Goldar, 2010).

THE CORE ISSUES :

The globalization has resulted in increasing misery of toiling masses, especially in the third world countries. The policies imposed by the world Bank, IMF and WTO in the past one decade have had a devastating effect on the poor. The living and working conditions of the labor have been adversely affected. The policies that have caused considerable hardship to the labour include dismantling of the worker's security of employment, reduction of wage in the social products, closure of independent small enterprises and handcraft / handloom sector, destruction of food security, privatization of activities, assets and natural resources, sharp increases in the cost of essential services and goods such as electricity, health care, education, transport and food, dispossession of tribal land and handing over of forest to corporate interests, growth of unemployment and underemployment. The workers in the unorganized sector, both in urban and rural areas, have become the worst victims of these policies.

Providing of social security for a large number of self employed people, especially for those engaged in household and micro-enterprises activities including home based workers, street vendors etc., poses a greater challenge. Largely unreported and faced with the uncertainties of the market their security needs involve adequate access to inputs, services and marketing facilities. A large number of workers in this category also need security of work premises as well as legal recognition of their activities. For them, social and economic security essentially implies income security through various interventions - fiscal, labour market and organizational.

There is a need for creating a more supportive environment for self-employment, both in rural and urban areas. Earnings depends on productivity of the worker, for which technology, infrastructure, capital formation and skills are of importance. The level of skill acquired is related to a basic level of education and therefore, increase in literacy and school enrolment will have to aim for their long-term impact. Similarly, support to informal sector in urban areas through access to credit and technology are crucial for raising the productivity of the urban self-employed and casual workers.

As a category of workers, women demand special attention in term of their social security needs. The Minimum Wages8 Act 1948 was passed to reduce discrimination in wages of the workers. But it has very little impact over the actual wage payment. These conditions of the workers have been shown by numerous such studies conducted in different parts of India. In such cases, female workers are the greater victims. It is reported that in many places they are not even paid half of the minimum wages prescribed for the maximum period of work. Gender discrimination in the labor market is a big issue. There should be effective policy amendments and intervention to address this. There still exist substantial wages disparities between males and females. On a priority basis, there should be efforts towards this as an increase in women's income has more effect on the overall welfare of the household. Women's specific security needs such as maternity benefits, childcare etc., in the unorganized sector are yet to gain attention in the discourse on social security. And a lion's share of women workers is in the unorganized sector. Gender sensitive policies need to be implemented towards this to increase the productivity of women as well as to increase their work participation in the economy.

CONCLUSION :

In the era of globalization and large scale exploitation of workers in the informal sector, the need of the hour is a comprehensive central legislation providing for an unorganized sector workers (Regulation of Employment and welfare) Act on the lines of the Dock workers (Regulation of employment) Act, 1948. There should be a comprehensive scheme for regulation of Employment and Welfare measures. A provision should be for creation of the Boards, which are of tripartite of nature with status of incorporation at the area level. There should be a provision for an Advisory Committee to advice the Boards from time to time in implementing the scheme. Government should focus on training and skill upgradation and social security and job security for the unorganized laborers. More importantly, for any positive impact, long term and short-term interventions need to be planned with adequate linkages amongst the interventions. Provisioning of quality health care and primary education along with

vocational training and provision for institutional mechanisms for skills upgradation are to be prioritized as long-term and short-term initiatives. As the risk of repetition, it needs to be emphasized that effective implementation of minimum wages and its periodic upward revision are urgently required to ensure the basic security of income to the workers to sail through the troubled tides of globalization.

References :

1. Papola T.S. (1980),"***Informal Sectors : Concept and Policy"*** EPW, Vol.XV, No. 18, May 3, P 820
2. Keith Hart, (1973), "Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana", ***Journal of Modern African Studies, March 1973,*** P. 61-89
3. ILO (1972), ***Employment, Income and Equality : A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya,*** Geneva 1972, P-6,
4. Heather and Vijay Joshi, (1976), ***Surplus labor and City : A study in Bombay,*** Bombay.
5. Heather and Vijay Joshi, (1980), ***"The Informal Urban Economy and the Boundaries"***, EPW, Vol-29 March 1980.
6. Papola T.S, (1981), ***Urban Informal Sector in a Developing Economy,*** Vikas Publishing House, Delhi
7. Mazumdar D. (1975), The Urban Informal Sector, ***World Bank Staff Working Paper No. 211,*** Washington
8. Minimum Wages Act, (1948), ***labour Bureau,*** Ministry of labour, Govt. of India, Shimla, 1965 - 66.

Mind & Society, ISSN 2277-6907
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 17-20

"Spatial Patten of Irrigation Network in West Madhya Pradesh"

* ***Rajendri Chaubey***

It is universally accepted fact that water is prime resource, a basic need realizing the full potential of the agriculture sector and the country's development, especially in context of India's agrarian based economy. Agriculture has been since time immemorial the mainstay of the people and their economy in India as well as in Madhya Pradesh. The importance of irrigation in India can hardly be neglected due to the erratic nature rainfall in the country. Further irrigation in agriculture may be accounted to variability, uncertainty and irregularity of rainfall, monsoon gaps concentration of rainfall in a few days and unequal distribution of rainfall. Thus in this context the present study has been attempted which aims to view the prevailing sources of irrigation both private as well as government in West Madhya Pradesh. This district level study is completely based on the basis of which spatial pattern of irrigation has been analyzed.

Irrigation is defined as the process of applying water over crops. Irrigation is any process, other than natural precipitation, which supplies water to crops, orchards, grass or any other cultivated plants. Irrigation is identified as the most crucial component of agricultural infrastructure coupled with HYV seeds, fertilizers,

pesticides and other inputs. Irrigation can play a major role in bossing up agricultural production and productivity in an economy (Dutta, 2011). The role of irrigation in the field of agriculture is of two fold. On one hand, it promotes growth in agricultural productivity and on the other hand it contributes towards stabilization of agricultural production. It imparts stability to production by reducing farmer's dependence on rainfall (Dutta, 2011). Thus in this background it has become necessary to study the spatial pattern of irrigation network in West Madhya Pradesh.

Aim of study:

The aim of the present study is to view the state of prevailing sources of irrigation both private as well as government.

Study Area:

The present study is carried on West Madhya Pradesh which consists of two divisions i.e. Indore division & Ujjain division. As such present study is confined to twelve districts which are Indore, Dewas, Ujjain, Shajapur, Dhar,

* *Research scholar M. J. B. Govt. Girls College, Indore (M.P.)*

Khandwa, Barwani, Khargone, Jhabua, Ratlam, Mandsaur and Neemuch

Map No.1.

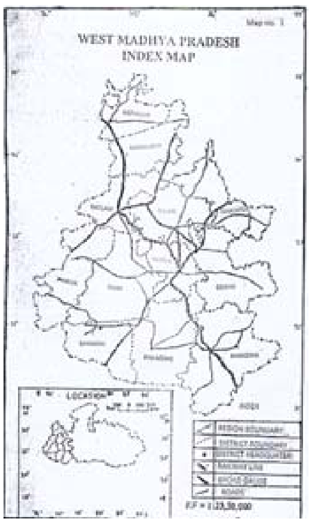

Geographically the region expands between 21º 4´ N to 25 º 3´N latitude & 74 º 5´ E to 77 º 8´ E longitude. Total geographical area occupied by the region is 77021 Sq. km, which constituted to 30.2 percent of the total area of Madhya Pradesh.

Methodology:

Irrigational facilities existing and the share in the study area has been viewed through means have been calculated from its total area. The percentage thus derived reveals the variation which has been categorized in order to bring out various levels of irrigated area. District is chosen as the minimum unit for study. This study is confined to the year 2006-07. The data used for the study is based on secondary sources. It is published record of statistics which has been compiled from "Agricultural statistics M.P. commissioner land records and settlement M.P. Gwalior" (CLRSMP, 2006-07).

Analysis:

West Madhya Pradesh physiographically comprises of plateau, Hilly as well as plain relief features the topography is of mixed nature. Rainfall is low to medium. As such Agriculture here is dependent on irrigation. Irrigation is carried out by two sources that are surface water and ground water. Surface irrigation works are those which provide irrigation by controlling and regulating the run off of water available on the surface of the earth. These include small canals, pynes, tanks, reservoirs et cetra. On the other hand, ground water schemes are those which tap water available beneath the surface of the earth. These include open wells and tube wells, deep or shallow (Reddy, 1997). Based on available data the spatial pattern of irrigation facilities has been analyzed. For the sake of convenience results have been analyzed on the basis of intensity of their occurrence into three groups i.e. Low, Medium and High.

Canal Irrigation:

The adjoining map (Map No.2) depicts the pattern of distribution of government canals in west Madhya Pradesh.

Map No.2

Canals are in maximum use in Shajapur and Khargone whereas in Dewas and Khandwait

is moderately used. Private canals are used only in Barwani district. Many districts like Dhar, Jhabua, Neemuch, Mandsaur, Indore, Ujjain and Barwani have few numbers of canals. The high concentration of canals found in Shajapur and Khargon districts because favorable conditions. As Khargon falls in Nimar plain region where on account of alluvial soil lying down of canals become easy. It is amazing to see that Ratlam district is not having a single canal on the basis of the data received from the government record.

Well Irrigation:

The following map (Map No. 3) reveals that the distribution pattern of well is of uniform nature.

Map No. 3

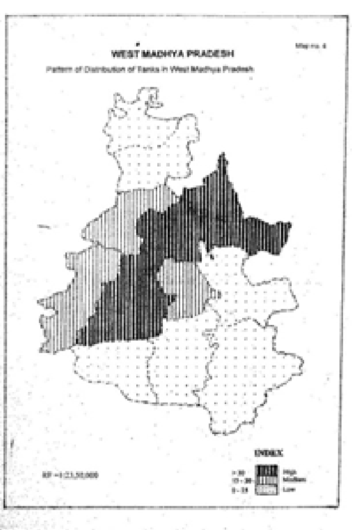

'hey are uniformly distributed in whole istricts like Neemuch, Ratlam, Dewas, ıabua, Ujjain and Barwani have a very centration of wells. There, the ıce on other sources of irrigation is ar, Khargon, Shajapur and Mandsaur ˈderate concentration of wells. Except . no other district has high area under ıtion. The reason for high localization s like lack of access to other means ɔn, unsuitable terrain. The water table is also good and to construct well and maintenance is very cheap.

Tank Irrigation:

Area irrigated through tanks is confined to Shajapur, Ujjain, Dhar districts (Map No. 4).

Map No. 4

These districts have a very high percentage of tanks. Due to plateau topography no other means of irrigation can be used. Hence tanks are highly used in these districts. On the contrary Neemuch, Mandsaur, Khandwa, Khargon, Barwani & Dewas has less number of tanks because of the plain topography canals can be easily constructed, whereas Indore, Ratlam and Jhabua have medium number of tanks.

Other Sources of Irrigation:

Dependence on other sources of irrigation is not negligible. In fact among all the different means of irrigation has high percent area irrigated in districts like Ujjain, Indore and Dhar. (Map No. 5).

Shajapur & Dewas districts have little more than the low area under this source of irrigation. Districts including Neemuch,

Mandsaur, Ratlam, Shajapur, Barwani, Khandwa

Map No. 5

and Khargon have less dependence on other sources. The reason is obvious as these districts uses the other three means of irrigation.

Conclusion :

It can be concluded from the above analysis that the pattern of irrigation is very much varied in study area. Canal irrigation is found wide spread in those areas where drainage network is found especially the catchment areas of rivers Chambal and Narmada whereas Ratlam district totally devoid of canal irrigation. The probable cause for this is absence of main river system. Further, the plateau topography shows greater concentration of wells & tanks. Dhar, Mandsaur, Khandwa and Ujjain districts have good number of tanks and wells. As a whole Indore division seems to have larger number of canals as compared to Ujjain division .The reason may be due to existence of plain topography which is a good condition for laying down canals. Lastly, the whole west Madhya Pradesh seems to have some or the other sources of irrigation because agriculture co-exists with it.

References :

Dutta, M. K. (2011). ***Irrigation potential in agriculture of Assam.*** Concept Publishing Company Pvt. Ltd., New Delhi, pp. 2, 11-12.

CLRSMP (2006-07): ***Basic Agricultural Statistics Madhya Pradesh,*** Commissioner Land Records and Settlement Madhya Pradesh (Gwalior).

Reddy, P. S. (1997). ***Different sources of irrigation (A case study of Telangana Region).*** Manak Publication Pvt. Ltd., New Delhi. pp. 3-4.

✤

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 21-25

Women, Stress and Communication A perspective

* ***Dr. Jaya Mishra,***

Today the whole world is afflicted ubiquitously with this contagious disease called 'STRESS' whose fell hands have not spared even a child. If in yonder years people barely knew this word, today, in the technically evolved era the scenario is just reverse. From school going children to working wo/men or housewives, everybody faces stress in its myriad forms. If some are able to cope well, the others may collapse under its pressure. And if the person under duress is none but a woman, then the repercussions can be manifold. A woman in India whether working or non working, is the foundation of her family. To keep the family happy and together it becomes imperative for her to achieve mental sanity and peace which becomes rather difficult in this fast paced world as she has to juggle many roles. To handle stress one should communicate effectively but ironically our communication whether verbal or non verbal get impaired under distress. Being a woman, I too find it a very challenging task to strike out a perfect balance in life. But my outlook is that if we cannot beat something, we should face it head on. In this paper I present my own reflections on the subject and have also made an attempt to delve deep into the root causes of stress, its impact on our psyche and behaviour, & shed light on various means to deal with stress and stressors.

The four leading causes of death in the US--heart disease, cancer, lung ailments, accidents, are directly related to stress.[1] If you are alive and a human you are bound to face stress. No one is immune. But surveys reflect that women are more vulnerable and susceptible to workplace stress .According to a Gallop poll in 2001 and Centre for Disease Control estimates, three out of five women say stress is the 1 issue in their lives[2].

Every woman is a essentially a woman first; 'but the Indian woman is an Indian first and then anything else.'[3] The point I want to highlight is that India does not live wholly in the present; on the other hand, it lives in the continuity of its tradition, maintaining a high degree of stability, permanency of form all through the historical changes which are essential to the keeping of her "life" intact. It is this continuity of racial life that a woman represents; nor can she desire to be something other than herself; life is so designed for her that she is given the opportunity to be a woman, the essential transcendent feminity ; to realize rather than to express herself.

* *Associate Professor, RCET, Bhilai (C.G.)*

What is STRESS?

The term 'stress' is widely used, and is popularly thought to have a specific diagnostic status, which it does not have. It probably has at least two core meanings, namely that uncomfortable state of mind due to the perception of not being able to cope, and the consequences of that state of mind. (I.e. headaches, shakiness, lowered mood.) "Stress happens whenever your mind and body react to some real or imagined situation"(Boenisch Ed and C.Michele Haney p1) It reflects the psychological and physical state required to deal with an emergency, and is a normal way of reacting to a number of demanding situations.[4] Situation which cause stress reactions are called stressors.Stressors always depend on the interplay of individual and social factors but they may be considered predominantly either internal or external:

(a) Internal stress results when a person faces a normal developmental task for which he or she is ill equipped or ill prepared. A seemingly environmental event may have massive personal psychological meaning for the individual causing that individual to experience a disruptive increase in needs, a loss, or a conflict. Ex. may include an anxious adolescent who becomes disorganized upon leaving his or her family for college.

(b) External stress results from a life event that is readily recognized as a source of stress, such as the death of a family member, a divorce, or a major illness.

Affected individuals are crucial determinants of whether the stress is major or minor and whether the response is adaptive or maladaptive. Healthy individuals may resolve the crisis in an adaptive, growth- promoting fashion[5].

What is Communication:

The term communication has been derived from the Greek word communicare, which means "to share". Communication enables us to do important things, to grow, to learn to be aware of ourselves and adjust to our environment and surroundings[6]. Communication means shared understanding of a shared purpose. Various authors describe communication in their words for instance: Ordway Tead says "that the underlying aim of communication has been defined as that process whereby one person makes his ideas and feelings known to another".[7] "Communication is the arrangement of environmental stimuli to produce certain desired behaviours on the part of the organism".[8]

These definitions show that the term communication is concerned with the ways we make others to know or to understand our opinions, feelings, information, etc. This may be done by our speech, writing or body movement. Broadly there are two forms of communication -verbal and non verbal .If verbal communication resorts to oral or written words, non verbal communication on the other hand is concerned with such things as body movements, gestures, facial expressions space, time, and voice system as well as general characteristics of the environment.

Correlation between stress and communication: Stress levels can play an important role in our ability to communicate effectively. According to psychologists Jeanne Segal and Jaelline Jaffe in their book "The Language of Emotional Intelligence," if you are experiencing a high level of stress, you may be unable to adequately communicate your own needs or to really hear what another person is

saying. You may be cranky, overwhelmed, irritable or distracted. The stress may leave you feeling unable to deal with your own needs, and therefore unable to deal with the needs or emotions of others. Women are less communicative that is why they are more stressed out as compared to men. Ratio of women to men is 2:1.[9]

Causes & effects of stress :

The stress and anxiety caused by endless tasks and impossible deadlines in a high speed, high tech world has made women's life a living web of complexity. The question is: How can women cope with stress and anxiety? The first step is to dissect the problem and understand how these psychological and emotional conditions make women's life more difficult:

■ "In India, in many parts, the system of joint family exists where although there can be a good number of working hands at home yet it is the woman who is shoved to do maximum mundane task .Instead of lending her a helping hand everybody has expectations beyond her capacity. She receives more brickbats than bouquets for what she does .No matter how pleasant veneer she may put on, down inside she is completely stressed out as she is not able to communicate her feelings and frustrations because of the stereotypic upbringing.

■ "Women are more emotional hence they easily give in to stress and anxiety which is often manifested nonverbally. According to allan and Barbar , "Body language is an outward reflection of a person's emotional condition .Each gesture or movement can be a key to an emotion a person may be feeling at the time."[13]

■ In human beings emotional outbursts are always associated with a variety of autonomic responses triggered by stressful situations and produce impairments in important areas of a person's life[10].

■ Personal or relationship issues like divorce or separation have also been the cause of anxiety panic attacks among women. Studies reveal that depressive disorders are more common among single and divorced persons and are more prevalent in women with life time prevalence of 10-25%.(Saddock, Benjamin J.& Virginia,p 143)

■ "She rarely gets a comforting company at home where she can give a vent to her spleen .Rather she stomachs up the frustrations and ire of every member of the house which in turn accelerates her own stress level

■ "Due to her upbringing she has a lot of expectations from herself and therefore without cribbing she tries to fulfil all her duties well, trying to please everybody .This is somehow next to impossible therefore in the end she crumbles under huge loads of pressure and anxiety which may communicate itself through restlessness, bipolar mood disorders and insomnia. "Women experience insomnia overall more than men do"[11]

■ "She easily succumbs to feelings of guilt if she fails even in one of her such duties which in turn add up to her level of stress.

■ "Career woman has to confront office politics, gender discrimination, sexual harassment and the fear of being laid off. Such woman works beyond the 9 - 5 shift, often having to rush home to cook dinner, help the kids with home work and make preparations in advance for the next day. Such hectic schedule often gives way to stress and mars overall efficiency. As put by David Martin

"Occupational performance and the ability to sustain personal relations are impaired due to stress and anxiety".[12]

Measures to alleviate stress:

■ Although stress cannot be wiped out completely from our lives, yet there is still hope for over worked stressed women. Yes, we can definitely take some measures that can minimize its ill effect:

■ "Vent out frequently: Try to find a companion in your family where you can vent out and de -stress. If you lend an empathetic ear to others to relax them, then it becomes your prime duty to do the same to yourself. Unload your mind every day and sleep with a light mind. "Just like crying, talking too helps us find relief from stress."[14]

■ "Find 'ME' time: Learn to grab little time exclusively for yourself where no tension can dare creep in. During this time just be YOU, your natural self. Sing, dance, read, exercise or simply relax without bothering about other worldly affairs. This tad personal space will give you inner peace and happiness and help you establish healthier and happier relationships with others.

■ "Various behavioural strategies for managing stress include relaxation exercises, proper sleep habits, time management techniques and frequent pleasurable life events as these facilitate positive mood states."15

■ "Learn to say' NO': This is typical of an Indian woman. She, in making an effort to please all, is never able to refuse any duty thrust on her. Prolonged labour or great physical exertion may eventually manifest itself in physical symptoms like lack of interest,, lassitude no pep or ambition in life.[16] Therefore unless she learns to say no to tasks which are beyond her capacity, she will never be able to kiss goodbye to stress.

■ "Eat balanced and nutritious food: In India, especially in joint families often the scenario is such that the woman who feeds the whole house neglects her own health by eating stale and leftover food. Consumption of such food releases bad hormones whereas fresh and healthy food keeps mind and body fit enough to combat stress as well as any disease. Studies reveal that anxiety and stress may lead to eating disorders resulting in anorexia nervosa or bulimia nervosa and these are more prevalent in women.[17]

■ "Meditation and yoga: Although in today's hectic life and work schedule a woman rarely squeezes out time for meditation and yoga but if done on regular basis it definitely helps to de-stress. Pessimism, helplessness, hopelessness, depression and loneliness are all states of mind that can negatively influence your body through your immune system. So the most powerful stress management tool or antidote to the ill effects of distress can be a calm, peaceful and healthy mind.[18] Specifically you can do a lot to enhance the positive, health producing connections between your brain and your body through yoga and meditation.

All in all, being women it becomes imperative and above all our endeavour to strike a balance between our personal and professional life which would help in maintaining and restoring mental and physical health and sanity.

Conclusion:

I can conclude by quoting Ed Boenisch who says that It is not so much the stressor itself or the intensity of the stressor that makes stress beneficial or detrimental, but your personal reaction to the event or condition. One is not born with undesirable reactions to stressors .We learn it by watching others, by modelling

from parents and teachers, by painful and pleasing experiences- how to react to different situations, and eventually develop habits that can persist. What kind of reactions to stressors have you learned? Ask yourself these two important questions-

1. What do you believe about your ability to deal with life, with stressors?
2. What kind of personal reaction to stressors are you willing to choose?

The answers to these two questions are the key to successful stress management.

References :

1. Shilstone, Mackie.(2010) ***Maximum Energy for life,***Wiley India Pvt Ltd, p 54.
2. Boenisch, Ed and C.Michele Haney.(2006),**The stress,seced**,Impact Publishers, Atascadero, California p 1.
3. Nagendra, S.P. (2013) ***Society and culture*** Rawat Publications New Delhi p193.
4. Turnor, Trevor.(2004) ***Anxiety***. Elsiever Publications, New Delhi, p 63
5. Scully H. James et.al.(1989). ***Psychiatry*** John Wiley & Sons, Singapore.p 251.
6. Boenisch, Ed and C.Michele Haney.
7. Ranjan, Bhanu (2008).***An Approach to Communication*** Skills. Dhanpat Rai & Co. Ltd.Publishers.p1.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Saddock, Benjamin J.& Virginia A. Saddock M.D (2005).***Clinical Psychiatry*** Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.p172
11. Chatterjee, C.C.(1991) ***Human Physiology***. India medical Agency Calcutta p 5-271.
12. Reito, Martin, M.D.(2009). ***Evaluation & Treatment of Sleep Disorders***. American Psychiatric Publishing,Inc. Arlington p 272.
13. Moore,David P.(2000). ***Psychiatry***, Panthers Publishers Private Ltd. Banglore p 142.
14. Khan Maulana Wahiduddin.(March 15,2013) Stress free formula for a happy life Speaking Tree. ***Times Of India*** Raipur. p 8.
15. Jha, Chitra.(March 2013) Sure shot ways to bust stress. ***New Woman***. p 103.
16. Gelder, Michael.(1989). ***Oxford textbook of psychiatry***. Oxford University Press New York p 888.
17. Adams, Raymond D. & Maurice Victor (1989) ***Principles of neurology***. McGraw Hill book Co. Singapore Editions. New York p 399.
18. Kupfer, David J.(2011). ***Oxford American handbook Of psychiatry***. Oxford University Press New York. p 458.
19. Chockalingam V.& Chockalingam.(2010) ***Mind your heart***. Elsiever Publications, Reed Elsevier India Pvt. Ltd. Gurgaon Haryana p 51.

Mind & Society, ISSN 2277-6907
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 26-29

Self Concept and Coping Behaviour Among Adolescent

* **Mrs.Chandramani sahu**
** **Dr. Basant Kumar Sonber**

The positive self concept and adaptive coping are interrelated and is needed for every adolescent to achieve a successful adolescent life and there after a more mature adulthood. The present study aimed to find out correlation between self-concept and coping behavior among adolescent group. In this study Descriptive Co relational survey and Random sampling techniques were used. Sample consist of school going adolescent between 15-19 years of age studying in 10th to 12th standard at selected school in Bhilai.C.G. Result indicates that there is a positive and significant correlation between self concept and coping behavior of adolescent.

Adolescence is the period from beginning of sexual maturity to completion of physical growth characterized by developmental transition from childhood to adulthood. Piaget asserts that psychologically adolescence is the age when individual becomes integrated into the society of adults, the age when the child no longer feels that he is below the level of his elders, but equal at least in right. In both developed and developing countries, adolescence faces overwhelming problems. In his studies on adolescence, Steinberg (1999) refers to 'puberty' as the period during which adolescents experience biological transformations that result in physical, emotional, social and behavioral changes. During adolescents' challenging developmental years, confrontations with demands, expectations and temptations occur. More importantly, personal and social factors influence self concept development occurring at this stage. Self-concept formation, central during adolescence, tends to have profound effects on adolescents' education (Harter, 1999). In 2006, Santrock affirmed that family instability and unstable environments contribute to instability in adolescents. Some of these concerns, which can affect self-concept development, are evident among youths worldwide, regionally.

Lawrence (1996) defined self-concept by examining self-image of what a person is; ideal self, which the person desires to be; and self-esteem, what the person knows and feels about self and the struggle he or she faces in striving to become what he or she would like to be. Subsequently, Frydenberg (1997) expressed that "Self-concept, one's ideas and

* *Reader & HOD PSY NSG DEPT. Shri Shankaracharya College of Nursing, Hudco (Bhilai).C.G.*
** *Head of Department in Psychology, Govt. P. G. College Kawardha C.G.*

perceptions about oneself, is an important factor in determining human behavior. Self concept is a person's feeling about himself or herself. It includes individuals' perception or awareness of his/her body, abilities personality, traits and way of doing thing. Self concept are not static or unchanging but are shaped by experiences which are constantly navigating in ambiguity and uncertainty towards unknown future. Interpreting experiences help in shaping people's self concept, Andrew (2002) found that boys scored significantly lower on social self-concept than girls. In this study, it is expected that in case of girls physical and social self will influence their overall self-concept whereas in case of boys personal self will determine their overall self-concept.

Coping behavior is the process of managing taxing circumstances expending efforts to solve personal and interpersonal problems and seeking to master, minimize, reduce or tolerate stress or conflict. Hall (1972) has identified three types of coping behavior for dealing with inter role conflict. The three types of coping behavior were logically derived from three role components by Levinson (1959)- structurally imposed demands, personal role conception and role behavior. Type I coping (structural role redefinition) involves an active attempt to deal directly with role senders and lessen the conflict by mutual agreement on a new set of expectations. One way of changing structural demands would be to relocate and share one's role tasks (cleaning, washing, and child care, for example). Type II coping (personal role redefinition) involves changing one's personal concept of role demands received from others. It entails changing the expectations themselves. Type III coping (reactive role) behavior entails attempting to improve the quality of role performance with no attempt to change the structural or personal definition of one's roles.

Adolescent's characteristic feature of risk taking and pleasure seeking compounded by ignorance make them vulnerable formal adaptive coping behaviors. An adaptive coping is essential to reduce negative behavior of adolescent and to establishing a positive self concept. Positive self concept and adaptive coping are interrelated and is needed for every adolescent to achieve a successful adolescent life and there after a more mature adulthood.

Objectives of the Study:

1. To find out the correlation between self concept and coping behavior.
2. To associate self concept among adolescent with selected demographic variables.
3. To associate coping behavior among adolescent with selected demographic variables.

Method

Sample:

Random sampling technique was used. In this study sample consist of school going adolescent between 15-19 years of age studying in 10th to 12th standard at selected school in Bhilai. Demographic data consisted of items pertinent to the demographic data of the student regarding their age, gender, education standard of father and mother, occupation of father and mother, area of residence, total monthly income, and presence of any mental illness in family and drug abuse in family.

Tools:

The tool was developed on the basis of the related literature. After preparation of blue print the opinions were taken from subject experts.

Assessment of level of self concept by using modified standard questionnaire on self concept. This section consisted of 48 items in six areas regarding assessment the level of self concept on adolescent group. Those were Physical area, social area, temperamental area, educational area, Moral area, intellectual area. This was a five point rating scale ranging from always, often, sometimes, rarely & often. The reliability of tool for self concept was found 0.91.

To assess the coping behavior of adolescent a structured questionnaire was used. This is consisted of 28 items in various areas like Home, Social, Health & emotional and school area. The items are analyzed by using three point rating scale option given are never, sometimes and often. The reliability of tool for coping behavior was found 0.95.

Study aimed to find out correlation between self-concept and coping behavior among adolescent group. In this study Descriptive Co relational survey is used.

Results

Area-wise distribution of self concept shows that 82% of adolescent scored high self concept. Area-wise distribution was assessed into six area of self concept. Highest mean scored for educational area was found 34.38. Mean score for moral, temperamental, physical, intellectual and social areas were found 33.68, 28.85, 28.82, 26.60 and 22.95 respectively. Highest mean score for educational area indicated, that there is high influence of education over society.

On the other hand 62% of adolescent have scored average coping, while 38% scored very good coping. Coping behavior was assessed into four areas. Mean score of social area is 18.13, school area received 17.04 mean score, home area scored 16.47 and health and emotional area received 16.26 of mean score.

The findings reveal that coping behavior is increased when self concept is high, and coping is low when self concept is low. Both variables are correlated with each other. There was Positive correlation between self concept and coping behavior (r = +0.8.) seen.

Figure 1

Scattered diagram showing correlation between self concept and coping behavior

Gender and area of living is positively associated with self concept. Out of 54 male adolescent 42% scored above average and 10% scored high self concept. Out of 46 female participants 42% scored above average while 6% scored high self concept. Andrew (2002) also found that boys scored significantly lower on social self-concept than girls. Hence, association between self-concept and selected socio demographic variable was found.

The present study indicates the majority of adolescent had above average and high self concept and also average and excellent coping behavior in relation to various area, gender and area of living had a significant association with self concept and coping behavior. In this study it is found that there is a positive and significant correlation between self concept and coping behavior among adolescent.

Implication of the study :

1. Workshops on Positive thinking and modification of behavior should be arranged periodically to increase adolescences self concept.
2. Arrange counseling program for early identification and treatment of behavioral deviation among nursing students & other adolescence.
3. Health education sessions in relation to above topics can be arranged by nurse educator and nurse practitioner in order to promote their mental health.
4. Adopt effective policies to improve communication among the parents, teacher and adolescent, so that good communication may helpful to reduce adolescent anxiety during transition period.

References:

Andrew, C.B., (2002). Job satisfaction among women in relation to their family Environment. ***Journal of Community Guidance and Research***, 11, 49-50.

Frydenberg, E. (1997). ***Adolescent coping: theoretical and research perspectives***. London: Routledge

Lawrence, D. (1996). ***Enhancing self esteem in the classroom***. London: Paul Chapman. Secondary Education Modernization P

Santroc, J.W. (2006). ***Life span development***. (10th ed.) U.S.A.: McGraw-Hill Companies, Inc.

Harter, S. (1999) ***Construction of the self: A developmental perspective***. N.Y.:Guilford.

Steinberg, L. (1999). ***Adolescence*** (5th ed). Boston: Mc Graw-Hill College.

Hall, D.T. (1972). A model of coping with role behavior of college educated women. ***Administrative Science Quarterly*** 17: 471-486.

Levinson, D. (1959). Role, personality, and social structure in the organizational setting. ***Journal of Abnormal and Social Psychology*** 58: 170-180.

Mind & Society, ISSN 2277-6907
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 30-32

A Comparative Study of Academic Anxiety among Adolescents

***Sumita Singh**
****Binu Vinod**
****Yasmin Nikht**

The present study was taken to compare the academic anxiety of adolescents. 100 students studying in class IX of various schools in Durg District were taken. The data was collected using Academic Anxiety Scale for Children (AASC). T-test was applied to test the hypothesis. It was concluded that, all students suffered from academic anxiety. Gender did not affect the academic anxiety but the type of school had a significant effect.

***Key words –** Academic Anxiety, Achievement, Adolescents.*

Academic anxiety is a kind of anxiety which relates to the impending danger from the educational institution, including the teacher and the subjects like science, mathematics, social science, etc. It is a mental sensitivity of uneasiness that is perceived negatively. The high level of anxiety lacks the motivation to study for assessments, write papers or to do daily home work. Academic anxiety is a common issue that students can't ignore if they want to succeed. If not properly addressed, academic anxiety can be serious and have long lasting consequences such as procrastinate, poor performance, failure in class sometimes withdraw from socializing with peer group or pursuing activities.

Anxiety among the adolescent boys and girls is very common and natural. Youth today are living in an increasingly anxiety ridden atmosphere, Nalini (1997), Reddy (1989) in his research found that the most of the problems concentrated on academic anxiety are followed by anxiety regarding future. Bryme (2000) in his study found that male have significant decrease of anxiety than females. Yousofi et al (2010) found a significant difference in academic anxiety between male and female adolescents. Mnicholas and Lewiesohn (1998) in this study found that female are already twice more likely to have experience anxiety disorder than males. The present paper is an attempt to compare the academic anxiety among the adolescent.

The objective of the study taken is,

a) To assess the academic anxiety of adolescent students.

b) To compare gender wise, the academic anxiety.

c) To study the effect of the institution- type on the academic anxiety of the adolescent students.

Hypothesis of the study:

H_1 – There exists no significant difference between the academic anxiety of boys and girls.

H_2 – There exists no significant difference in the academic anxiety of students studying in private and government institutions.

The present study was conducted on a

* *H.O.D. Deptt of Education ,G.D. Rungta College of science and Technology, Bhilai Durg (C.G.)*
** *Asstt Prof. Deptt of Education, Rungta Institute of Science and Technology Bhilai, Durg (C.G.)*

sample of 100 adolescent students (Boys-50, Girls-50) studying in class IX of various private and government institutions in Durg Distt of Chhattisgarh India.

The Academic Anxiety Scale for Children (AASC) by A. K. Singh and Sen Gupta (1986) was used to collect data for the present study. The data collected was subjected to statistical analysis, using t-test in order to facilitate analysis and interpretation.

TABLE – 1
Comparison of mean scores of academic anxiety of boys and girls.

Factor	N	Mean	SD	Df	't' value	Result
Anxiety scores of Boys	50	10.45	2.53			
				98	1.22	NS
Anxiety scores of Girls	50	11.16	3.1			

Results show that all the students suffered from academic anxiety. The results of the Table 1 indicates that there exists no significant difference between the academic anxiety of boys and girls. Thus the hypothesis H_1 is accepted. Gender was not found to have any significant effect on the academic anxiety.

From the table –2 we can conclude that, there exists a significant difference in the academic Anxiety of students studying in private and government institutions. Thus the hypothesis H_2 is rejected. The type of institution had a significant effect on the academic anxiety. This may be due to the fact that the quality of teaching learning differs in private and government institutions and there is high expectation of parents whose children study in private institutions compared to government institutions.

TABLE 2
Comparison of Mean scores of academic anxiety of students

Factor	N	Mean	SD	Df	't' value	Result
Anxiety of student in private Institution	50	11.01	9.3			
				98	2.07	S
Anxiety of student in Govt. Institution	50	14.72	8.93			

On the basis of the above study it was concluded that the students are suffering form academic anxiety, which can have many serious and long lasting consequences on the physical and mental make up of the child. Parents, teachers and guidance workers together can work for the betterment of the child. Proper guidance, motivation and encouragement remedial teaching can help the child to overcome his/her academic anxiety.

References :

Bryme B (2000); Relationship between Anxiety, Fear, Self Esteem and coping strategies. ***Journal of educational Psychology Vol 135(137)***; 201-215

Yousofi F, Talib M, Mansor BM, Juhari B.R. and Redzuan R (2010); test anxiety and academic achievement among Iranian adolescents. ***Journal of Asian Social Science*** **Vol 6 (5)** 85-87

Reddy AVR (1989): Problems of concern for many of the school going adolescents.

***Indian psychological review*, 18 (1-4)**: 71-74

Singh A K & Gupta AS (1986) ***Academic Anxiety Scale for Children***. Agra National Psychological Corporation.

Mnicholas Band Lewiensoln (1998): Anxiety on the Basis gender differences ***Journal of Abnormal psychology. Vol 107(1)***: 109-117

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 33-36

पूर्व सेवानिवृत्तिकाल के शिक्षकों में चिन्ता एवं शारीरिक क्षमता में कमी का अनुभव

** श्रीमती संतोष अग्रवाल*
*** डॉ. बंश गोपाल सिंह*

पूर्व सेवानिवृत्तिकाल कई अर्थों में प्रतिबल पूर्ण अवस्था होती है। इस अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया गया है कि पूर्व सेवानिवृत्ति काल के शिक्षकों में वृद्धावस्था की चिंता, पूर्व की तुलना में शारिरिक क्षमता में कमी/वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है । इसके लिए लिंग, शाला प्रकार तथा शिक्षण स्तरगत भिन्नता के अलग अलग वर्गो के बीच तुलना की गयी । अध्ययन में 180 प्रयोज्यों को शामिल किया गया। इसके लिए सिंह (2009) द्वारा विकसित मापनी का प्रयोग किया गया। परिणाम से यह स्पष्ट हुआ कि वृद्धावस्था की चिंता, शारीरिक क्षमता में कमी, का अनुभव अधिक प्रयोज्य करते पाये गये। इस संदर्भ में लिंग, शाला प्रकार एवं शिक्षण स्तरगत भिन्नता भिन्न–भिन्न थीं।

कोई भी कर्मचारी जब किसी सेवा में नियोजित होता है, तो सेवानिवृत्ति एवं उसके पश्चात् के जीवन के बारे में शायद ही कभी सोचता है परन्तु सामाजिक प्राणी होने तथा वातावरण से अन्तः क्रिया करने के कारण यह समय बितने के साथ ही सेवानिवृत्ति जीवन के विषय में सोचना शुरू कर देता है। जैसे–जैसे कर्मचारी की आयु अधिक होती जाती है वह सेवानिवृत्ति पर भी कुछ अधिक सोच–विचार करने लगता है। सभी कर्मचारियों के जीवन में दो बार ऐसा समय आता है जब वह सेवानिवृत्ति पर प्रतिबलपूर्व ढंग से सोचना शुरू करता है, तथा सेवानिवृत्ति से संबंधित मुद्दों पर पूरी तरह से विचार करने लगता है। ये दशाएँ है :– सेवानिवृत्ति पूर्व अवस्था (Pre-Retirement Stage) तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् अवस्था (Post Retirement Stage)। पूर्व सेवानिवृत्ति अवस्था में उसकी अन्य कर्मचारियों, सहकर्मियों तथा पूर्ण संगठन से संबंध की अवस्था होती है, जबकि पश्चात् सेवानिवृत्ति काल में उसका संबंध परिवार एवं समाज से ही रह जाता है।

वर्तमान समाज में सेवानिवृत्ति शोध का एक महत्वपूर्ण आयाम बन चुका है। सेवानिवृत्ति जीवन की महत्वपूर्ण घटना है जिसमें व्यक्ति को समायोजन, जीवन शैली में परिवर्तन, स्वसम्मान, मित्रता, व्यवसाय, इत्यादि अनेक क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना होता है। सेवानिवृत्ति वह कालखण्ड होता है जब व्यक्ति एक निश्चित काल की सेवा के पश्चात् सेवा से पृथक हो जाता है या एक निश्चित आयु का हो जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति कर दिया जाता है। इस प्रकार समाज का एक बड़ा हिस्सा अपने सक्रिय कार्य जीवन से बाहर होकर सेवानिवृत्ति हो जाता है तथा वह जीवन की तीसरी अवस्था में प्रवेश करता है ।

पूर्व सेवानिवृत्ति काल में अनेक शारीरिक समस्याएँ देखी जाती हैं। इनमें उच्च रक्तचाप, दुर्घटनाओं

** प्राचार्य, बी.एम. शिक्षा महाविद्यालय, दुर्ग (छ0ग0)*
*** प्रोफेसर एवं अध्यक्ष मनोविज्ञान अध्ययन शाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)*

से चोट, मधुमेह, श्वसन संबंधी रोग, गुर्दे का संक्रमण तथा हड्डी एवं जोड़ों की समस्याएँ प्रमुख है (राव,1975)। मेहरोत्रा, पाण्डेय एवं डबराल (1979) ने पाया कि लगभग 43 प्रतिशत लोग किसी न किसी रोग से ग्रसित थे। देसाई तथा नायक (1982) ने मुम्बई में सर्वेक्षण के दौरान पाया कि पूर्व सेवानिवृत्ति काल में 89 व्यक्ति अपने को कुल मिला जुला कर स्वास्थ्य मानते थे जबकि सेवानिवृत्ति लोगों में केवल 71 प्रतिशत ही ऐसा मानते थे। इनमें राजपत्रित अधिकारी, अरापत्रित कर्मचारी एवं शिक्षकों में किसी प्रकार का भेद नहीं था। सेन गुप्ता (1982) ने कलकत्ता में 55 वर्ष से ऊपर के लोगों के अध्ययन में पाया कि 75.6 प्रतिशत लोग किसी न किसी बिमारी से पीड़ित थे। परन्तु आर्थिक स्थिति ठीक होने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या कम हो जाती हैं (बकले, डन्टन, राव तथा स्पेंसर, 2004)।

जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि पूर्व सेवानिवृत्तिकाल में अनेक प्रकार की शारीरिक विघटन की शुरूवात हो जाती है। अतः पूर्व सेवानिवृत्ति काल में स्वास्थ्य (शारीरिक, मानसिक) का प्रबंधन एक बड़ी समस्या होती है। पूर्व सेवानिवृत्ति काल में कुछ कर्मचारियों का मूड़ी होना, उनमें चिड़चिड़ापन, कुछ मनोदैनिक समस्याएँ (आमाशय का अल्सर, हृदय की बिमारियाँ, उच्च रक्तचाप, इत्यादि) तथा अवसाद समस्या का प्रमाण कुछ अध्ययनकत्ताओं ने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार पूर्व सेवानिवृत्तिकाल महत्वपूर्ण कालखण्ड है। जो शिक्षकों के जीवन को प्रभावित करता है। इस सन्दर्भ में यह परिकल्पना की गयी थी कि पूर्व सेवानिवृत्तिकाल के अध्यापक में विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रतिबल कारकों का सामना करते हैं तथा पूर्व सेवानिवृत्तिकाल के शिक्षकों में शारीरिक प्रतिबल कारकों पर लिंगगत भिन्नता, संस्थागत भिन्नता, कार्यस्तर (शिक्षण स्तर) पर सार्थक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं।

वर्तमान अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया गया है कि पूर्व सेवानिवृत्ति काल के शिक्षकों में वृद्धावस्था की चिंता, पूर्व की तुलना में शारिरिक क्षमता में कमी/वृद्धि पर क्या प्रभव पड़ता है । इसके लिए लिंग, शाला प्रकार तथा शिक्षण स्तरगत भिन्नता के अलग अलग वर्गो के बीच तुलना की गयी । अध्ययन में 180 प्रयोज्यों को शामिल किया गया। अध्ययन के लिए सिंह (2009) द्वारा विकसित Stress During Pre-Retirement Period Questionnaire का उपयोग किया गया। पूर्व सेवानिवृत्ति काल के शिक्षको में लिंग, शाला प्रकार तथा शिक्षण स्तरगत भिन्नता के अलग अलग वर्गो के बीच तुलना के लिये काई वर्ग का प्रयोग किया गया।

इस संबंध में प्राप्त हुए परिणाम से स्पष्ट है कि पूर्व सेवानिवृत्ति काल के शिक्षकों में वृद्धावस्था को लेकर चिंता थी, तथा उनकी शारीरिक क्षमता में कमी पायी गयी है। अध्ययन हेतु लिये गये दोनो चरों वृद्धावस्था की चिंता का अनुभव एवं "ाारीरिक क्षमता में वृद्धि/कमी का अनुभव के परिणाम सारणी क्र 1 तथा 2 में दर्शाये गये है ।

lkj.kh Ø-1

o)koLFkk dh fpark dk vuHko

क्र.	प्रत्युत्तर	लिंग		शाला प्रकार			शिक्षण स्तर		
		शिक्षक	शिक्षिका	ध्येय पूर्ण	गैर शास.	शास.	प्राथ/मीडिल	हाई/हासे.	महावि.
1.	बहुत चिंतित	03	01	00	04	00	03	01	00
2.	सामान्य स्तर की नहीं	54	61	36	43	36	41	40	34
3.	चिंतित नहीं	33	28	24	13	24	16	19	26
	काई वर्ग	1.84		12.82			6.84		
	सार्थकता स्तर	<.05					<.03		

प्रयोज्यों में 66.1 प्रतिशत प्रयोज्य वृद्धावस्था को लेकर चिंतित थे। गैर शासकीय शिक्षकों में, शासकीय एवं ध्येयपूर्ण शाला के शिक्षकों की तुलना में अधिक संख्या में चिन्ता प्रदर्शित की गई तथा इसी प्रकार प्राथमिक एवं हायर सेकेण्डरी स्तर के शिक्षकों की तुलना में महाविद्यालय स्तर के शिक्षक वृद्धावस्था की चिन्ता अधिक संख्या में प्रदर्शित किये।

lkj.kh Ø- 2

“kkjhfjd {kerk e: of)@deh dk vuHko

क्र.	प्रत्युत्तर	लिंग		शाला प्रकार			शिक्षण स्तर		
		शिक्षक	शिक्षिका	ध्येय पूर्ण	गैर शास.	शास.	प्राथ/मॉडिल	हाई/हा.से.	महावि.
1.	शारीरिक क्षमता में अधिक वृद्धि	01	00	01	00	00	00	01	00
2.	शारीरिक क्षमता में वृद्धि	08	12	06	07	07	00	04	16
3.	शारीरिक क्षमता में वृद्धि व कमी	44	60	35	32	37	30	41	33
4.	शारीरिक क्षमता में कमी	37	16	18	19	16	30	13	10
5.	शारीरिक क्षमता में अत्यधिक कमी	00	02	00	02	00	00	01	01
	काई वर्ग	14.58		6.73			38.84		
	सार्थकता स्तर	.006					.01		

शिक्षकों ने अपनी शारीरिक क्षमता में कमी प्रदर्शित की हैं। इसमें महिलाओं ने अधिक संख्या में शारीरिक क्षमता में कमी प्रदर्शित की है। प्राथमिक स्तर के शिक्षक, हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालयीन शिक्षकों की तुलना में शारीरिक क्षमता में कमी अधिक संख्या में प्रदर्शित की गयी।

इस परिणाम से स्पष्ट होता है कि अधिकांश शिक्षकों में उनकी पूर्व सेवानिवृत्तिकाल में अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याएँ उत्पन्न होती है। सर्वेक्षण का यह परिणाम इस मान्य कल्पना के अनुरूप है कि पूर्व सेवानिवृत्तिकाल वह अवस्था है जब कोई भी व्यक्ति विकास के चरण में अपने शारीरिक क्षमताओं एवं स्वास्थ्य संबंधी कारकों में ह्रास का अनुभव करता है। अध्ययन में सम्मिलित प्रयोज्यों का अनुभव इस तरह की मान्यता की पुष्टि करता है, शिक्षकों में भी समान प्रक्रिया पायी जाती है।

इन सभी समस्याओं पर शिक्षकों के लिंग के प्रभाव के संदर्भ में मिले परिणाम से स्पष्ट होता है कि वृद्धावस्था की चिन्ता S तथा उनकी शारीरिक दक्षता में पूर्व की तुलना में कमी आयी है। कुछ अध्ययनों में (चैपमेन 1944) पुरूषों में श्रवण की समस्या का प्रारंभ महिलाओं में पहले से होना पाया गया है, परन्तु उस अध्ययन का परिणाम ऐसे निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करता।

शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबल कारकों के अध्ययन में शाला प्रकार भिन्नता के पीछे अभिगृह यह था कि तीन प्रकार के शालाओं का प्रबंधन भिन्न होने के कारण शिक्षकों का प्रबंधन से अन्तःक्रिया तथा आर्थिक एवं व्यक्तिगत कल्याण के मुद्दों पर तीनों प्रकार के शालाओं में भिन्नता होती है इसके फलस्वरूप उनका प्रभाव भी भिन्न–भिन्न हो सकता है। परन्तु परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि केवल एक प्रकरण में तीनों प्रकार के शालाओं में सार्थक भिन्नता पायी गयी। अपनी बढ़ती हुई उम्र को लेकर गैर शासकीय शिक्षक शासकीय शिक्षकों से ज्यादा चिंतित पाये गये। इस परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य एक ऐसा कारक है जिसे आर्युवृद्धि, तथा कुछ मामलों में व्यक्तियों का लिंग इसे प्रभावित करता

हैं। परन्तु अन्य कारक, विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कारक सार्थक रूप से प्रभावित नहीं कर पाते, फलस्वरूप तीनों प्रकार के शालाओं के शिक्षक विभिन्न प्रकार के शारीरिक समस्याओं पर सार्थक अन्तर नहीं रखते हैं।

इस अध्ययन की एक मान्यता और भी थी कि भिन्न–भिन्न स्तर में कार्य की प्रकृति तथा विद्यार्थियों से अन्तःक्रिया भिन्न होने के कारण प्राथमिक, माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन शिक्षकों के शारीरिक स्वास्थ्य में सार्थक अन्तर प्राप्त होगा। परन्तु प्राथमिक/मिडिल स्तर के शिक्षक अपने उच्चत्तर शिक्षकों की तुलना में अधिक संख्या में शारीरिक दक्षता में कमी का अनुभव तथा हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रस्त प्रदर्शित किया है। अतः इस विषय में शिक्षण स्तर में निहित विभिन्न कारकों की पहचान करना महत्वपूर्ण होगा जिनके कारण प्राथमिक स्तर के शिक्षकों में यह ह्रास दिखाई दिया है।

References :

Chapman W.P. (1944) Measurement of Pin sensitivity in normal control subjects and in psychoneurotic patients. ***Psychosomatic Medicine***, 6, 252-255.

Desai, K.G. & Naik, R.D. (1982), Problems of retired people in greater Bombay. In K.G. Desai (Ed.) ***Ageing in India.*** Bombay : Tata Institute of Social Sciences.

Mehrotra, S.K. : Pandey, D.N. ; & Dabral, S.B. (1979), Urban aged population-A Social Study, ***Indian Journal of Public Healt,*** *23(2*), 71-75.

Rao, B.S.(1975), Old age can be made happy. ***Social Welfare,*** *21 (ii*), 9-10.

Sengupta, D.K. & Chakraborty, A.K. (1982), Health status of aged 55 years and above in a slum area of Calcutta. ***Indian Journal of Pubilc Health,*** *26(2),* 112-117.

Mind & Society, ISSN 2277-6907
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 37-39

कामकाजी महिलाओं की कार्यालयीन समस्याएँ

(शासकीय व अशासकीय संस्थानों के विशेष संदर्भ में)

* डॉ. हेमलता बोरकर
** श्वेता पाण्डेय

वर्तमान शोध अध्ययन का उद्देश्य शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं तथा अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के कार्यालयीन समस्याओं में भिन्नता का अध्ययन करना है। अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण निर्देशन के माध्यम से 60 अशासकीय, 60 शासकीय कामकाजी महिलाओं का चयन किया गया है, अध्ययन की प्रकृति के आधार पर अनुसूची का निर्माण करते हुए औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनो प्रकार के साक्षात्कार के माध्यम से, तथ्यो का संकलन किया गया है। शासकीय संस्थानो मे कार्यरत महिलाओ का औसत 19,177 एवं अशासकीय संस्थानो मे कार्यरत महिलाओ का औसत 21,117 प्राप्त हुआ है। परिकल्पना की जांच हेतु स्वतंत्र "t" परीक्षण का उपयोग किया गया है, t का मान 3,655 प्राप्त हुआ है जो स्वतंत्रता की कोटि 118 पर .01 स्तर पर सार्थक हैं। स्पष्ट है कि, शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं तथा अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के कार्यालयीन समस्याओं में सार्थक अंतर पाया जाता है।

कामकाजी महिलाओं की समस्याओं और कठिनाईयों के अनेक आयाम है। कपूर ने अपने अध्ययनों (1970[1] व 1972[2]) के दौरान विभिन्न नौकारियों तथा रोजगार में लगी सैकड़ो महिलाओं से जो बातचीत की उससे जान पड़ता है कि इनकी समस्याएं तीन प्रकार की हैं–वातावरणजनित, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक। कपूर ने (1970 व 76) के दौरान जिन सैकड़ो कामकाजी महिलाओं के साथ साक्षात्कार किया उन्होने बताया कि पुरूषों के साथ काम करने की वजह से उन्हे कठिन परिस्थितियों और उलझनों का सामना करना पड़ता है। जो महिलाएं किसी पुरूष उच्चाधिकारी के मातहत काम करती हैं, उन्हें वह कार्यकुशल कार्यकर्ता न मानकर स्त्री की तरह देखता है यदि वह उसकी प्रशंसा करे, उसके सामने नम्र और सौम्य रहे तो संभव है कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करे। यदि उसने अधिकारी को वैसा करने दे दिया तो उसमें अपराध भावना की वजह से आंतरिक संघर्ष व तनाव पैदा होंगे तथा यदि कहीं उसने अपने अधिकारियो को प्रसन्न नही रखा, अपने काम मे दिलचस्पी रखती रही तो उसके लिए अपनी नौकरी बनाए रखना तथा पदोन्नति पाना कठिन हो जायेगा। इस संबंध मे सप्रू (1973)[3] ने भी महिलाओ से साक्षात्कार के दौरान पाया कि महिलाएं चाहें वे क्लर्क हैं या अधिकारी, पुरूष तो हमेशा उन्हे स्त्री ही मानते हैं। इससे उन्हें काफी क्लेष होता है। कभी कभी वे उत्तेजित हो उठती हैं, कहती हैं कि हम तो अपनी योग्यता व सामर्थ्य के आधार पर मात्र एक व्यक्ति जैसा व्यवहार पाना चाहती हैं। शर्मा, (2008)[4]

* वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)
** एम. फिल, शोधार्थी,, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0)

के अनुसार कामकाजी महिलाओं को केवल घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी के कारण ही संकट का सामना नहीं करना पड़ता बल्कि कार्यस्थल पर अपने कैरियर के विभिन्न चरणों में अपनी अस्मिता के लिए अलग–अलग किस्म के युद्ध लड़ने पड़ते हैं और कार्य में आने वाली अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनका मानना है कि कार्यो में आत्मविश्वास व रुचि उत्पन्न करने के लिए सुरक्षात्मक व कल्याणकारी सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आवास, वाहन, चिकित्सा जैसे कारक हैं, जो कर्मचारियों में मनोबल को ऊंचा उठाते है। बंगलौर की शिक्षित स्नातक महिलाओं के संबंध में जो गोल्डस्टीन (1972)[5] ने अध्ययन किया था उसमें भी यह स्पष्ट किया कि घर से बाहर महिलाओं के लिए सम्मानजनक आवास पाना कठिन है। सेनगुप्ता (1960)[6] ने भी जो अध्ययन किया उसमे पाया कि जिन स्थानों मे नौकरियां उपलब्ध हैं, वहां समुचित आवास की सुविधा का अभाव होना सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से गतिशीलता प्रतिबंधित हो जाती है। सामान्यतः कर्मचारी अधिकांश समय कार्यालय में व्यतीत करते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि दैनिक आवश्यकता पूर्ति हेतु सुविधाएं जैसे पीने के पानी की व्यवस्था, प्रसाधन, स्वच्छता, आदि सुविधाएं हो इनसे कर्मचारियों के कार्यकुशलता में वृद्धि होती हैं कार्यस्थल में प्राप्त सुविधाओं का बहुत महत्व है, यदि कार्य की भौतिक–अभौतिक दशाएं कार्य के अनुकूल होंगी तो कार्य में मन लगेगा, इसके विपरित काम की दशाएं उपयुक्त नहीं है तो मन और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

mn्n ;%

शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं तथा अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के कार्यालयीन समस्याओं का अध्ययन करना।

leL;k %

क्या शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं तथा अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के कार्यालयीन समस्याओं मे अंतर पाया जाता है।

ifjdYiuk %

शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं तथा अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के कार्यालयीन समस्याओं में अंतर पाया जाता है।

fof/k %

प्रस्तुत अध्ययन कोरबा नगर के शासकीय व अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के संदर्भ में किया गया है। शोध अध्ययन हेतु 120 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा 60 शासकीय संस्थानों से तथा 60 अशासकीय संस्थानों से कामकाजी महिलाओ का चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन मे सर्वे शोध डिजाईन का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन मे साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण, अध्ययन की प्रकृति को ध्यान मे रख कर किया गया है। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनो प्रकार के साक्षात्कार के माध्यम से, तथ्यो का संकलन किया गया है।

ifj.kke ,o 0;k[;k %

शोध अध्ययन मे वर्णनात्मक एवं अनुमानिक दोनो प्रकार के सांख्यिकी विश्लेषण विधि का उपयोग किया गया है ।

o.kukRed lkaf[;dh %

औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनो प्रकार के साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से, प्रतिक्रिया ली गयी। उन प्रतिक्रिया को संख्यात्मक तथ्यों मे परिर्वतन करने के पश्चात् वर्णनात्मक सांख्यिकी विश्लेषण किया गया।

o.kukRed lkaf[;dh Vscy

Dkedkth efgyk,i	Ekk/;	N	SD
शासकीय	19.177	60	1.907
अशासकीय	21.117	60	2.132

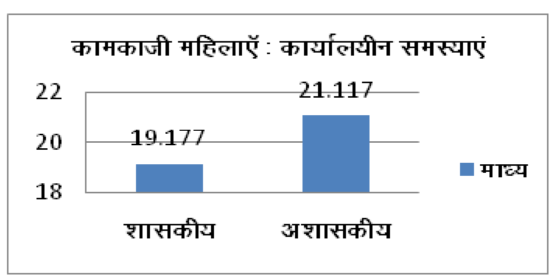

शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओ का माध्य 19.177 एवं अशासकीय संस्थानों मे कार्यरत महिलाओं का माध्य 21.117 है। स्पष्ट है कि, माध्य के अनुसार शासकीय संस्थानो मे कार्यरत महिलाओ की तुलना मे शासकीय संस्थानो मे कार्यरत महिलाओ मे कार्यालयीन समस्याएं कम है।

vkuqekfud lkf[;dh %

शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं तथा अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के कार्य संतुष्टि में अंतर पाया जाता है। इस उपकल्पना की जांच हेतु स्वंतत्र "t" परीक्षण किया गया है।

t	df	सार्थकता (.01 स्तर)
3.655	118	सार्थक

t का मान 3.655 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता की कोटि 118 पर .01 स्तर पर सार्थक हैं। अतः स्पष्ट है कि शोध की उपकल्पना सिद्ध होती है। सेनगुप्ता (1960), गोल्डस्टीन (1972), सप्रू (1973), कपूर (1970 व 73), शर्मा, कुमुद (2008), ने भी शोध अध्ययन मे शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं तथा अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के कार्यालयीन समस्याओ में अंतर पाया। वर्तमान अध्ययन मे शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं तथा अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के कार्यालयीन समस्याओ में अंतर प्राप्त होने का मुख्य कारण शासकीय कामकाजी महिलाओ को कार्यस्थल मे पानी, प्रसाधन, बैठने की व्यवस्था, आलमारी की सुविधाएं प्राप्त होने के कारण उन्हे कम समस्याएं उठानी पड़ती है। अशासकीय नौकरी मे स्थायित्व न होने के कारण, महिलाएं कार्य संबंधी कठिनाई उच्चाधिकारों के समक्ष रखने मे समस्या महसूस करती है। अशासकीय संस्थानो मे कार्यरत महिलाओ को असुविधाओ का सामना करना पड़ता है। सहकर्मियो से सहयोग भी शासकीय संस्थान की तुलना मे कम प्राप्त हुए।

fu'd'k %

व्याख्यात्मक, आनुमानिक सांख्यिकी के पारिणाम एवं तथ्यो के आधार पर स्पष्ट है कि, शासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं तथा अशासकीय संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के कार्यालयीन समस्याओं में अंतर पाया जाता है।

lnHk %

कपूर, पी. (1970) *efgyk ,.M n ofdx oeu bu bf.M;k]* विकास पब्लिकेशन,नई दिल्ली,

कपूर, पी. (1976) *dkedkth Hkkjrh; ukjh]*राजपाल एण्ड संस काश्मीरी गेट, नई दिल्ली, पृ. 66

सप्रू, आर,, (1973) *n Li l;* सेलर्स,इब्स विकली, पृ.18–20

शर्मा, के. (2008) *^vk/kh nfu;k dk lp**** सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.41 ।

गोल्डस्टीन, (1972) कामकाजी भारतीय नारी, राजपाल एण्ड संस नई दिल्ली, पृ. 134 ।

सेनगुप्ता,पी. (1960) *oheu oDl bu bf.M;k]* 134 एशिया पब्लिकेशिंग हाऊस, बंबई, पृ. 106।

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 40-43

शारीरिक विकलांग एवं सामान्य विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी चिन्ता का तुलनात्मक अध्ययन

** श्रीमती धरणी राय*
*** डॉ. शिखा बेनर्जी*

किसी भी व्यक्ति की वास्तविक पूँजी उसका स्वस्थ शरीर होता हैं। हमारे समाज के कुछ व्यक्ति अपनी शारीरिक निर्बलता तथा सामाजिक एवं आर्थिक विवशताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में असमर्थ होते हैं, शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया हैं, आज शिक्षा को लेकर विकलांग बालक हो या सामान्य बालक सभी में शैक्षिक चिन्ता का असर देखने को मिलता हैं। हमारे देश मे प्रायः सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार की विस्तार योजनाओं का प्रारंभ हुआ हैं। जिसमें कोठारी आयोग की शिक्षा नीति में समानता के शिक्षा सिद्वांत को मान्य किया गया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया और विकलांग बालको की शिक्षा एवं दिशा–निर्देश को विशेष रूप से नीति में स्थान दिया गया। जिससे की सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही विकलांग विद्यार्थियों को उनके अनुरूप कार्य करने का अवसर दिया जाये तथा ऐसा वातावरण दिया जाये जिससे वह उसमें समायोजित हो सकें। विकलांग व्यक्ति या फिर सामान्य व्यक्ति के ज्ञान को संचय करन की प्रक्रिया का मूल्यांकन परीक्षा के रूप में किया जाता हैं, इस परीक्षा की प्रक्रिया में व्यक्ति के मस्तिष्क में अनेक प्रकार के असामान्य प्रश्नों का समावेश होने लगता है, जिससे मानव चिंतित हो जाता हैं, तथा भयभीत होकर सोचने लगता हैं कि उसके परीक्षा का परिणाम क्या होगा। प्रस्तुत शोध पत्र में विकलांग एवं सामान्य विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी चिंता के स्तर का अध्ययन का प्रयास किया गया जिसमें सार्थक अंतर पाया गया हैं।

उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्व तक विश्व में मानवतावादी उदार दृष्टिकोण का अभ्युदय हुआ और विकलांग समेत सभी वर्गो के लिए शिक्षा व कल्याण की बात सोची जाने लगी। विकलांग शिक्षा के क्षेत्र मे 19वी सदी के प्रारंभ से ही विधिवत् प्रयास हुये। 20वी सदी के आरंभ में अमेरिका में समेकित शिक्षा का प्रारंभ हुआ, 20वी शताब्दी के अंतिम 2–3 दशकों में विकलांग बालकों हेतु समेकित शिक्षा कार्यक्रम का विकास हुआ। भारत का संविधान शिक्षा को सातवी अनुसूची के अधीन समवर्ती सूची में रखता हैं, समवर्ती सूची का अर्थ इस सूची के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनो की जिम्मेदारी हैं कि सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें इसके लिए कानून बनाए गए। कोठारी कमीशन आयोग की शिक्षा

** स्पैक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नालेज विलेज, नरदहा, रायपुर, (छ.ग.)*
*** अध्यापक शिक्षण संस्थान. पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ.ग.)*

नीति में समानता के लिए शिक्षा सिद्वांत को मान्य करते हुये, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सभी को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया हैं इसमें विकलांग को शिक्षा व दिशा निर्देश को विशेष रूप से स्थान दिया गया हैं इसी अवधारण के तहत विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था की गई। वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई हैं कि छात्र इन प्रतिस्पर्धा से चिंतित रहते हैं, चिंता के कारण घबराहट, पढ़ाई में ध्यान न लगना तथा परीक्षा की चिन्ता में भूख भी नही लगती हैं इस चिंता से उनका परीक्षा फल भी प्रभावित होता हैं अतः प्रस्तुत अध्ययन में हमनें शारीरिक रूप से विकलांग और सामान्य विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी चिंता का अध्ययन करने का प्रयास किया हैं।

सिंग और बूटा (1992) ने यह पाया, कि 9वी. कक्षा के लड़कों, लड़कियों में तनावग्रस्तता व अधिक सांवेगिकता तथा अभिभावकों का दबाव उनकी परीक्षा चिन्ता को बढ़ा देता है। सुब्बाराज एवं भारती (1996) ने यह पाया, कि परिवार में यदि लोगों की संख्या ज्यादा हैं, तो वहॉ के बच्चों में चिन्ता का प्रभाव ज्यादा तथा जहाँ परिवार में कम लोग हैं उनके बच्चों में चिंता का प्रभाव कम देखा गया हैं। अजवानी एवं शर्मा (2004) ने यह पाया, कि उच्च परीक्षा उपलब्धि वालें छात्रों के निम्न उपलब्धि वाले छात्रो की अपेक्षा परीक्षा चिंता अधिक पाई जाती हैं। सीताराम (1994) ने यह पाया, कि अक्षम बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य "शालाओं में नही हो पाती। शर्मा कुमाराय व मिश्रा (1996) ने 5 चिंताग्रस्त छात्राओं को लेकर उनको एक थेरेपी दी गई इस थेरेपी के पश्चात् यह पाया कि लिए गए प्रयोज्यों के थेरेपी देने के पूर्व के चिन्ता से थेरेपी देने के पश्चात् के चिन्ता प्राप्तांक में कमी पाई गई।

mn~ns'; %

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया गया हैं:–

1. शारीरिक विकलांग और सामान्य विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी चिन्ता का अध्ययन करना।
2. शारीरिक विकलांग बालकों एवं सामान्य बालको के परीक्षा संबंधी चिंता का अध्ययन करना।
3. शारीरिक विकलांग बालिकाओं एवं सामान्य बालिकाओं के परीक्षा संबंधी चिंता का अध्ययन करना।

ifjdYiuk %

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया :–

1. शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों एवं सामान्य विद्यार्थियों के परीक्षा संबंधी चिन्ता के मध्य सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।
2. शारीरिक विकलांग बालको एवं सामान्य बालको के परीक्षा संबंधी चिन्ता के मध्य सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।
3. शारीरिक विकलांग बालिकाओं एवं सामान्य बालिकाओं के परीक्षा संबंधी चिन्ता के मध्य सार्थक अंतर नही पाया जायेगा।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श रायपुर जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों से कक्षा छठवीं से आठवी तक के विकलांग 25 बालकों और 25 बालिकाओं का तथा सामान्य 25 बालकों और 25 बालिकाओं का चयन किया गया। शोध अध्ययन हेतु शोधकर्त्ता द्वारा डॉ. मधु अग्रवाल एवं वर्षा कौशल के द्वारा निर्मित परीक्षा चिंता मापनी का उपयोग किया गया हैं। शोधकर्त्ता ने वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया हैं।

lkj.kh dzekad &1

क्र.	तुलनात्मक समूह	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	'टी' मूल्य
1.	विकलांग विद्यार्थी	50	18.6	7.62	3.58
2.	सामान्य विद्यार्थी	50	13.32	7.12	

df, p<0.05 =1.98 (सार्थक अंतर पाया जाता हैं)

उपरोक्त परिकल्पना की जाँच हेतु एकत्रित आंकडों की सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए प्राप्त आंकडों द्वारा मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः18.6, 13.32 तथा 7.62, 7.12 हैं, जिसका 'टी' मान 3. 58 हैं जो कि सारणी मान तुलना से अधिक है। अतः दोनों समूहो के मध्य सार्थक अंतर हैं, अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती हैं। अतः शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों में सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा परीक्षा संबंधी चिंता अधिक पाया गया।

lkj.kh dzekad &2

क.	तुलनात्मक समूह	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	'टी' मूल्य
1.	विकलांग बालकों	25	17.04	6.15	1.45
2.	सामान्य बालकों	25	14.08	8.16	
df=48, p>0.05=2.01 (सार्थक अंतर नही पाया गया)					

उपरोक्त परिकल्पना की जाँच हेतु एकत्रित आंकडों की सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए प्राप्त आंकडों द्वारा मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 17.04, 14.08 तथा 6.16, 8.16 हैं, जिसका 'टी' मान 1. 45 हैं, जो कि सारणी मान तुलना से कम हैं। अतः दोनों समूहों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं हैं, अतः यह परिकल्पना स्वीकृत हुई। अतः शारीरिक विकलांग बालकों एवं सामान्य बालकों के परीक्षा संबंधी चिंता के मध्य कोई सार्थक अंतर नही पाया गया।

lkj.kh dzekad &3

परिकल्पना की जाँच हेतु एकत्रित आंकडों की सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए प्राप्त आंकडों द्वारा मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 20.16, 12. 56 एवं 8.85, 5.89 हैं, जिसका 'टी' मान 3.75 हैं, जो कि सारणी मान तुलना से अधिक हैं। अतः दोनों समूहों के मध्य सार्थक अन्तर हैं।

क.	तुलनात्मक समूह	प्रदत्तों की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	'टी' मूल्य
1.	विकलांग बालिकायें	25	20.16	8.85	3.75
2.	सामान्य बालिकायें	25	12.56	5.89	
df=48, p<0.05=2.01 (सार्थक अंतर पाया गया)					

अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती हैं। अतः शारीरिक विकलांग बालिकाओं में सामान्य बालिकाओं की अपेक्षा परीक्षा संबंधी चिंता अधिक पाया गया।

“kSf{kd vuqç;ksx %

1. विकलांग बालक एवं बालिकाओं को शासकीय संस्थाओं के अलावा अशासकीय संस्थाओं में भी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करना चाहिए।
2. माता–पिता को बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण हेतु हर संभव प्रयास करना चाहिए जिससे कि बच्चे चिंताग्रस्त न हो।
3. समय–समय पर बड़ी संस्थाओं को छोटी–छोटी संस्थाओं का पर्यवेक्षण करना चाहिए, ताकि उनकी कमियों को दूर किया जा सकें।
4. शिक्षकों तथा अभिभवाकों द्वारा बालक पर परीक्षा के समय किसी भी प्रकार का दबाव नही डालना चाहिए जिससे बालक के मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार न आये।

lanHkZ %

1- अजवानी जे.सी एवं शर्मा आर .(2004) – टेस्ट एन्जाइटी इन रिलेशन टू एकेडेमिक एचीवमेंट इंडियन जनरल ऑफ साइकोमेट्री एंड एजुकेशन वल्यूम–35–2 पेज नं. 123 ।

2. सिंग और बूटा (1992) – *lkfl;k iliuy ofj;,cy ,iM ,Dtkfeu ku ,UtkbVh* जर्नल ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी वल्यूम 20–1, पेज नं. 23–30 ।

3. जायसवाल सीताराम (1994)– *^lek;ktu eukfoKku^* उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी, लखनउ पृष्ठ संख्या 118।

4. मैथ्यु (1974)– *^^'kkjhfjd :i ls fodykx cPpk dh ekufld fLFkfr dk v/;;u^^* अमेरिकन सायकोलाजिकल एवस्ट्रेक्ट 1983 वाल्यूम पेज नं. 181।

5. सुब्बाराजू जी. वाय एवं भारती वी. पी.– *bQDV vkQ Qfeyh Vkbi vku ,UtkbVh ycy vkQ phYMu*, जनरल ऑफ कम्युनिटी गाइडेन्स एंड रिसर्च वाल्यूम–3 पेज नं. 234–250 ।

6. शर्मा कुमाराय व मिश्रा (1996) – *fcgfo;fj;y bVjo ku bu VLV ,UtkbVhd* जनर्ल ऑफ इड़ियन एकेडमी ऑफ एप्लाईड साइकोलॉजी वेल्यूम –14–1,पृष्ठ न. 57–60 ।

✤

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 44-47

अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों का आरक्षण से राजनैतिक विकास

¼ckyk?kkV ftys dh okjkflouh rglhy dh xzke iapk;rksa ds fo'ks"k lanHkZ esa½

** विशाखा मसूरकर*

''शक्ति के विकेन्द्रीकरण के रूप में'' यदि निर्णय लेने की शक्ति ग्रामीण स्तर तक जनता के प्रतिनिधियों को सौंप दी जाए यदि वे ही अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाए और इसमें जनता की सहभागिता रहें तो विकास का लाभ जनसाधारण को निश्चित रूप से मिलेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया गया हैं। 73 वें संविधान संशोधन के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया के वर्तमान अध्ययन का उद्धेश्य अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की आरक्षण से होने वाले राजनीतिक विकास का अध्ययन करना था। बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 50 ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया । अध्ययन में पाया गया कि सर्वाधिक 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि ग्राम पंचायत में आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों का राजनीतिक विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत उनमें अपनी बात रखने की क्षमता का विकास हुआ है और उनका राजनीतिक विकास हुआ है, अन्य 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिला है तथा शेष 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि महिला प्रतिनिधियों का विकास एवं सशक्तिकरण हुआ है।

प्रजातंत्र में सिद्धांत रूप में शक्ति जनता में ही निहित होती है, परन्तु व्यवहार रूप में इसका प्रयोग कुछ सीमित संस्थानों और राजनीतिक संभ्रांत लोगों के हाथ में केन्द्रित होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नवीन संविधान लागू हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को पंचायतों के पुर्नगठन के निर्देश दिए गए (कुमार, 2008)। ग्रामीण पुर्ननिर्माण की दृष्टि से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रांरभ किए गए परंतु जनता को विकास कार्यो का वह लाभ नहीं मिल पाया जिसकी कल्पना की गई थी। परिणाम यह हुआ कि विकास कार्यो में जनता कि सहभागिता नहीं के बराबर रहीं इसका हल ढूंढा गया– ''शक्ति के विकेन्द्रीकरण के रूप में'' यदि निर्णय लेने की शक्ति ग्रामीण स्तर तक जनता के प्रतिनिधियों को सौंप दी जाए यदि वे ही अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाए और इसमें जनता की सहभागिता रहें तो विकास का लाभ जनसाधारण को निश्चित रूप से मिलेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया गया हैं (अवस्थी,2010)।

** पीएचडी शोधार्थी, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू इंदौर (म.प्र.)*

विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है (सिसोदिया,2000)।

73वें संविधान संशोधन के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है (वाधवा,2010)। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होंगे (कटारिया ,2010)। आरक्षित स्थानों की संख्या ग्राम पंचायत की समस्त जनसंख्या में इन जातियों के अनुपात के आधार पर निश्चित होगी (द्विवेदी ,1993)।

v/;;u dk mn~ns'; %

1. अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों में ग्राम पंचायत एवं आरक्षण के संबंध में जानकारी के स्तर का अध्ययन करना।
3. ग्राम पंचायत में आरक्षण से अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों में होने वाले राजनीतिक विकास का अध्ययन करना।
4. अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के विकास में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करना।

अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील का चयन किया गया है। अध्ययन की इकाई वारासिवनी तहसील के अनुसूचित जनजाति के 50 ग्राम पंचायत प्रतिनिधि है। उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वारासिवनी तहसील की ग्राम पंचायतों का चयन कर दैव निदर्शन की नियमित अंकन पद्धति द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 50 ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया है।

समंको का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक समंको का संकलन साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, समूह चर्चा के माध्यम से किया गया है तथा द्वितीयक समंको का संकलन विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों, शासकीय अभिलेख, इंटरनेट आदि के माध्यम से किया गया है।

ifj.kke ,oa 0;k[;k %

उद्देश्यों के अनुसार अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया गया है

mRrjnkrk dk fyax %

rkfydk Ø- 1

Ø-	fooj.k	mRrjnkrkvksa dh la[;k
1.	पुरूष	30
2.	महिला	20
	dqy ;ksx	50

उपरोक्त तालिका कमांक 1 में उत्तरदाताओं से शोधार्थी द्वारा जानकारी एकत्रित की गई, तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कुल 50 उत्तरदाताओं में से 30 उत्तरदाता पुरूष प्रतिनिधि तथा शेष 20 उत्तरदाता महिला प्रतिनिधि है।

ifjokj dh okf"kZd vk; %

rkfydk Øekad % 2

Ø-	fooj.k	mRrjnkrkvksa dh la[;k
1.	10–20 हजार	10
2.	21–30 हजार	12
3.	31–40 हजार	18
4.	41 से अधिक	10
	dqy ;ksx	50

उपर्युक्त तालिका में शोध अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय के अंतर्गत कुल 50 उत्तरदाताओं में से 10 उत्तरदाताओं की आय 10–20 हजार थी, 12 उत्तरदाता ऐसे पाए गए, जिनकी 21 से 30 हजार आय थी, 18 उत्तरदाताओं की आय 31 से 40 हजार थी एवं शेष 10 उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 41 हजार से अधिक थी। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश प्रतिनिधियों की वार्षिक आय कम है।

mRrjnkrkvksa esa xzke iapk;r O;oLFkk dh tkudkjh%

rkfydk Øekad % 3

Ø-	fooj.k	mRrjnkrkvksa dh la[;k
1.	हाँ	45
2.	नहीं	5
	dqy ;ksx	50

अध्ययन क्षेत्र में शोधार्थी द्वारा चयनित उत्तरदाताओं से आपको ग्राम पंचायत व्यवस्था की जानकारी है, के संबंध में जानकारी तालिका क्र.3 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 45 उत्तरदाताओं ने कहा उन्हें ग्राम पंचायत व्यवस्था की जानकारी है, शेष 5 उत्तरदाताओं ने कहा उन्हें ग्राम पंचायत व्यवस्था की जानकारी नहीं है। इस प्रकार सर्वाधिक उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें ग्राम पंचायत व्यवस्था की जानकारी है।

xzke iapk;r esa vkj{k.k O;oLFkk dh tkudkjh%

rkfydk Øekad % 4

Ø-	fooj.k	mRrjnkrkvksa dh la[;k
1.	हाँ	43
2.	नहीं	7
	dqy ;ksx	50

उपर्युक्त तालिका में शोध अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उत्तरदाताओं से आपको ग्राम पंचायत में आरक्षण व्यवस्था के संबंध में जानकारी है, के संबंध में उपर्युक्त तालिकानुसार कुल 50 प्रतिनिधियों में से सर्वाधिक 43 उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें ग्राम पंचायत में आरक्षण व्यवस्था के संबंध में जानकारी है तथा शेष 7 उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें ग्राम पंचायत में आरक्षण व्यवस्था के संबंध में जानकारी नहीं है। अतः उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं को आरक्षण व्यवस्था की जानकारी है।

vkj{k.k }kjk vuqlwfpr tutkfr izfrfuf/k;ksa dk jktuhfrd fodkl %

rkfydk Øekad % 5

Ø-	fooj.k	mRrjnkrkvksa dh la[;k
1.	अपनी बात रखने की क्षमता का विकास	20
2.	शासन की योजनाओं का लाभ मिला	12
3.	महिलाओं का विकास एवं सशक्तिकरण हुआ	18
	dqy ;ksx	50

उपर्युक्त तालिका क्र. 5 में शोधार्थी द्वारा चयनित उत्तरदाताओं से आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों का राजनीतिक विकास हुआ है के संबंध में कुल 50 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 20 उत्तरदाताओं का कहना है कि ग्राम पंचायत में आरक्षण द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों का राजनीतिक विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत उनमें अपनी बात रखने की क्षमता का विकास हुआ है और उनका राजनीतिक विकास हुआ है, अन्य 12 उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिला है तथा शेष 18 उत्तरदाताओं का कहना है कि महिला प्रतिनिधियों का विकास एवं सशक्तिकरण हुआ है।

leL;k,a ,oa lq>ko %

1- **vuqlwfpr tutkfr oxZ ds izfrfuf/k;ksa dks iapk;r ls osru izkIr ugha gksrk gS&** अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें ग्राम पंचायत से वेतन प्राप्त न होने पर वे पंचायत की गतिविधियों में सक्रिय नहीं रहते। वेतन मिलने से वे उत्साहपूर्वक ग्राम पंचायत की गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे।

2- **vuqlwfpr tutkfr ds izfrfuf/k;ksa esa xzke iapk;r dh dk;Zokgh ,oa lapkyu lac/kh tkudkjh de gS&** अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि अशिक्षित या कम शिक्षित होते है, उन्हें शासकीय कार्यवाही की जानकारी कम होती है। इसलिए उन्हें सरलतापूर्वक सारी कार्यवाहियों की जानकारी

प्रदान की जानी चाहिए।

3- vu|lfpr tutkfr efgyk i:frfuf/k;k dk xke ipk;r e de :>ku g& अनुसूचित जनजाति महिला प्रतिनिधियों को जागरूक कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे उनमें ग्राम पंचायत गतिविधि की ओर रूझान बढ़े एवं वे अधिक से अधिक सहभागी बने।

4- i:frfuf/k;k dk i:f'k{k.k dh tkudkjh ugh feyuk & प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की जानकारी मिलने से उन्हें प्रशिक्षण में अधिक से अधिक ग्राम पंचायत की जानकारी मिल सकेगी एवं वे ग्राम पंचायत कार्य संचालन में सहभागी हो सकेंगे एवं उनका राजनीतिक विकास होगा।

5- vu|lfpr tutkfr i:frfuf/k;k dh leL;kvk ij /;ku u fn;k tkuk & अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे उनमें झिझक एवं संकोच खत्म होगा तथा वे जागरूक एवं उत्साहपूर्वक अपनी समस्याओं को रख, अपना विकास कर सकेंगे।

fu"d"k %

निष्कर्षतः ग्राम पंचायत में आरक्षण के माध्यम से ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधियों का राजनीतिक विकास हुआ है। उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। उन्हें पंचायत की कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त हुई है, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी ग्राम पंचायत में आरक्षण के माध्यम से होने लगी है।

---

lnHk %

1. कुमार पुर्णेन्दु (2008), *^^e-i- foLr`r v/;;u]*** अरिहंत पब्लिकेशंस प्राधिकृत लिमिटेड, मेरठ, पृ. 157 ।

2. अवस्थी आनंद प्रकाश (2010), *^^e-i- e LFkkuh; i'kklu^^*, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ.1 ।

3. सिसोदिया यतीन्द्र सिंह (2000), *^^ipk;r jkt ,o vu|lfpr tkfr efgyk urRo^^*, रावत पब्लिकेशनस, जयपुर, पृ.17 ।

4. वाधवा शालिनी (2010), *^^Hkkjrh; LFkkuh; i'kklu^^]* अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 184

5. कटारिया सुरेन्द्र (2010), *^^ipk;rh jkt lLFkk,] vrhr] ortekku vkj Hkfo";^^]* नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पृ. 33 ।

6. द्विवेदी राधेश्याम (1993), *^^e-i- ipk;r jkt ,o xke Lojkt vf/kfu;e**]* सुविधा लॉ हाउस प्राधिकृत लिमिटेड, भोपाल, पृ.29 ।

✤

Mind & Society, ISSN 2277-6907
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 48-53

बैगा जनजाति विकास की शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन (राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

* खड़क सिंह चौहान
* प्रिया धीमन

बैगा आदिवासी संस्कृति समग्र भारतीय संस्कृति कि अनमोल धरोहर है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के विकास कार्यक्रम न मानकर स्थानीय स्व शासन की संस्थाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। योजना के कियान्वयन के साथ साथ उसका मूल्यांकन, कार्य की गुणवत्ता तथा पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जनजातियों की आर्थिक स्थिति को सृदृढ़ किया जाना अतिआवश्यक नहीं। बालाघाट के विकास में बाधक तत्व नक्सलवाद को समाप्त कर देना चाहिए। सामाजिक विकास के लिए अन्य समुदाय के विकसित लोगों से सम्पर्क एवं मेल जोल आवश्यक है। बालाघाट क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण रोजगार प्राथमिक आवश्यकताओं के अवसर प्रदान करने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जा सकता है। सामाजिक विकास एवं राजनैतिक चेतना हेतु युवाओं में नेतृत्व विकसित करना अतिआवश्यक है। जिससे सभी क्षेत्रों में उनका सर्वागीण विकास होगा। इसके लिए समाजको संगठित एवं सुदृढ़ करना जरूरी है। यह जन जागृति पैदाकर किया जा सकता है। जनजातियों के विकास के लिए अतिआवश्यक है कि उनकी प्रत्येक समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में आंका जाये और स्थानीय परिस्थितयों को ध्यान में रखकर ही नीतियों को बनाया जाए। क्योंकि जनजातीयों की कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती है।

जनजाति समाज विकास की मुख्यधारा में विशेष रूप से पिछड़ा रहा है। समाज के मुख्यधारा में इनको लाना विशेष चुनौती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इनकी सामाजिक, आर्थिक दशा सुधारने के लिये काफी प्रयास किया गया है। अनेकों नीतियॉ बनाई गई हैं फिर भी यह देखा जा रहा है, कि इनके विकास की चुनौती बरकरार है। बैगा जनजाति भारत के मूल निवासी हैं। यह जाति प्रारंभ से ही दूरस्थ स्थानों पर निवास करते है। परिणामस्वरूप आदिवासियों पर शहरी सभ्यता एवं विकास का बहुत कम प्रभाव पड़ा हैं। इसी कारण ये सदैव ही प्रगति के नवीन साधनो के अभावो से ग्रस्त रहे है। जनजाति शब्द अपने आप में असीम, अनुपम और अद्भूत इतिहास संजोए हुए है। इसका उच्चारण करते ही पुरातन संस्कृति सम्पन्न जन समूह की एक झलक सामने आ जाती है। आदिवासी संस्कृति समग्र भारतीय सस्कृति कि अनमोल धरोहर है। प्रस्तुत शोधपत्र में बैगा जनजाति के विकास हेतु भावी नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला गया है।'' बैगा'' जनजाति मध्यप्रदेश राज्य के जनजातीय बहुल 'बालाघाट' जिले में निवास

* पीएचडी शोधार्थी, (समाजशास्त्र), डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान्, डॉ अम्बेडकर नगर, महू (म0प्र0)
** एम.फिल. शोधार्थी,, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान् डॉ अम्बेडकर नगर, महू (म0प्र0)

करती है। जिले के कुल 10 विकास खंड में से 3 विकास खंडों में इनकी कुल जनसंख्या 2001 की जनगणाना के अनुसार 337182 है। मानव सभ्यता विकास के विकास क्रम में ये पिछड़ी अवस्था में हैं। जिले के सुदूर क्षेत्रों, वनों में इनका निवास हैं। ये कई गोत्र एवं उप गोत्रों में है। इनके घर प्रायः मिट्टी के बने होते हैं। इनके प्रमुख आर्थिक स्रोत कृषि, वनोपज संग्रह, मजदूरी इत्यादि है। इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लियें बैगा जनजाति अभिकरण का गठन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों पर सर्वाधिक ध्यान एवं गम्भीर चिंतन की आवश्यकता है। इन विशेष पिछड़ी जनजातियों में बैगा जनजाति का महत्वपूर्ण स्थान है।

बैगा जनजाति को अत्यन्त पिछड़े स्तर पर रहते हुए शेडयुल्ड एरिया एण्ड 'शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन' ने 1960–61 में मध्यप्रदेश की छठवीं विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अनुसूचित किया है। विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता निम्न तथ्यों को ध्यान में रखकर दी गयी। शिक्षा का अति निम्न स्तर, करीब–करीब स्थिर जनसंख्या, वन संसाधनों पर निर्भरता, विशेष स्वास्थ्य समस्याओं से समानता ,अस्तित्व के संकटपूर्ण स्तर पर जीवित, तुलनात्मक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में निवास (तिवारी, 2000)।

मध्यप्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजातियॉ एवं सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है। मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.3 प्रतिशत भाग जनजातीय जनसंख्या का है। मध्यप्रदेश की प्रमुख जनजातियों मैं गोड ,भील, कोल, कोरबा, सहरिया, बैगा, भारियां, कमार, कोरकू एवं प्रधान आदि है। बैगा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी,मंडला एवं बालाघाट जिलो मैं निवास करती है। बालाघाट जिले की बैहर तहसील मैं बैगा जनजाति की प्रमुख बसावट है। बैहर तहसील 22.19^0 से 21.24^0 अक्षांश एवं 79.39^0 से 81.39^0 देशान्तर पर स्थित है। बालाघाट जिले का एक तिहाई भाग मैदान एवं दो तिहाई भाग पहाड़ों से घिरा हुआ है। जिले का कुल वन क्षेत्रफल 829 हेक्टेयर है। इसकी जनसंख्या 2001 की जनगणाना के अनुसार 337182 है जिसमैं से 181101 जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है बालाघाट जिले की अधिकांश आदिवासी जनसंख्या इसी क्षेत्र मैं निवास करती है (मध्यप्रदेश शासन 2009,अ)।

बैहर तहसील के अंतर्गत बालाघाट जिले के तीन आदिवासी विकासखंड बैहर, बिरसा एवं परसबाडा शामिल हैं। संपूर्ण बैहर तहसील क्षेत्र भारत शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गाया है। बैहर कि बैगा जनजाति को भारत शासन द्वारा विशेष पिछडी जनजाति घोषित की गई है एवं इसके विकास के लिए बैहर मैं बैगा विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। बैहर का संपूर्ण क्षेत्र वनों से ढका हुआ पहाड़ी–पठारी भाग है । दक्षिण बैहर का अधिकांश भाग जहॉ बैगा जनजाति की 50 प्रतिशत जनसंख्या का एकत्रिकरण है वही भाग नक्सली गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ है (मध्यप्रदेश शासन 2009,अ)।

बैगा जनजाति की पिछड़ी हुई दशा को देखते हुए इनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास की वर्तमान दशा का अध्ययन कर विकास हेतु उपयुक्त सुझावो को प्रस्तुत करने हेतु शोध कार्य किया गया है प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिले की बैहर तहसील है । बैगा विकास अभिकरण के कार्यक्रमों में बैगा जनजाति की जनभागीदारी का अध्ययन करना भी इस अध्ययन का प्रमुख ध्येय रहा है। प्रस्तुत शोध हेतु अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना के अंतर्गत अध्ययन किया गया । बालाघाट जिले की बैहर तहसील के जनजातीय बहुल तीन विकासखण्ड का उद्देश्य पूर्ण निदर्शन द्वारा चयन किया गया है

fofHkUu ;kstuk vUrxir tutkrh; fodkl%

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत (1961–66) राज्य सरकार ने कुल 1021.61 लाख रू. आदिवासी कल्याण पर खर्च किए, जिसमें सर्वाधिक 60 प्रतिशत राशि (612.96 लाख रू.) आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर खर्च की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल (1969–74) पॉचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79) विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए राज्य

की योजनाओं और केन्द्र सरकार की ओर से विशेष प्रावधान किए गये। शासन ने प्रथम उपयोजना काल में 255.79 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान रखा। छठी आदिवासी उपयोजनाकाल तक एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं की संख्या 62 हो गई। मध्यप्रदेश शासन ने इस उपयोजनाकाल में 629.04 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा, किन्तु 656.41 करोड़ रूपये व्यय किये गये। सांतवी पंचवर्षीय योजना काल (1985–90) में उपयोजना क्षेत्र के लिए कुल 1298. 70 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया। 1990 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया। साथ ही अति पिछड़ी जनजातियों के लिए 6 विकास अभिकरणों को गठित किया गया। हालांकि सभी अभिकरणों का गठन 1980 में ही कर लिया गया, किन्तु सहरिया विकास अभिकरण ने 1984–85 से कार्य करना प्रारंभ किया। देश की जिन पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु अभिकरण कार्यरत है, वे जनजातियां एवं उनके क्षेत्र निम्न प्रकार है। सांतवी पंचवर्षीय योजना काल (1985–90) में उपयोजना क्षेत्र के लिए कुल 1298.70 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया। 1990 में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया। साथ ही अति पिछड़ी जनजातियों के लिए 6 विकास अभिकरणों को गठित किया गया। हालांकि सभी अभिकरणों का गठन 1980 में ही कर लिया गया, किन्तु सहरिया विकास अभिकरण ने 1984–85 से कार्य करना प्रारंभ किया। देश की जिन पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु अभिकरण कार्यरत है, मध्यप्रदेश शासन (2009,स)।

“kklu dh dY;k.kdkjh ;ktuk ½

केन्द्र क्षेत्र योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के परिवारों हेतु विशेष पिछड़ी जनजाति समूह म.प्र. भोपाल से स्वीकृत नीचे लिखि योजनाओं से लाभांवित किया जाना, 1. जनश्री बीमा योजना 2. शिक्षा 3. स्वास्थ्य 4. कृषि कार्यक्रम 5. आवास योजना 6. पेय जल योजना 7. आजीविका 8. योजनाओं का शोध एवं मूल्यांकन 9 जनश्री बीमा योजना मध्यप्रदेश शासन (2009,ब)।

o"k 2007&08 l ikjHk fd; x; d tjo'ku de M0yieV lyku ¼lj{k.k lg fodkl ;ktuk½ e ikjHk dh xbl ;ktuk, ½

स्थानीय बोली में पढ़ाने हेतु एक अतिरिक्त संविदा शिक्षक वर्ग–3 2. अतिरिक्त आंगनबाड़ी शिक्षिका/नर्सरी शिक्षिका (पी.टी.जी.) । 3. विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में संचालित छात्रावासों में। 5. शक्तिमान योजना । 6, विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना । 7, स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु मोबाइल वेन । 8, कृषि विकास कार्यक्रम विद्युतीकरण आदिवासी उपयोजना क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत शासन द्वारा पंपों के उर्जीकरण, मजरे/टोलों एवं एकल बत्ती कनेक्शन हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है (नीतिमार्ग 2010)।

अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास के लिये 2009–10 की वार्षिक आयोजना में 3,205 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान किया गया, जो कि 2008–10 में किये गये 2,121 करोड़ रूपये के व्यय की तुलना में 33.82 प्रतिशत अधिक है। 2009–10 के व्यय में 900.50 करोड़ रूपये का संघरक टी.एस.पी. उपयोजना के लिये प्रावधान किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों के लिये आवासीय शिक्षा कि लिये 500 करोड़ रूपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त जनजातीय उपभोक्ता में आय सृजन कार्यक्रम, अधोसंरचना का निर्माण, स्वयं सहायता समूहों तथा वन्य ग्रामों के विकास के लिये 100 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यों को अनुदान सहायता भी प्रदान किया जाता है। मैट्रीककोत्तर छात्रवृति की स्कीम के अंतर्गत छात्रों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा की किसी संस्थान में अध्ययन हेतु प्रतिवर्ष 625

छात्रों को विशेष वित्तीय सहायता दी जाती है। विदेशों में अध्ययन हेतु 15 पात्र छात्रों को भी विशेष सहायता दी जाती है। इनके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से हितग्राहियों एवं उद्यमियों को रोज़गार हेतु ब्याज की कम दरों पर ऋणों एवं लघु क्रेडिट के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है मध्यप्रदेश शासन (2009,स)।

cxk fodkl vfHkdj.k }kjk lpkfyr ;ktuk,%

बैगा कृष्णो हेतु वर्मी कम्पोस्ट खाद/एग्रीकल्चर कीट उन्नत नस्ल के बीज, खाद तथा कीटनाशक दवा तथा कृषि यंत्र प्रदाय। डीजल पंप व्यवसाय समाग्री का प्रदाय । बैल–जोडी नर्सरी प्रशिक्षण कार्यक्रम, मत्स्य बीज, जॉल , नॉव का प्रदाय। कृषि उपज संग्रहण एवं प्रशिक्षण तथा साईकिल का प्रदाय। मधुमक्खी पालन के संग्रहण प्रशिक्षण एवं आवश्यक समाग्री का प्रदाय।रस्सी/गुलदस्ता व्यवसायिक प्रशिक्षण कर । महिला हस्तकला व सिलाई–कढ़ाई का प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मशीन प्रदाय।

गतिविधियां यथा कृषि, पशुपालन के अंतर्गत गाय एवं बैल जोड़ी का प्रदाय, लघु सिचाई उद्यानिकी, उद्योग एवं सेवाएं और प्रशिक्षण संबंधी कार्यो, मध्यप्रदेश शासन (2009,ब)।

cxk tutkfr d vkfFkd ,o lkekftd thou ij iHkko %

जनजाति क्षेत्र में बैगा जनजाति अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास का विस्तृत अवलोकन करें तो कुछ आधारभूत तत्व स्पष्ट हो। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार हुआ। बैगा क्षेत्र में शिक्षा के विकास की गति अत्यन्त धीमी रही है। वस्तुतः इस मामले में यहाँ के बैगा जनजातिय क्षेत्र देश में सबसे अधिक पिछड़े हुए है। बैगा समाज पर इस विकास का प्रभाव नितान्त भिन्न रहा है।ये समाज एक साथ आर्थिक विकास की अनेक स्थितियों में जीवन–यापन कर रहे है, कहीं तो हमें कृषि–पूर्व अर्थव्यवस्था जैसी की तैसी मिलेगी, मानों कही कुछ बदला ही नही जंगल काटा, जलाया, जो उपज हो गई उसी में संतोष् ! पर दूसरी ओर उनमें से कुछ अत्याधुनिक आर्थिक व्यवस्था में पहुँच गए है और अपने विकास में निर्णायक भूमिका अदा कर रहे है।

बैगा जनजाति क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया जनजाति समाज को एक ओर छोड़ती हुई अग्रसर हो रही है। वह उसकी नयी चुनौतियों से असंबद्ध है। जनजाति इस तीव्र परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि नयी व्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक शिक्षा से भी वे अभी तक वंचित रहे है। नई आर्थिक संभावनाएँ एक के बाद एक बड़ी तेजी से सामने आ रही है। इनके कारण उच्च कौशलयुक्त और नयी व्यवस्था से सुपरिचित बाहरी लोग आकर्षित हो रहे है। बैगा जनजाति क्षेत्रों की विशेषता है, उनका अलगाव, उनकी आर्थिक गतिविधियों की धीमा स्पन्दन और एक स्वयंपूर्ण सामाजिक संरचना। उनके अलगाव के लिए वहां की कठिन भौगोलिक स्थिति ही जिम्मेदार है।

बैगा जनजाति अर्थव्यवस्था वनों की और उसके दोहन की रीति–नीति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जनजाति समाज की बदलती हुए सामाजिक, आर्थिक संरचना में गतिशील अन्तर्निहित प्रक्रियाओं और वन व्यवस्था के लिए उनके निहितार्थो के स्पष्ट विश्लेषण की आवश्यकता है। इससे वनों और जनजातीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एवं स्वयं के विकास हेतु कार्यनीति के निर्धारण में सहायता मिल सकती है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जनजाति तथा वन संरचना का दूसरा पहलू भी उल्लेखनीय है। वन्य क्षेत्रों में आबादी विरल है। वहां बहुधा ऐसे जनजाति समाज निवास करते है, जो अर्थव्यवस्था के विकास क्रम में अन्य लोगों की तुलना में बहुत पीछे है। इसलिए समृद्ध प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी ये क्षेत्र अपेक्षाकृत कम विकसित है। बैगा जनजाति जनजातीयां अब भी अपने भोजन के लिए अनेकों वस्तुएं वनों से प्राप्त करती है। इनमें कुछ को बाजार में बेचकर आवश्यकता की अन्य वस्तुएं तेल, नमक, गुड़, कपड़ा, आदि खरीदते है। इनमें महुआ, चिरौंजी, लाख, तेंदूपत्ता, आंवला, शहद, गोंद मुख्य है। इनमें से अधिकांश का राष्ट्रीयकरण

हो चुका है। अतः जनजाति इनके संग्रह में भी मजदूर की भूमिका निभाता है। इन लघु उपजों के अलावा साल के बीज, हर्रा बहेरा, विविध प्रकार की पत्तियों, घास आदि भी इनके द्वारा वनों से प्राप्त किये जाते है।

बैगा जनजातियों की अर्थव्यवस्था उन्नत समाज की अर्थव्यवस्था से नितान्त भिन्न होती है। परंतु जनजाति समाज अत्यंत सरल होता है और इनकी निजी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती है। इन सीमित आवश्यकताओं के लिए मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर होते है। वन न केवल इनके वांछित प्रिय निवास क्षेत्र रहे है, बल्कि आजीविका के स्त्रोत भी रहे है। प्रारंभिक काल में ये वन इन्हें समुचित शिकार प्रदान करते थे। औद्योगिक मानव के लिए तो वन विभिन्न कच्चे माल के स्त्रोत होते है, अथवा एक उन्मुक्त प्रदूषण रहित पर्यटन का स्थान है। परंतु आज भी जनजातियों का वनों से सकारात्मक एवं भावनात्मक संबंध है। वनों का विस्तार चल रहा है और उनका वनों के दोहन का अधिकार घट गया है, फिर भी जनजाति वनों में ही अपना जीवन–यापन का अथक प्रयास करने में जुटा रहता है।

राज्य ने वनों पर न केवल जनजातियों के असीमित अधिकार को समाप्त कर दिया, बल्कि वन संसाधनों का व्यापारिक स्तर पर दोहन प्रारंभ किया। जनजातियो द्वारा वनों का परंपरागत उपयोग उस बहुमूल्य संपत्ति के अपव्यय के रूप में देखा जाने लगा। अब वनों के दोहन के लिए निगम की स्थापना की जा चुकी है। यह निगम वनों को समग्र उत्पादन व्यवस्था मे एक घटक के रूप में मानता है, और उसका उपयोग लाभ हानि के अर्थशास्त्र की दृष्टि से करता है। इसमें स्थानीय आदिवासी अर्थव्यवस्था के लिए कोई स्थान नही है। इस तरह सदियों से वनों को अपना मानने वाला जनजातियों का अचानक उनसे अलग कर दिया गया है। कम से कम सौद्धांतिक रूप से। भाग्य चक्र कुछ इस तरह बदल गया है कि जिस वन संपदा के वे मालिक होते थे, उसी के दोहन के मजदूर बन गये है, और आधुनिक अर्थतंत्र से अनभिज्ञ होने के कारण उसका भी लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, तथापि जनजाति वनों से जुड़े हुए है, पर उनके पुराने आत्मीय संबंध नही रहे। सिमटते हुए वनों और उन पर निरंतर बढ़ते प्रतिबंधों एवं दबावों के कारण जनजातीय लोग कृषि और पशुपालन की ओर भी मुड़ने लगे हैं।

l>ko %

(1) सामाजिक–सांस्कृतिक परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाये। जनजातियॉं अपनी परंपरागत मूल्यों के प्रति संवेदनशील रहती है। कोई भी विकास योजनाएॅं यदि इसके विपरित होती है, तो वे उसके प्रति उदासीन हो जाती है।

(2) क्षेत्र विशेष की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाये। एक ही प्रकार की विकास नितियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन सार्वभौमिक रूप से नही किया जा सकता हैं।

(3) बालाघाट को केन्द्र एवं राज्य सरकार के विकास कार्यक्रम के कियान्वयनकर्त्ता न मानकर स्थानीय स्व शासन की संस्थाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी भी निम्न नीतियों के निर्माण के पूर्व समाज वैज्ञानिक तथा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की टीम द्वारा सर्वेक्षण कराया जाये तथा प्रतिवर्ष इसकी समीक्षा कराई जाये।

(4) बालाघाट क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण रोजगार प्राथमिक आवश्यकताओं के अवसर प्रदान करने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जा सकता है सामाजिक विकास के लिए अन्य समुदाय के विकसित लोगों से सम्पर्क एवं मेल जोल आवश्यक है।

(5) योजना के क्रियान्वयन के साथ साथ उसका मूल्यांकन, कार्य की गुणवत्ता तथा पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए

(6) सामाजिक विकास एवं राजनैतिक चेतना हेतु युवाओं में नेतृत्व विकसित करना अति आवश्यक है। जिससे सभी क्षेत्रों में उनका सर्वागीण विकास

होगा। इसके लिए समाज को संगठित एवं सुदृढ़ करना जरूरी है। यह जन जागृति पैदाकर किया जा सकता है।

(7) स्वरोजगार बढ़ाने हेतु स्थानिय कुटीर उद्योग, आचार, पापड़, सेप, सांस, बॉस टोकनियॉं, कलाकृतियों मृदृमान्ड कला को प्रोत्साहित कर इनके विकल्प की व्यवस्था की जाये।

(8) शासकीय योजनाओं के कियान्वयन के साथ साथ पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। योजनाओं का कियान्वयन करते समय किसी भी प्रकार की स्थानीय स्तर संशोधन की आवश्यकता हो तो योजनाओं के कियान्वयन की दिशा भटकती प्रतीत होती है।

---

lanHkZ %

मध्यप्रदेश शासन (2009,अ) *ftyk lkf[;dh iqfLrdk,* कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी जिला बालाघाट (म.प्र.)।

मध्यप्रदेश शासन (2009,ब) *izxfr,* बैगा विकास अभिकरण परियोजना बैहर, (म.प्र.)।

मध्यप्रदेश शासन (2009,स) *iz'kkldh; izfronu]* सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बालाघाट, (म.प्र.)।

मध्यप्रदेश शासन (2009–2010) *iz'kkldh; izfronu* भोपाल, (म.प्र.)।

तिवारी, शिवकुमार (2000), *^^e-iz- dh tutkfr;k** म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (म.प्र.)।

नीतिमार्ग (2010) अंक दिसम्बर भोपाल, (म.प्र.)।

✤

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 54-57

डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन

** विमल कुमार कोली*
*** आशा कोली*

डॉ. अम्बेडकर संविधान निर्माता एवं एक महान सामाजिक चिन्तक थे। ये दलित परिवार से ताल्लुक रखते थे इसलिए प्रारम्भिक जीवन में बहुत से अपमान सहे, उन्होनें देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला चतुवर्ण से उपजी अस्पृश्यता जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक सामाजिक समानता का सवाल ही नहीं उठता। छुआछुत को दूर करने हेतु तीन उपदेश दिये– शिक्षित बनों, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉ. अम्बेडकर ने जाति उन्मूलन सम्बन्धी सुझाव दिये – (1) एक वर्णीय व्यवस्था के अन्तर्गत – जाति संस्था के नाश पर बल दिया (2) अर्न्तजातीय विवाह को बढ़ावा दिया (3) हीन आदतों के अन्तर्गत मांस भक्षण, झूठा भोजन खाना आदि के निषेध पर बल दिया। दूसरे गोलमेज सम्मलेन में डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्यों के लिए मताधिकार दिलाने की जोरदार वकालत की। उनका मानना था कि जब ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से जन्म दिया है तो इन्सान भेद–भाव करने वाला कौन होता है। एक आदमी ऐशो–आराम का जीवन व्यतीत करता है और दूसरा आदमी कोल्हू के बैल की तहर पिसता है। ऐसा क्यों? अर्थात् अम्बेडकर ने भारतीय समाज में फैली छुआछुत, ऊँच–नीच, जाति प्रथा, चतुवर्ण व्यवस्था आदि विसंगतियों के विरूद्ध संघर्ष किया क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से भी इन समस्यों से पीड़ित थें। इस संघर्ष में काफी हद तक उन्हें सफलता मिली लेकिन सच पूछा जायें तो लेसमात्र सुधार को छोड़कर आज भी यही स्थिति है।

'आधुनिक मनु' एवं 'दलितो के मसीहा' कहे जाने वाले डा0 अम्बेडकर का सामाजिक चिन्तन दलित विमर्श का एक कालजयी उपागम है। डा0 अम्बेडकर की जीवन पृष्ठभूमि निर्धनता से राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा बनने तक की सम्पूर्ण यात्रा में निहित है। 14 अप्रेल 1891 में महु छावनी के महार कुल में जन्मे ये अपने पिता राम जी सकपाल के 14वें पुत्र रत्न थे। इनका प्रथम विवाह सजातीय कन्या रमाबाई से एवं द्वितीय विवाह 1948 में सारस्वत ब्राह्मण कन्या डा0 शारदा कवीर से हुआ। मुम्बई के एलफिन्स्टन कॉलेज से स्नातक परीक्षा पास करने के बाद एम0ए0 एवं पी0एच0डी0 उपाधियां कॉलम्बिया विश्वविद्यालय (अमेरिका) से प्राप्त कर 1923 में बैरिस्टर बने। वकालात का व्यवसाय करते हुए दलित विमर्श के सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता बने। डा0 अम्बेडकर आज भी निर्बलो के उत्थान का पर्याय है।[1] अतः उनका सामाजिक चिन्तन निःसन्देह राष्ट्रीय सम्पदा होगा ही।

Lkkekftd fpUru ,o lekurk %

सामाजिक चिन्तन की अगर हम बात करें

* प्रवक्ता, महिला महाविद्यालय आई.ए.एस.ई. विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर
** शोधार्थी, राजीव गॉधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (छ0ग0)

तो जब उन्होने देश की सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का गहन अध्ययन किया तो वे इस कटु सत्य से जरूर अवगत हो गये कि वे जब तक अछूत समझे जाते रहेंगें समाज में उन्हे उचित स्थान नही मिलेगा और इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे की हिन्दु धर्म के चर्तुवर्ण से उपजी अस्पृश्यता ही तथाकथित दलित वर्ग के पिछड़ेपन का मूल कारण है। जब तक यह भेदभाव नही मिट जाता सामाजिक समानता का कोई प्रश्न ही नही उठता। दलित वर्ग के लोगों में जाग्रति लाने हेतु एवं अछूतों को स्वर्णो के समान स्तर पर लाने हेतु एक आन्दोलन चलाया जो केवल छुआछूत तक ही सीमित नही था बल्कि भारत भूमि से जातिवाद एवं वर्णवाद के भेद को समूल नष्ट करने को उतारू था।

छुआछूत निवारण हेतु 1927 में पहाड़ मे सार्वजनिक सभा आयोजित की, चारदार तालाब में सामूहिक रूप में पानी पीया यह वहीं तालाब था जहां अछूतों को पानी पीना वर्जित था इसके बाद कालाराम मन्दिर में अछूतों के प्रवेश निषेध के विरूद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने अस्पृश्यता की जड़ चतुवर्ण को समाप्त करने के लिए कोई कसर नही छोड़ी। अधिकांश इतिहासकारों का तर्क हैं कि यह व्यवस्था श्रम विभाजन के आधार पर हुई थी।[2] लेकिन अम्बेडकर इस मत से सहमत नही थे उनका कहना था अगर ऐसा ही था तो अन्य देशों में ऐसी व्यवस्था क्यों नही हुई ?

1930 की गोलमेज कान्फ्रेस (पितेज) में अम्बेडकर ने कहा कि अंग्रेजी हुकुमत ने अछूतों की स्थिति में सुधार हेतु कोई प्रयास नही किया, कुऐं, तालाबों पर चढ़ना, पुलिस सेवा में चयन के द्वार अभी भी बन्द थें । उच्च वर्णो के दुर्व्यवहार से निजात पाने हेतु एक बार धर्म परिवर्तन की बात भी उनके जहन में आयी थी लेकिन राष्ट्रीय एकता को खतरा समझकर यह इरादा भी बदला। मनुस्मृति को भी नया रूप दिया। जातीय भेदभाव एवं छुआछूत को कानूनन रद्द करने वाले भारतीय संविधान के रचयिता बने ।

"वू वर दे शूद्राज", "दे अनटचेबल वू आर दे" आदि ग्रन्थों में हरिजन सुरक्षा कि पुरजोर वकालत की।[3]

येलवा सम्मेलन में प्रतिज्ञा ली कि ''मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ हूँ क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नही थी किन्तु मैं हिन्दू धर्मावलम्बी रह कर नही मरूगाँ।''

f=l=h; mins k %

उन्होंने अस्पृष्यता को दूर करने हेतु तीन उपदेश दिये ''शिक्षित बनो'' ''संगठित रहो'' ''संघर्ष करो'' और उन्होने आत्मसम्मन, स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाते हुऐ उन्हे बुद्ध के उपदेशों का स्मरण कराया कि '' हे आनन्द तुम स्वयं ही अपनी शरण में जाओ किसी अन्य की शरण ना लो" अम्बेडकर ने "Untouchble" में शूद्रों का उदगम 400 ई0 सन् माना और सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि बौद्ध धर्म से अपना श्रेष्ठतव सिद्ध करने के लिए उच्च वर्णों ने गोमासं भक्षण निषेध किया और वे बौद्ध धर्मावलम्बी जिन्होनें गोंमास खाना वर्जित नही किया वे अस्पृश्य कहलाये। "Who were the Shudras" में अम्बेडकर लिखते है। शूद्र पहले सूर्य वंशी क्षत्रिय थे। W.N. Kuber के अनुसार ''अस्पृश्यता जातिवाद का कड़वा कल है यह कोई अलग प्रथा नही है।'' डा0 अम्बेडकर जाति एवं वर्ण व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन करना चाहते थे वे कहते थे इस कलंक को धोये बिना स्वराज्य निरर्थक है।[4] उनका गांधीजी एवं अन्य समाज सुधारकों से विरोध ही इस बात को लेकर था कि वे सब ऊंच–नीच की भावना का केवल विरोध करते थे परन्तु जाति एवं वर्ण जैसी जटिल व्यवस्था को समाप्त नही करना चाहते थे।

Mk0 vEcsMdj d s tkfr mUewyu lEcU/kh l>ko %

¼1½ **,d o.kh; O;oLFkk&** अम्बेडकर ने कहा हिन्दु समाज में चतुवर्ण व्यवस्था खत्म हो एवं एक वर्णीय व्यवस्था स्थापित हों आगे कहा जाति

संस्था का नाश ही समानता का निर्माण है।

¼2½ vUrtkrh; fookg & ऐसी संकलप्ना का इसलिए समर्थन किया कि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रक्त सम्बन्ध से अपनेपन की भावना पैदा होती है।

¼3½ iqjksfgrkbZ 0;olk; dk itkrU=h;dj.k & अर्थात मन्दिरों में पुराहिताई के कार्य पर किसी एक जाति या ब्राह्मणों का एकाधिकार नही होना चाहिए यह पद सभी योग्य व्यक्तियों के लिए खुला होना चाहिए। उन्होने जाति उन्मूलन हेतु '' अनहिलेशन ऑफ कास्ट'' नामक ग्रन्थ भी लिखा डा0 अम्बेडकर ने अस्पृश्यों में जनजाग्रति लाने हेतु अनेक सत्याग्रह आन्दोलनों को संगठित किया और महार आनुवंशिक कार्य बंधुआ मजदूरी, दासता प्रणाली आदि को समाप्त करने का प्रयास किया।[5]

ghu Hkkoukvksa ,oa vknrksa ds ifjR;kx ij cy%

डा0 अम्बेडकर की धारणा थी की अस्पृश्यता स्वयं ही अपनी हीन भावनाओं और आदतों का शिकार है। महार आन्दोलन के समय अस्पृश्यों को इन बातो का अवलम्बन करने को कहा (1) आप मरे हुए जानवरों का मासं नही खायेगें एवं उन्हें ढोने या हटाने का काम भी नही करेंगे । (2) आप जुठे भोजन को स्वीकार नही करेंगे । (3) आप अपने से उच्च जाति के लोगों से याचना नही करेंगे और अपने कानूनी अधिकारों के लिए लड़ेगें एवं प्राप्त करेगें। (4) आप ऊॅच–नीच की कल्पना निकाल देगें एवं उच्च वर्ग रहन–सहन को अपनायेंगे । महिलाओं को सम्बोधित करते हुये अम्बेडकर ने कहा– दुर्गुणों से दूर रहिए, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों की शादी जल्दी मत करों।[6]

vLi`';ksa esa tutkxfr ykus dk iz;kl %

डा0 अम्बेडकर ने अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए पत्रों, लेखो, ग्रन्थो आदि का सहारा लिया। पाक्षिक पत्रों में मूक नायक (1920), बहिस्कृत भारत (1927) समता (1928) आदि प्रमुख थे। "The Untuchable" में डा0 अम्बेडकर ने शूद्रों के उदगम का विवेचन किया है। पहले केवल तीन वर्ण अस्तित्व में थे शूद्र पहले सूर्य वंश के क्षत्रिय थे।

vLi`';ksa ds fy, jktuhfrd lRrk fnykus dk iz;kl %

1929 में धारवाड़ में एक भाषण में कहा था कि ''अस्पृश्यों की सच्ची प्रगति–राजनीतिक ताकत हाथ में आने पर ही सम्भव हो सकती है।[7] ''द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डा0 अम्बेडकर ने अस्पृश्यों के लिए पृथक मताधिकार दिलाने की जोरदार वकालत की। फलतः अगस्त 1932 के ''साम्प्रदायिक निर्णय ने अस्पृश्यों को स्वतन्त्र मतदान करने एवं सुरक्षित स्थान दोनों अधिकार प्रदान किये। उन्होंने कहा भारतीय समाज के जिस वर्ग को सदियों से दबाया गया, एवं मानवीय अधिकरों से वंचित रखा गया ऐसे वर्ग को साथ लेकर ही राष्ट्रीयता की ध्वजा को गौरव से फहराया जा सकता है।''

lkekftd iqu% lajpuk gsrq jkT; 0;oLFkk dh vko';drk %

उन्होंने कहा कि राज्य का मूख्य कार्य समाज में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखना लेकिन समाज का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव है। जब राज्य मदद करें। उनका मानना है जब ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से जन्म दिया तो फिर भेदभाव क्यो? एक आदमी आजीवन ऐशोआराम का जीवन व्यतीत करता है। दूसरा आदमी कोल्हू के बैल की तरह पिसता है, ऐसा क्यों? सामाजिक पुनः संरचना हेतु अम्बेडकर राज्य से भी यह अपेक्षा करता है।[8] कि राज्य उन वर्गो को विशेष संरक्षण दे जो सदियों से दलित एवं शोषित समझे जाते रहे है और संविधान सभा में पहुंच कर सामाजिक संरचना के स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया एवं 15 करोड़ दलितों के भाग्य का निर्माण किया ।

fu"d"kZ %

डा0 अम्बेडकर के जीवन एवं कृत्यों पर

दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट होता है कि वे एक विधिवेत्ता, कुशल समाज सुधारक, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज बुलन्द करने वाले प्रथम भारतीय थे। भारतीय समाज में फैली विसंगतियों के विरूद्ध उन्होने जो संघर्ष किया उसमें वे काफी हद तक सफल भी हुये। इस व्यवस्था से वे व्यक्तिगत रूप से भी पीड़ित थे अपने अथक परिश्रम से एम.ए., पीएच.डी., एम.एस.सी एवं लॉ आदि डिग्रीयां हासिल करना एक साधारण व्यक्तित्व वाले मनुष्य के लिए कम उपलब्धि नहीं होती और अपने तिरस्कृत समाज का सारा दर्द अपने ह्रदय में लिए वे कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। यह उस वक्त के ऐतिहासिक सन्दर्भ में बहुत बड़ी बात थी डा0 अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माताओं में ऐसा नाम है जो समय बीतने के साथ–2 अधिक प्रासंगिक बनता चला आया है। क्योंकि जिस मिशन को लेकर वे चले उसकी आज भी जरूरत है। और आने वाले 100–150 वर्षो में भी रहेगी। एक सम्मेलन में उन्होने कहा ''जब तक जाति के दानव से नहीं लड़ा जायेगा तब तक न तो देश में समाजवाद आयेगा और न ही लोकतंत्र स्थापित होगा।'' आज भी यही स्थिति है।

---

lnHkZ %

1 कीर, धन्नजय (1954) डॉ. अम्बेडकर–लाइफ एण्ड मिशन, पॉपूलर प्रकाशन, बम्बई पृष्ठ–26

2 अम्बेडकर, बी आर (1946) व्हू वर दे शूद्राज, गौतम बुक सेन्टर, सहादरा दिल्ली, पृ. 119 ।

3 अम्बेडकर, बी आर (1946) व्हाइट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, पृ. 203

4 कुबेर, डबल्यू एन. (1973) डॉ. अम्बेडकर –अ क्रिटिकल स्टडी, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली,पृ.क 232 ।

5 अम्बेडकर बी आर (1936) एनिहिलेशन ऑफ कास्ट थैंकर एण्ड कम्पनी बम्बई, पृष्ठ 79।

6 Gautam C (2000) Life of Baba sahib Ambedkar Memorial trust London, Milan House, 8 Kingsland, Road London, EZ 8DA, Second Edition may P.No. 29

7 Dr. Ambedkar Manu and the Shudras page 4 .

8 Gore, M S (1993) Ambedkar's political and social thought SAGE Publication, New Delhi, India. P.No. 143.

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 58-61

समाज के मूल्यों को बनाये रखने में युवा वर्ग की भूमिका

** डॉ. एम.एल. मोरे*

सामाजिक मूल्य मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही समाज का आधार रहे हैं। समाज परिवर्तनशील है इसलिए सामाजिक मूल्य में समय, स्थान, परिस्थितियों एवं वर्ग के निर्माण से प्रभावित होकर परिवर्तित होते रहते हैं। सामाजिक मूल्यों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने पर इन्हें बनाये रखने में युवा वर्ग की प्रभावी भूमिका नजर आती है। इस शोध पत्र में समाज का आधार युवा वर्ग द्वारा सैद्वांतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य एवं सौन्दर्यात्मक मूल्यों आदि का अध्ययन किया गया और युवा वर्ग द्वारा इनको बनाये रखने के प्रयासों का उल्लेख है। शोध पत्र में युवा वर्ग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर समाज के लिए सैद्धांतिक मूल्यों एवं व्यावहारिक मूल्यों में युवा वर्ग के योगदान को दर्शाया गया है। शोध पत्र में प्राप्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट हैं कि युवा वर्ग ने ज्ञान के प्रकाश हो हर दिशा में फैलाया है और समाज में कुशलता और कमजोर वर्ग का मार्गदर्शन भी किया है साथ ही संस्कृति से निकली परंपराओं द्वारा पोषित तथा आत्मक चेतना के अंतरण द्वारा सामाजिक मूल्यों को स्थिरता प्रदान करने का प्रयास है और युवा वर्ग वर्तमान वैश्वीकरण एवं निजीकरण के दौर में माध्यमिक, स्नातक तथा स्नातकोत्तर सभी स्तरों पर सामाजिक मूल्यों को परख रहा है और उसे विकृत होने से बचाकर समाज की निरंतरता को गति प्रदान कर रहा है।

मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके कुछ आधारभूत मूल्य होते हैं, यह मूल्य न्यानाधिक मात्रा में सभी व्यक्तियों में पाये जाते हैं। जब मूल्यों की बात करते हैं तो मूल्यों की सीमा में वे सम्पूर्ण मानवगुण आते हैं जिसका मनुष्य का आदिकाल से संबंध रहा है। इन मूल्यों में सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार व कर्त्तव्यपरायणता, शालीनता, सदाचार इत्यादि उल्लेखनीय है। आशय यह है कि मानव मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुण समूह है जिसे अपने आचरण संस्कारों एवं पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी जीवन पद्धति का निर्माण करता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। डॉ. राधा कमल मुकर्जी के शब्दों में समाज में समस्त ऐसी इच्छाएँ या अभिलाषाएँ मूल्य कही जाती है जो अनुबंध की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति में अन्तर्निहित हो जाती है, जो कि सामाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा भी व्यक्ति की प्राथमिकताओं, रूचियों, महत्वाकांक्षाओं के रूप में प्रकट होती है (प्रभु, 1954)। असल में यदि देखा जाये तो मूल्य वह है जो सभी बातों का निर्धारण करते हैं। वास्तव में यह मूल्य ही है जो इस जगत् को अर्थ प्रदान करते हैं। इस जगत् में होने वाला छोटा सा परिवर्तन मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप ही होता है एवं उसे मूल्यों के आधार पर ही समझा जा सकता है (कोठारी,

** समाजशास्त्र विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म0प्र0)*

1968) । समाज में मूल्यों को बनाये रखने में युवा वर्ग की भूमिका विषय पर शोध करने हेतु स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के मूल्य द्वन्द की स्थिति तथा प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए आलपोर्ट के मूल्यों के वर्गीकरण को ध्यान में रखकर समाज के मूल्यों का अध्ययन तथा उसमें युवा वर्ग की भूमिका को जानने का प्रयास किया गया है।

v& l)kfrd eY;& इससे सत्य की खोज में प्रभावी रूचि अनुभाविकता, विवेक, आलोचनात्मक तथा बौद्धिक पक्षों को पहचाना जाता है।

c& lkekftd eY;& सामाजिक मूल्य वह है जिसमें व्यक्ति समाज को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इन मूल्यों में वह व्यक्ति को मान–सम्मान, समाज सेवा, संस्कृति का संरक्षण इत्यादि सम्मिलित करते हैं।

यह मूल्य वह होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति समाज के कल्याण की स्थापना करता है। व्यक्ति के लिए सामाजिक मूल्यों का अनुभव होना अति आवश्यक होता है।

l& vkfFkd eY;& आर्थिक मूल्य मुख्यतः प्रभावी मुद्रा के मामले में पहचाने जाते हैं।

n& jktufrd eY;& युवा वर्ग में देश भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सचेतता, राजनैतिक मूल्यों के अन्तर्गत आते हैं। इन सभी का उद्देश्य युवा वर्ग को योग्य नागरिक बनाना होता है जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति और अधिक जागरूक हो सके।

;& /kkfeZd eY;& धार्मिक मूल्य भक्ति धर्मनिरपेक्षता सम्पूर्ण धर्मों का आदर करना युवा वर्ग के अन्दर आध्यात्मिक तथा धार्मिक मूल्यों को समाहित किया गया है।

j& lkUn;kRed eY;& प्रकृति से प्रेम की सुंदरता की प्रशंसा, वनों की सुरक्षा सौन्दर्यात्मक मूल्य है। युवा वर्ग से अपेक्षा की जाती है कि वह इनको सुंदर व सुरक्षित बनाये रखने का प्रयास करें।

mnn ;&

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है समाज में मूल्यों को बनाए रखने में स्नातकोत्तर स्तर के युवा वर्ग की भूमिका का अध्ययन करना। समाज में विद्यार्थियों के सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सौन्दर्यात्मक मूल्यों को बनाए रखने में स्नातकोत्तर स्तर के युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि शारीरिक रूप से वयःसंधि (15 – 25 वर्ष की आयु) के दौरान छात्र सर्वाधिक मूल्य संघर्ष को झेलता है उसे व्यवहारिक क्षेत्र में सैद्धांतिक ज्ञान विकृत रूप से देखने को मिलता है जो व्यक्तित्व में द्वन्द उत्पन्न करता है। असल में उसी समय युवा वर्ग की महती भूमिका होती है।

v/;;u i)fr&

अध्ययन के निमित्त 100 स्नातकोत्तर स्तरीय युवा वर्ग का चयन किया गया है। तथ्य संकलन में भटनागर टीचर्स वैल्यूज इन्वैटरी का प्रयोग किया गया है (श्रीवास्तव, 2001)। जिसमें यह ज्ञात किया जा सके कि युवा वर्ग का अपने मूल्यों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। उनके मूल्य सामाजिक परिवेश में उनके संतुलन के परिचायक होंगे तभी वह समाज में मूल्यों की सुरक्षा अथवा पनप रहे मूल्य द्वन्द को रोक पाने में सहायक होगें। इस युवा वर्ग के मूल्य परिसूची में 25 प्रश्न होते हैं जिसमें प्रति प्रश्न के छः स्वीकार्य उत्तर है। उत्तरदाता को इन छः विकल्पों में से वरीयता देते हुये अपने विचार प्रकट करना होते हैं। युवा वर्ग मूल्य परिसूची स्वयं प्रशासनिक सूची है। यह सूची वैयक्तिक व सामूहिक दोनों रूपों में उपयोग की जा सकती है। युवा वर्ग निर्देशों को पढ़कर स्वयं उत्तर दे सकते हैं। इस परिसूची में स्कोरिंग करने के लिए छः स्कोरिंग कीज का उपयोग किया जाता है। एक स्कोरिंग कीज एक मूल्य को मापने के लिए है।

iFke Lrj& टी की को उत्तर शीट पर व्यवस्थित ढ़ंग से रखेगे। यह केवल पांच अंकों में प्रदर्शित है।

f}rh; Lrj& सबसे पहले जितने अंक एक होगे उन्हें छः से गुणा करेंगे जितने अंक दो होंगे उनको गिनकर पांच से गुणा करेंगे तथा इसी प्रकार तीन को चार से, चार को तीन से, पांच को दो से एवं छः को एक से गुणा करेंगे।

r`rh; Lrj& सभी अंकों को जोड़कर टी बाक्स में रॉ स्कोर के समाने लिखेंगे जो उत्तर शीट में संलग्न होता है।

prFk Lrj& सभी की के लिए समान प्रक्रिया लागू की जाएगी। युवा वर्ग को परिसूची में क्रमबद्धता तथा निर्देशों को पढ़कर वरीयताक्रम में उत्तर देने का अनुरोध किया गया जो परिणाम वरीयता क्रम में प्राप्त होने वालों को निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

क्रमवार प्रश्न संख्या	युवावर्ग का वरीयता क्रम (प्रतिशत में)						
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**Total**
1	40	10	20	15	5	10	100
2	35	10	15	10	10	20	100
3	25	10	30	15	5	15	100
4	35	10	35	5	5	10	100
5	50	15	15	5	5	10	100
6	40	10	25	10	5	10	100
7	35	10	15	15	10	15	100
8	45	10	20	5	5	15	100
9	35	5	30	10	5	15	100
10	45	10	20	5	5	15	100
11	35	10	25	10	5	15	100
12	30	15	25	10	5	15	100
13	50	10	15	5	5	15	100
14	35	10	25	5	5	20	100
15	40	10	20	10	5	15	100
16	35	10	20	10	10	15	100
17	30	15	15	10	10	20	100
18	30	15	25	10	5	15	100
19	45	10	20	5	5	15	100
20	40	10	25	5	5	15	100
21	50	10	15	5	5	15	100
22	35	10	20	10	10	15	100
23	50	10	15	5	5	15	100
24	35	10	20	10	10	15	100
25	30	15	15	10	10	20	100

उपर्यक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि युवा वर्ग जो समाज का संचालन करते हैं। वह समाज के विकास के लिए सैद्धांतिक मूल्यों के प्रति भी पूर्ण रूप से जागरूक करते हैं। व्यक्ति जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा और जीवन के आदर्श तथा उसे प्राप्त करने का उद्‌देश्य उसे निरन्तर उच्च मूल्यों आदर्शों को बनाये रखने के लिए प्रेरित करता रहता है। अध्ययन में युवा वर्गों द्वारा जिन विकल्पों को प्रथम स्तर में रखा गया उनका परिणाम इस बात का परिचायक है कि नैतिक सद्‌गुणों का विकास तथा चरित्र निर्माण व्यक्तित्व के प्रमुख बिन्दु है। भटनागर टीचर्स वैल्यूज इन्वेंट्री में प्रश्नों को इस प्रकार

संचालित किया गया है (मदान,1964)। जिससे शिक्षित युवा वर्ग से सर्वथा संबंद्ध मूल्य सूचक प्रश्नों को पूछा जा सके। इनमें युवा वर्ग की दान देने की प्रवृत्ति, पुस्तक पढ़ने की वरीयता, अवकाश काल में समय उपयोगिता की वरीयता आदि प्रश्नों के माध्यम से विषय ज्ञान, समाज उत्थान तथा स्वविकास आदि धारणाओं के संदर्भ में मत जानने का प्रयास किया गया। उपर्युक्त तथ्यों से यह भी प्रकाशित होता है कि युवा वर्ग ज्ञान के प्रकाश को हर दिशा में फैलाता है तथा कुशलता से समाज के कमजोर वर्ग का मार्गदर्शन भी करता है। वस्तुतः मूल्य वह मानक या नैतिक व्यवहार की आचार संहिता है, जो संस्कृति से निकली परम्पराओं द्वारा पोषित तथा आत्म चेतना अथवा अंतःकरण द्वारा संरक्षित होते हैं। इनके पोषण में परिवार अथवा युवा वर्ग कोई भी पिछड़ जाता है तो समाज में असंतुलन दिखाई पड़ता है जो घातक प्रवृत्तियों को उत्पन्न करने का कार्य करता है।

fu"d"k& अध्ययन के विषय से संदर्भित तथ्यों से ज्ञात हुआ है कि युवा वर्ग समाज के पथ प्रदर्शक है और सामान्य शब्दों में समाज में मूल्यों के संरक्षक भी है। सर्वप्रथम बालक परिवार के अतिरिक्त स्कूल से ही मूल शिक्षा प्राप्त करते हैं जिनमें उन पर सर्वथा प्रभाव उनके युवा वर्ग शिक्षक का होता है परन्तु माध्यमिक स्तर तक बालक मूल्यों को युवा वर्ग के परामर्श से स्वीकार अथवा अस्वीकार करता रहता है। जब वह बच्चा स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर स्वयं को पूर्ण वयस्कों की श्रेणी में पाता है तब उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वह परिवार, विद्यालय, समाज सभी से प्राप्त मूल्यों को जब वह समाजिक परिवेश में परखता है तब विकृत रूप सामने आता है। अतः युवा वर्ग उसका मार्गदर्शक बनता है। प्रस्तुत अध्ययन में युवा वर्ग का सामाजिक मूल्यों को बनाएें रखने में भूमिका का अध्ययन इस उद्देश्य से किया गया है जिससे समाज के मूल्यों को बनाए रखने में युवा वर्ग की भूमिका को स्पष्टतः किया जा सके।

---

lanHkZ %

प्रभु, पी.एन(1954) *lkekftd vkxZukbtsZ'kन*, द पापुलर बुक डिपो, बम्बई ।

कोठारी, रजनी(1968) *ufrdrk] lkekftdrk vkSj fodkl*, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली,

श्रीवास्तव, डी.एन.(2001) *tujy lkbdksykWth*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

मदान, जी.आर .(1964) *Hkkjr esa lekt dk;Z ,oa lkekftd iqufuZek.k]* सरस्वती सदन, मसूरी,।

✤

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 62-66

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बालिका शिक्षा : एक अवलोकन

(मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में)

* *डॉ. अंजना जैन*

शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। शिक्षा मनुष्य को विचारशील, कल्पनाशील और विनम्र बनाती है। शिक्षा की पूर्णता व समग्रता तब है जब वह तीन लक्ष्यों को पूरा करे – (1) स्वावलम्बन, (2) व्यक्तित्व एवं (3) सामाजिक सद्भावना का विकास। इसी लिए जब हमारा देश स्वतन्त्र हुआ तो देश की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर विषेष बल दिया गया। शिक्षा पाने का अधिकार भारतीय संविधान ने स्त्री व पुरूष दोनों को समान रूप से दिया है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय समाज स्त्रीयों की शिक्षा के मामले में रूढ़िवादी रहा है। हिन्दु धर्म में शक्ति का अवतार भले ही दूर्गा हो, किन्तु भारतीय नारी को आज भी अबला ही माना जाता है। नारी शिक्षा की कमी ने ही भारतीय समाज में स्त्रीयों के बाल–विवाह, सतीप्रथा जैसी बुराईयों को जन्म दिया है। म०प्र० में सर्व शिक्षा अभियान के बावजूद लड़कों की तुलना में लड़कियाँ आज भी शिक्षा से वंचित है या प्रवेश लेकर शाला छोड़कर चली जाती है। माँ बाप को निर्धनता या काम की तलाश में अन्य जगह जाने की वजह से अभिभावक बच्चों का स्कूल छुड़वा देते हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। बाल श्रमिक के रूप में कार्य पर जाने की वजह से 20 प्रतिशत लड़के व 25 प्रतिशत लड़कियाँ प्राथमिक स्कूल तक भी शिक्षा नहीं ले पाती हैं।

स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था – ”वही राष्ट्र उन्नति कर सकता है जहाँ स्त्रीयों को उचित स्थान दिया जाता है तथा उनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाता है (अग्रवाल,1998) । गाँघीजी महिला शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का अस्त्र मानते थे। उनका कथन था कि–”एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा। एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा (अग्रवाल,1998) । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1948–49) के अनुसार – स्त्री शिक्षा के बिना लोग शिक्षित नहीं हो सकते। क्योंकि उनके द्वारा ही भावी सन्तान को शिक्षा दी जाती है। लेकिन आज भी देश में स्त्री को भोग्या या परायाध्ान माना जाता है। बेटे और बेटी की परवरिश में भेदभाव किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि, नारी शिक्षा की म०प्र० में क्या स्थिति है? और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आज भी नारी शिक्षा की धीमी प्रगति के क्या कारण व समस्याएं है और नारी शिक्षा क्यों आवश्यक है? अतः द्वितीयक संमकों के आधार पर इसका वर्गीकरण एवं विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

* *प्राध्यापक अर्थशास्त्र, षास० महारानी लक्ष्मीबाई स्नात. कन्या महाविद्यालय., किला भवन, इन्दौर*

भारत के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार 14 वर्ष के बालक– बालिकाओं को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है इसके तहत् 1986 में जब देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई तो 1992 में देश के साथ–साथ म०प्र० में भी इसे थोड़े संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिय गया। म०प्र० में साक्षरता का प्रतिशत 63,7% है (पाण्डेय,2010). जो राष्ट्रीय स्तर की तुलना में थोड़ा कम है। स्कूल में बालक–बालिका की स्थिति को ले तो निम्न तालिका से स्पष्ट है–

rkfydk Øekd&1

eEi E e ckyd o ckfydkvk d iok k dh fLFkfr

Ø-	o"k	ikFkfed fo|ky;			gk;j ldUMh			lEi.k	
		ckyd	ckfydk	dy	ckyd	ckfydk	dy	ckyd	ckfydk
01	2004–05	5491291	4859802	10351093	2156596	1670352	3826948	7647887	6530154
02	2005–06	5966854	5335646	11302500	2375528	1878564	4254092	8342382	7214210

स्त्रोत : (1) सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक स्तर पर दाखिले की स्कूल दर 2005–06।
(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रकाशन 2005–06।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट है कि, म०प्र० में सर्व शिक्षा अभियान के बावजूद लड़कों की तुलना में लड़कियाँ आज भी शिक्षा से वंचित है या प्रवेश लेकर शाला छोड़कर चली जाती है। कारण है– निर्धनता, मजदूरी करने के लिए माता–पिता के साथ चली जाती है। छोटी बच्चियाँ का विवाह कर दिया जाता है। माता–पिता का बेटियों की तुलना में बेटों की शिक्षा के प्रति अधिक रूझान है। कारण बेटों को कुल का दीपक समझा जाता है।

rkfydk Øekd&2

e-i- e Ldy iok k i pkr [kkfjt cPPkk dh l[;k

Ø-	vk;q leg	[kkfjt fd;s g, cPpk dh l[;k		
		ckyd	ckfydk	dy
01	05–11	34370	33628	67998
02	11–14	36271	37285	73556
03	05–14	70641	70913	141554

स्त्रोत : (1) सर्व शिक्षा अभियान रिपोर्ट 2005–06 व
(2) मानव संसाधन मंत्रालय प्रकाशन 2005–06 ।

तालिका क्रमांक–02 से स्पष्ट है कि शिक्षा सभी के लिए होने के बावजूद समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह रहा है। माँ बाप को निर्धनता या काम की तलाष में अन्य जगह जाने की वजह से अभिभावक बच्चों का स्कूल छुड़वा देते हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से ज्यादा है उन्हें या तो घर पर काम लगा दिया जाता है या अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख करने के लिए घर पर ही रहने को कहा जाता है।

rkfydk Øekd&3

eåiå e Ldy NkMu d dkj.k

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि, बाल श्रमिक के रूप में कार्य पर जाने की वजह से 20 प्रतिशत लड़क व 25 प्रतिशत लड़कियाँ प्राथमिक स्कूल तक भी शिक्षा नहीं ले पाती हैं। बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। उसी प्रकार अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने, पशुओं को चराने, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण, माता–पिता द्वारा रोजगार की तलाश में इधर–उधर भटकने के कारण, सामाजिक बन्धनों व विकलांगता के कारण भी बहुत सी लड़कियाँ

प्राथमिक स्कूल की शिक्षा भी बीच में ही छोड़ देती हैं।

Ø-	dkj.k	Nkfr kr ¼ftl dkj.k ls NksMk½	
		yMdk	yMfd;k
01	बालश्रम	20%	25%
02	छोटे भाई–बहनों की देखभाल	16%	18%
03	पशुओं की चराई	20%	12%
04	परिवार की वित्तीय स्थिति	10%	11%
05	षैक्षणिक सुविधाओं की कमी	05%	07%
06	सामाजिक परम्परी	02%	07%
07	विकलांगता	02%	03%
08	प्रवास	12%	12%
09	अन्य	13%	05%

स्त्रोत : सर्व शिक्षा अभियान रिपोर्ट 2005–06

महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट का कथन था – "बालक का भावी भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्मित किया जाता है (सिंह एवं सिंह 2010)। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे लिंकन ने कहा है –"मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ होने की आशा करता हूँ, उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ, (सिंह एवं सिंह 2010)।"

ukjh f'k{kk dk egRo fuEu nf"Vdks.k ls vf/kd gS %

1. पारिवारिक दृष्टि से बच्चे के व्यक्तित्व पर माँ के व्यतिव की अमिट छाप रहती है। जीवन की प्रथम शिक्षिका माँ होती है।
2. सामाजिक दृष्टि से स्त्री व पुरूष समाज के दो महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। यदि एक स्तम्भ कमजोर होगा तो उस समाज का विकास अवरूद्ध हो जाएगा।

   आर्थिक दृष्टि से शिक्षित नारी स्वावलम्बी होती है वह न केवल परिवार की बल्कि देश की आर्थिक स्थिति सुधारने व विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।
3. राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों को पुरूषों के समान सभी अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्र की उन्नति का दायित्व जितना पुरूषों पर है उतना ही स्त्रियों पर। प्रजातंत्र की सफलता शिक्षित स्त्रियों पर निर्भर है। शिक्षा से नारी अपने अधिकार और कर्त्तव्य के प्रति जागरूक होती है। पंचायत विधानसभा और लोकसभा की दहलीज तक पहुँच सकती है।
4. स्त्रियों की शिक्षा का शैशव के सर्वाधिक संस्कारमय वर्षों में चरित्र के निर्माण में अपना विशेष स्थान है। स्त्री शिक्षा से घरों में सुधार होता है।
5. स्त्री शिक्षा का हमारे मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है।
6. स्त्रियों की शिक्षा प्रवसन दर घटाने में काफी सहायता कर सकती है।
7. एक सर्वेक्षण के अनुसार, "अशिक्षित स्त्री की प्रसव दर 5.1 है। आठवीं तक पास की प्रवस दर 4.0, दसवीं पास की प्रवस दर 3.1 तथा स्नातक पास की प्रवस दर 2.1 है, (अग्रवाल, 1998)।

ukjh f'k{kk dh /kheh izxfr ds dkj.k o leL;k,¡ %

यद्यपि नारी शिक्षा के विकास के लिए तथा व्यक्तिगत प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से इन्हें सन्तोषजनक कहा जा सकता है। स्त्री शिक्षा के मार्ग में निम्न कठिनाइयाँ व समस्या है।

(1) पुरूष प्रधान समाज।

(2) रूचि मे कमी ।

(3) सामाजिक रूढ़ियां ।
(4) बाल विवाह ।
(5) बालिका विद्यालयों का अभाव ।
(6) अज्ञानता, अशिक्षा ।
(7) पानी लाना, ईंधन इकट्ठा करना, पशु चराई करवाना ।
(8) गरीबी ।
(9) दोषपूर्ण पाठ्यक्रम ।
(10) सह शिक्षा का विरोध ।
(11) सामाजिक परम्परा ।
(12) विकलांगता ।
(13) प्रवास ।
(14) परदा प्रथा ।
(15) अध्यापकों की कमी ।

नारी शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय व राज्य स्तर पर अनेक योजनाएँ बनाई गई, उन्हें लागू किया गया और इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कई आयोग की सिफारिसों को लागू करने हेतु समितियाँ गठित की। देश में स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूकता तो बढ़ी किन्तु और निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है।

l>ko %

(1) अनिवार्य शिक्षा व सर्वशिक्षा अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है।
(2) बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें, लेखन सामग्री व वस्त्र देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। मध्यान भोजन व्यवस्था जैसी और अधिक योजनाएं चलाई जाय।
(3) गाँवों में बालक बालिका की सहशिक्षा के लिए जनमत तैयार किया जाय।
(4) बालिकाओं के लिए (सामान्य वर्ग सहित) और छात्रावास तथा आवगमन के साधनों की सुविधाएं प्रदान की जाए।
(5) बालिकाओं की शिक्षा की देखभाल के लिए गठित प्रशासकीय संगठन की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए।
(6) प्रौढ़ शिक्षा के लिए बालिकाओं के माता–पिता को शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करना।
(7) गाँवों में प्रारम्भिक देखभाल केन्द्र स्थापित किये जाय जो स्कूल के समय में शामिल हो ताकि 0–10 वर्ष की बालिकाएं अपने छोटे–भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी से मुफ्त हो जाय।
(8) आँगनवाड़ी कार्यक्रमों को जारी रखते हुए स्थानीय आवश्यकता के अनुकुल दूसरे मॉडल को भी बढ़ावा देना चाहिए।
(9) हमारे महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं में महिलाओं के चित्रण के बारे में कक्षा में समालोचनात्मक समीक्षा की जानी चाहिए।
(10) शारीरिक शिक्षा, आत्मरक्षा शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
(11) संचार माध्यमों को भी शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के मुद्दों को गम्भीरता से लेना चाहिए। शिक्षित स्त्री की सकारात्मक छवि को उभारना चाहिए।
(12) आठवीं कक्षा स्तर पर वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किये जाये।
(13) अध्यापिकाओं और अन्य शैक्षिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाए।

fu"d"k %

नारी शिक्षा समाज, देश, परिवार और स्वयं नारी के आत्म सम्मान व आत्म निर्भरता के लिए आवश्यक है। अतः इसके लिए आने वाली समस्याओं, कठिनाईयों का समाधान करना होगा और इसकी प्रगति की रफ्तार को बढ़ाते हुए नारी शिक्षा का विकास करना होगा। क्योंकि एक शिक्षित नारी आने वाली

कई पीढ़ियों को शिक्षित करती है। अतः आवश्यकता है सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की, समाज की जागरूकता व समर्पण की और परिवार के दृढ़ संकल्प की।

lnHk %

अग्रवाल जे.सी.(1998) *lekt e ukjh dk LFkku rFkk f k{kk* , प्रकाशक विद्या विहार, नई दिल्ली वर्ष पृ.सं. 11।

डॉ. पाण्डेय जी.सी (2010). *,l bu ,tdku* , ओमेगा प्रकाशन वर्ष पृ.सं. 19।

सिंह सी पी व उपासना सिंह (2010) *efgyk l'kfDrdj.k vo/kkj.k fpUru ,o lkjkdkj*, स्त्री शिक्षा और नारी सशक्तिकरण, ओमेगा प्रकाशन वर्ष पृ.सं. 124 ।

अग्रवाल जे.सी.(1998) *Hkkjr e ukjh f k{kk*, विद्या विहार प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 वर्ष पृ.सं. 12।

भरत शासन (2005–06) मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रकाशन, नई दिल्ली।

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 67-71

हिन्दू कोड बिल : स्त्रियों का मेग्नाकार्टा नेहरू और अम्बेडकर के संदर्भ में

* राजेन्द्र कुमार गोठवाल
** डॉ. अमिता वर्मा

प्रगतिशील, वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी राष्ट्रीय नेता डॉ. भीम राव अम्बेडकर और पं. जवाहर लाल नेहरु के व्यक्तित्त्व ने या तो उनके उग्र समर्थक पैदा किये हैं या कटु आलोचक। यद्यपि दोनों की भूमिका में अन्तर हो सकता है परन्तु भारत के भविष्य के भाग्य निर्माण में प्रगतिशील–यथार्थवादी विचारों में शायद ही कोई अन्तर हो। डॉ. अम्बेडकर की तो सम्पूर्ण विचारधारा का केन्द्र ही सामाजिक न्याय है।हिन्दू कानून की कुछ शाखाओं को नियमबद्ध करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए ब्रिटीश सरकार ने 1941 में राव समिति गठित की। उसके निवेदन पर आधारित "हिन्दू कोड बिल" में अम्बेडकर ने कुछ संशोधन कर इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भुमिका निभाई। इस बिल में स्त्रियों की दयनीय और शोचनीय स्थिति से मुक्ति के लिए प्रगतिशील विचार थे। जैसे– स्त्रीयों की शिक्षा, पुरुषों के समान सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और अधिकार, सम्पति के उत्तराधिकार, निःसंतान होने पर किसी पुत्र या पुत्री को गोद लेने, पुनर्विवाह, स्त्रियों को भी पुरुषों से गम्भीर स्थिति में तलाक लेने का अधिकार, अन्तर्जातिय विवाह, परिवार में स्त्रियों कि स्थिति और समतापूर्ण अधिकार आदि प्रावधान थे। हम "हिन्दू कोड बिल" को भारतीय स्त्रियों का मेगनार्काटा कह सकते हैं जो एक प्रगतिशील विचारों और भारतीय समुदायों की वैज्ञानिक एकता का पोषक था। लम्बे समय तक स्त्रीयों के प्रति उपेक्षा हमारी संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय रहा, यद्यपि बिल के निर्माता ने इसमें त्रुटि होना और उसमें सुधार–संशोधन को मानने के लिए तैयार था, परन्तु इसके मूलभूत सिद्वांतो को कोई नकार नहीं सकता लेकिन हिन्दू रूढिवादिता और पुरूष अंहकार ने प्रगतिशील विचार में बाधक बनने का काम किया, परन्तु आम चुनाव के पश्चात स्त्रियों के प्रतिनिधित्व की कमी और उनके पुरूषों की अपेक्षा अधिक सचेतता, जूझारूता ने नेहरू को पुनः हिन्दू कोड बिल को कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक मनु के द्वारा बनाये गये हिन्दू कोड बिल को 4 भागों में अलग–अलग बिल के रूप में पेश और पारित किया गया।

* *शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।*

आधुनिक भारत के इतिहास में दो बड़े प्रगतिशील, वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी राष्ट्रीय नेता डॉ. भीम राव अम्बेडकर और पं. जवाहर लाल नेहरु के व्यक्तित्त्व ने या तो उनके उग्र समर्थक पैदा किये हैं या कटु आलोचक। वस्तुतः उनके वैज्ञानिक–प्रगतिशील विचारों के प्रति तटस्थ या उदासीन रहना किसी के लिये भी आसान नहीं है। दोनों के बहुआयामी व्यक्तित्त्व और कृर्त्तत्व की स्पष्ट छाप संविधान–निर्माण की प्रक्रिया और संविधान–निर्माण पर देखी जा सकती है। यद्वपि दोनों की भूमिका में अन्तर हो सकता है परन्तु भारत के भविष्य के भाग्य निर्माण में प्रगतिशील–यथार्थवादी विचारों में शायद ही कोई अन्तर हो। उनकी नजरों में भारत की प्रगति के लिए राजनीतिक न्याय से पूर्व सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना अतिआवश्यक है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव दोनों का ही दृष्टिगोचर होता है जिसके कारण भारतीय संविधान जीवंत सामाजिक दस्तावेज बन सका। डॉ. अम्बेडकर की तो सम्पूर्ण विचारधारा का केन्द्र ही सामाजिक न्याय है। उनका सम्पूर्ण जीवन न्याय की प्राप्ति के लिये समर्पित रहा, उन्हें इसी समाजिक न्याय के लिए हिन्दू समाज का लिंकन एवं मार्टिन लूथर कहा जाता है। आधुनिक भारत के मनुष्य की उपाधि के पीछे खड़े हिन्दू कोड बिल के निर्माता डॉ. अम्बेडकर रुढीवादी भारतीय जनता और कांग्रेस के बुद्विमान नेताओं की कठोर आलोचनाओं और विरोधों से अत्यधिक निराश हुए। जबकि प्रगतिशील वर्ग उसे 20वीं शताब्दी का स्मृतिकार" और "आधुनिक मनु" से विभूषित कर हिन्दू कोड बिल का स्वागत कर रहा था। आखिर हिन्दू कोड बिल में ऐसा क्या था जिसने भारत के संविधान–निर्माता को पुनः सनातनी हिन्दू–कांग्रेसियों की नजरों में धर्मद्रोही अपराधी बना दिया।

fgUnw dksM fcy vkSj vEcsMdj% %

हिन्दू कानून की कुछ शाखाओं को नियमबद्व करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए ब्रिटीश सरकार ने 1941 में राव समिति गठित की।[1] उसके निवेदन पर आधारित "हिन्दू कोड बिल" में अम्बेडकर ने कुछ संशोधन कर इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भुमिका निभाई। इस बिल में स्त्रियों की दयनीय और शोचनीय स्थिति से मुक्ति के लिए प्रगतिशील विचार थे। जैसे– स्त्रीयों की शिक्षा, पुरुषों के समान सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता और अधिकार, सम्पति के उत्तराधिकार, निःसंतान होने पर किसी पुत्र या पुत्री को गोद लेने, पुनर्विवाह, स्त्रियों को भी पुरुषों से गम्भीर स्थिति में तलाक लेने का अधिकार, अन्तर्जातिय विवाह, परिवार में स्त्रियों कि स्थिति और समतापूर्ण अधिकार आदि प्रावधान थे।

वर्तमान भारत में स्त्रियों के साथ में उल्लिखित दृष्टिकोण "बाल्यकाल में स्त्रियों की रक्षा पिता करे, यौवन में पति व वृद्वावस्था में पुत्र करे" को ध्यान में रख कर ही व्यवहार किया जाता रहा है, जिसके कारण स्त्रियों की स्वतंत्र भूमिका पर प्रतिबंध लगाये जाते रहे हैं। परिणाम स्वरुप स्त्रियों की दलित और अस्पृश्यों की भांति दयनीय और शोचनीय स्थिति हो चुकी थी और उन्हें बार–बार पुरूषों के अमानवीय व्यवहार का शिकार होना पड़ता था। हम "हिन्दू कोड बिल" को भारतीय स्त्रियों का मेगनार्काटा कह सकते हैं जो एक प्रगतिशील विचारों और भारतीय समुदायों की वैज्ञानिक एकता का पोषक था।

fgUnw dksM fcy dh vkykspuk vkSj fojks/k%

हिन्दू कोड बिल को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व अम्बेडकर ने बिल पर स्पष्टीकरण देते हुये कहा कि "यदि आप हिन्दू प्रणाली, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज की रक्षा करना चाहते हैं, तो उसमें जो खामियाँ पैदा हो गई है, उनको सुधारने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हिन्दू कोड बिल हिन्दू प्रणाली के केवल उन्हीं अंशो का सुधार चाहता है, जो विकृत हो गये हैं। इससे अधिक कुछ नहीं।"[2] किन्तु संविधान निर्माता को कांग्रेसियों के साथ–साथ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बुद्विजीवियों के विरोधों और आलोचनाओं को सहना

पडा जबकि सनातनी कट्टर वर्ग तो अम्बेडकर को धर्मशास्त्रों में भयानक हस्तक्षेप करने वाला धर्मविद्रोही अपराधी मान रहा था।

अस्थाई संसद में दो बार इस बिल को लाया गया परन्तु बिल पारित नहीं हो पाया। जिसकी निराशा ने अम्बेडकर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और उनके मस्तिष्क में पुनः यह बात बैठा दी गई कि "संकीर्ण हिन्दूओं में परिवर्तन संभव नहीं है और न ही भारत की प्रगति संभव है।"

fgUnw dksM fcy vkSj i- usg: %

पं. नेहरू व अम्बेडकर के "हिन्दू कोड बिल" को भारत के लिये अतिआवश्यक और महत्वपूर्ण मानते थे और वे अस्थाई संसद में हिन्दू कोड बिल को पेश करवाना चाहते थे, परन्तु परम्परागत रूढिवादी कांग्रेसी नेताओं ने संस्कृति और लोगों के जीवन के प्रति खिलवाड बताते हुए तीव्र विरोध किया। हिन्दू कोड बिल को दो बार संसद में लाया गया। प्रथम बार 5 सितम्बर 1951 को लाया गया तो 28 में से 23 सदस्यों ने इसका विरोध किया, दूसरी बार 17 सितम्बर 1951 को लाया गया।[3] तो पुनः रूढिवादी जननेताओं की संकीर्ण मानसिकता इसे स्वीकार न कर सकी। नेहरू को बडा झटका लगा और उन्होंने त्याग पत्र देने की धमकी देनी पड़ी, परन्तु विरोध इतना प्रचण्ड था कि नेहरू के त्याग पत्र की धमकी का वार भी खाली गया।

नेहरू–अम्बेडकर की प्रतिभा और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव रखते थे। वह अम्बेडकर द्वारा की गई कठोर मेहनत को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने और उसे शीघ्र कानून बनाने के लिए आतुर थे। उनकी इस आतुरता का पता मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से पता चलता है जिसमें लिखा था कि "हिन्दू कोड बिल नियमित रूप से संसद के हर अधिवेशन के सामने लाया जाता है। यह बडे दुःख की बात होगी, यदि इस पर की गई मेहनत बेकार चली जाये। हम आशा करते हैं कि यह अधिवेशन खत्म होने से पहले ही कानून की किताब में दर्ज करा देना चाहते हैं। यदि ऐसा होता है, जैसा कि मैं आशा करता हूँ तो मुझे विश्वास है कि हमारी वर्तमान संसद किसी दूसरे कानून या काम की बजाय सामाजिक सुधार के इस कदम के लिए अधिक याद की जायेगी।"[4]

हालांकि नेहरू पार्टी के जबरदस्त विरोध के कारण हिन्दू कोड बिल को पास नहीं करा सके परन्तु वे बार–बार हिन्दू समाज के परम्परागत दोषों में परिवर्तन के लिए जोर देते रहे। उन्हें पूरी तरह विश्वास था कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों में किसी एक मोर्चे पर तब तक उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकती जब तक सभी मोर्चे– राजनीतिक, अर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर आगे नहीं बढेंगे। उन्होंने कहा "कुछ लोग समझते हैं कि हमें सामाजिक पहलू अलग रखकर राजनीतिक और अर्थिक पहलूओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये, परन्तु ऐसा विभाजन संभव नहीं। बीते समय में हमारे सामाजिक संगठन में गुण और अवगुण दोनों ही दिखाई दिए। इसमें विस्मयकारी एकता और निरन्तरता दिखाई देती है। इसने सामाजिक क्षेत्र में दूसरे प्रभाव के अलावा राजनीतिक और अर्थिक ढांचे को कमजोर किया है, बीते काल में इसके जो भी गुण रहे हों, इतना साफ है कि आज बडे परिवर्तनों की जरूरत हैं। बिना सामाजिक संगठन को बहुत ज्यादा बाधित किये हिन्दू कोड बिल कुछ परिवर्तन को लाने कि कोशिश है जैसा कि मसविदा बनाया गया है, बिल त्रुटिहीन नहीं था और बिना शक के बदला जा सकता था, परन्तु इसके आधारभूत सिद्वांत महत्वपूर्ण थे और वे छोडे नहीं जा सकते थे। इन परिवर्तनों को हासिल करने के लिए संघर्ष जारी रखना पडेगा।"[5]

LFkk;h laln esa efgykvksa dh fLFkfr vkSj fgUnw dksM fcy dh ;FkkFkZoknhrk %

प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात नये संसद–सदस्यों से परिचय करते वक्त नेहरू यह देखकर चिंतित हो गये कि 499 की कुल सदस्यता में से मात्र 22 अर्ताथ 4.4 फीसदी महिलायें थी और राज्य सभा में तो और भी कम। यह नेहरू द्वारा मुख्यमंत्रियों

से चुनाव में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिलवाने के अनुरोध किये जाने के बावजुद हुआ।[5] नेहरू ने इस बार अपनी नाराजगी इस प्रकार प्रकट कि "मैंने बड़े खेद के साथ नोट किया है कि कितनी महिलायें चुनी गई...... मैं समझता हूँ कि हम इसके बहुत दोषी हैं। यह किसी के हक की पैरवी करने या अन्याय का सवाल नहीं है ब्लकि एक ऐसा करने का प्रश्न है जो हमारे देश के आगे के विकास के लिए फायदेमंद नहीं हैं। मुझे पूरा विश्वास है, हमारा असली और मूल विकास तभी होगा, जब महिलाओं को जन–जीवन में अपनी भूमिका अदा करने का मौका मिलेगा। जब कभी उन्हें मौका मिला, उन्होंने कुल मिलाकर अच्छा किया, मैं तो कहूंगा औसत पुरूषों से भी अच्छा। हमारे कानून पुरूषों द्वारा बनाये गये हैं, हमारा समाज पुरूषों के प्रभुत्व में हैं और स्वाभविक हैं कि हम में से अधिकतर इस समस्या की तरफ एकतरफा दृष्टि रखते हैं। हम वस्तुगतः नहीं हो सकते क्योंकि हम विचार और अमल की कुछ सीमाओं में पले–बढे हैं लेकिन शायद भारत का भविष्य पुरूषों की बजाय महिलाओं पर अत्यधिक निर्भर करेगा।"[7]

यह यथार्थवादिता है कि महिलाओं की कम संख्या होने के पश्चात भी महिलाओं ने पुरूषों से अधिक सचेतता, जुझारूपन और न केवल सामाजिक समस्याओं पर ब्लकि राजनीतिक और आर्थिक सवालों पर सदन में बहस के दौरान दिये गये भाषण सुनने लायक थे।

1954 में कई महिला सदस्यों ने विशेष विवाह बिल (1954 का नं. 43) पर बहस के दौरान जबरदस्ती सहवास का विरोध किया और बच्चों को गैर कानूनी बताने का विरोध और महिलाओं के प्रति अधिक मानवीय और व्यवहारिक रूख अपनाने का आह्वान किया।[8]

इसी तरह महिला सदस्यों ने 1955 में हिन्दू विवाह बिल का मजबूती से समर्थन किया। इसमें महिलाओं की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए, उनमें से कईयों ने अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की भर्त्सना की जिसमें महिलाओं के मत्थे तो सारी जिम्मेदारी थी और पुरूषों के पास सारे अधिकार।[9]

Hkkjrh; lafo/kku esa fgUnw dksM fcy dh LFkkiuk

हिन्दू कोड बिल स्त्रियों का मेग्नाकार्टा था, जिसके मूल सिद्वांत महत्वपूर्ण थे और भारत भावी विकास और सामाजिक एकता के लिए आवश्यक बिल जिसे लम्बे समय तक दबाकर रखना भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए लगभग खतरनाक था। लम्बे समय तक स्त्रीयों के प्रति उपेक्षा हमारी संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय रहा, यद्यपि बिल के निर्माता ने इसमें त्रुटि होना और उसमें सुधार–संशोधन को मानने के लिए तैयार था, परन्तु इसके मूलभूत सिद्वांतो को कोई नकार नहीं सकता लेकिन हिन्दू रूढ़िवादिता और पुरूष अंहकार ने प्रगतिशील विचार में बाधक बनने का काम किया, परन्तु आम चुनाव के पश्चात स्त्रियों के प्रतिनिधित्व की कमी और उनके पुरूषों की अपेक्षा अधिक सचेतता, जूझारूता ने नेहरू को पुनः हिन्दू कोड बिल को कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक मनु के द्वारा बनाये गये हिन्दू कोड बिल को 4 भागों में अलग–अलग बिल के रूप में पेश और पारित किया गया।[10]

1. 18 मई, 1956 को "हिन्दू विवाह विधेयक" ।
2. 17 जून, 1956 को "हिन्दू उतराधिकारी विधेयक"।
3. 25 अगस्त, 1956 को "हिन्दू अल्पव्यस्कता और संरक्षण विधेयक" ।
4. 14 दिसम्बर, 1956 को "हिन्दू दत्तक ग्रहण और निर्वाह विधेयक" ।

fu"d"kZ %

अम्बेडकर और नेहरू दोनों ही प्रगतिशीलता के पोषक थे, उसमें एक ने कानूनों का निर्माण किया तो दूसरे ने उन्हें लागू कर भारत के भावी विकास हेतु सामाजिक न्याय की आधारशिला तैयार कर दी थी। हिन्दू कोड बिल के मूलभूत सिद्वांत वर्तमान और

भावी भारत के लिए क्रांतिकारी सिद्व होंगे। आज इसके द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है और भविष्य में उसे नकारना किसी के लिए संभव नहीं।

नेहरू का लोकसभा में 1955 में दिया गया भाषण "पुरूषों और महिलाओं की बराबरी की मान्यता, सब को बराबर के अधिकार और अवसर प्रदान किये बगैर लोकतंत्र की कल्पना संभव नहीं थी, यदि आप मानवता के एक बड़े हिस्से, लोगों के पचास फीसदी को अलग काटकर उन्हें सामाजिक और अन्य मामलों में एक अलग श्रेणी में रख दें तो वे विद्रोह करेंगे ही और सही करेंगे।"[11]

इसी प्रकार का संकेत अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल को लोकसभा में प्रस्तुत करते समय दिये थे और आज भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व में 50 प्रतिशत स्थान का मुद्दा समाप्त नहीं हुआ और न ही उत्पीडन में कमी हो पायी है। अम्बेडकर के प्रगतिशील विचारों में हिन्दू रूढिवादियों को गम्भीर चेतावनी लगी कि वे उनके प्राचीन धर्मशास्त्रों को चुनौती दे रहें है और उनके द्वारा बनाई गई भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। सम्भवतः यही कारण रहा होगा कि हिन्दू कोड बिल को संसद में पारित होने में व्यापक समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

lanHkZ %

1. "डॉ. अम्बेडकरः जीवन दर्शन" पुजारी विजय कुमार– शाहदरा, दिल्ली, 2010, पृष्ठ सं. 139।
2. "डॉ. अम्बेडकरः जीवन दर्शन" पुजारी विजय कुमार– शाहदरा, दिल्ली, 2010, पृष्ठ सं. 139–140।
3. "संसदीय लोकतंत्र का इतिहास" कश्यप सुभाष– दिल्ली, 1998, पृष्ठ सं. 155।
4. पार्टो डिबे. 17 सितम्बर 1951, सं. 4735, लेटर्स, वही, पृष्ठ सं. 480 (पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1951) चौधरी, वही पृष्ठ सं. 249।
5. लेटर्स, वही पृष्ठ सं. 502 (पत्र दिनांक 4 अक्टूबर, 1951)।
6. "संसदीय लोकतंत्र का इतिहास" सुभाष कश्यप – दिल्ली– 1998, पृष्ठ सं. 786।
7. लेटर्स, वही पृष्ठ सं. 614।
8. लो.स. डिबे. 17 सितम्बर, 1954, श्रीमती जयश्री, पृष्ठ सं. 2211–13।
9. वही, 4 मई, 1955, श्रीमती जयन्ती, सं. 7707–08, श्रीमती रेणु चक्रवती, सं. 7709–13 और 7781–84, श्रीमती सुषमा सेन, सं. 7741–43 और 7790–91, श्रीमती सुचेता कृपलानी, सं. 7877–78, श्रीमती शिवराजवती नेहरू, सं. 7895–97, 5 मई, 1955, श्रीमती ऊमा नेहरू, सं. 7984–86, मार्फत– (संसदीय लोकतंत्र का इतिहास– सुभाष कश्यप, दिल्ली, पृष्ठ सं. 218)।
10. डॉ. अम्बेडकरः जीवन दर्शन– पुजारी विजय कुमार– दिल्ली 2010, पृष्ठ सं. 143।
11. ले.स. डिबे. 5 मई हिन्दू मैरेज बिल, स्पीचेज, वही, पृष्ठ सं. 451।

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 72-76

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के उदय के कारण, संगठन एवं कार्य प्रणाली

* *डॉ. अजय कुमार सिंह*

नक्सलवाद आंदोलन का जन्म नई चेतना नई शक्ति का जन्म था, जिसका लक्ष्य मार्क्स–लेनिन विचारधारा का अनुसरण एंव माओं–त्से–तुंग के बन्दूक की ताकत से सत्ता प्राप्त करने के सिद्धांत का पालन कर भारतीय सामाजिक राजनीति व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना था। यह लोग पूरे देश में नक्सलबाड़ी का नेटवर्क स्थापित कर ग्रामीण जनता को एकत्र कर राज्य की सत्ता को छीनना चाहते थे। इनके समूह में गरीब व शोषित आदिवासी, आधा बटई पर खेती करने वाले कृषक, छात्र एंव अन्य वे सभी वर्ग सम्मिलित थे, जो जमींदारों एंव पुलिस उत्पीड़ित रहे हों। वस्तुतः नक्सलवाद आंदोलन मुख्यतः शोषण विरोधी विचारधारा है। इनका आदर्श सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। दरअसल, अत्याचार का विरोध भारत के प्रत्येक महापुरूषों ने किया है। महात्मा गांधी कहा करते थे– ''अत्याचार का विरोध न कर अत्याचार को चुपचाप सहने वाला सबसे बड़ा पापी है। नक्सलवादियों की कार्यप्रणाली भी समय के साथ परिवर्तित हुई है। पहले वे शोषितों को न्याय दिलाने तक ही सीमित थे, लेकिन अब उनकी कार्यप्रणाली का विस्तार हो चुका है वे ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, अपने संगठन के लिये साहित्य का प्रकाशन करते है। आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त करते है एंव आत्मघाती कार्यवाहियों को अंजाम देने तत्पर रहते है। वर्तमान में नक्सलवाद केवल भारत की आंतरिक समस्या है वरन् यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने है।

आंदोलन या क्रांति क्यों जन्मती है? यह प्रश्न बुद्धिजीवियों के मानस पटल पर सदैव ही उभरता रहा है तथा उभरता रहेगा और निःसंदेह हर बार इसका उत्तर एक ही होगा, समकालीन परिस्थितियों एंव व्यवस्था में असंतोष होना। रूस की बोल्शेविक क्रांति हो या माओ के नेतृत्व में (1948) में चीन की साम्यवादी क्रांति इनके मूल में तत्कालीन सत्ता के कमजोर शासन प्रबंध एंव समन्वित विकास की नीतियों की अस्पष्टता ही प्रभावित रही है। भारत के सन्दर्भ में देखें तो भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक अनेकानेक आंदोलन विभिन्न स्तरों पर होते रहे हैं और वर्तमान में भी संचालित है। यदि इनके मूल में देखा जाय तो व्यवस्था से असन्तोष सर्व प्रमुख कारण है। इससे एक बात निश्चित तौर पर स्पष्ट होती है कि देशकाल परिस्थितियों एक आंदोलनों के स्वरूप में भलें ही विभिन्नता हो किन्तु इनके जन्म लेने का कारण एक ही है वह है स्थापित व्यवस्था को परिवर्तित करने की प्रबल उत्कंठा।[1]

नक्सलवाद 'नक्सलबाड़ी' नामक शब्द से बना है जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी

* *पोस्ट डॉक्टोरेल फेलो, आईसीएचआर नईदिल्ली*

अनुमण्डल में स्थित एक स्थान का नाम है। 3 मार्च 1967 को नक्सलवादी आंदोलन का प्रारम्भ इसी स्थान से हुआ। यह नेपाल से 7 कि. मी., बंगलादेश से 22 कि.मी., सिक्किम से 30 कि.मी. तथा तिब्बत से 125 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र के तीन स्थान–नक्सलबाड़ी, खारीबाड़ी और फासीदेवा है। जिसमें अधिकांश आदिम जनजाति के लोग थे। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र का अपना विशिष्ट महत्व है।[2]

उपरोक्त क्षेत्र जुलाई 1967 में साम्यवाद प्रभावित 'किसान सभा' भूमि सबंधी विद्रोह से काफी चर्चित हो गये। इस विप्लव के दौरान चीन समर्थक नारे लगाये गये तथा बलात् भू–अपहरण किया गया तथा फसलों को काट लिया गया। पूर्व नियोजित आंतक और हिंसा के इस अभियान में देशी हथियारों का प्रयोग किया गया। इस विद्रोह के प्रमुख उग्रवादी नेता कानू सान्याल, चारू मजुमदार, जंगल संथालय, कदम मलिक तथा मुजीबुर रहमान आदि थे।[3]

नक्सलवाद आंदोलन का जन्म नई चेतना नई शक्ति का जन्म था, जिसका लक्ष्य मार्क्स–लेनिन विचारधारा का अनुसरण एंव माओं–त्से–तुंग के बन्दूक की ताकत से सत्ता प्राप्त करने के सिद्धांत का पालन कर भारतीय सामाजिक राजनीति व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना था। यह लोग पूरे देश में नक्सलबाड़ी का नेटवर्क स्थापित कर ग्रामीण जनता को एकत्र कर राज्य की सत्ता को छीनना चाहते थे। इनके समूह में गरीब व शोषित आदिवासी, आधा बटई पर खेती करने वाले कषक, छात्र एंव अन्य वे सभी वर्ग सम्मिलित थे, जो जमींदारों एंव पुलिस उत्पीड़ी रहे हों।[4]

वस्तुतः नक्सलवाद आंदोलन मुख्यतः शोषण विरोधी विचारधारा है। इनका आदर्श सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। दरअसल, अत्याचार का विरोध भारत के प्रत्येक महापुरूषों ने किया है। महात्मा गांधी कहा करते थे– ''अत्याचार का विरोध न कर अत्याचार को चुपचाप सहने वाला सबसे बड़ा पापी है।''[5]

नक्सलवादियों की कार्यप्रणाली भी समय के साथ परिवर्तित हुई है। पहले वे शोषितों को न्याय दिलाने तक ही सीमित थे, लेकिन अब उनकी कार्यप्रणाली का विस्तार हो चुका है वे ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, अपने संगठन के लिये साहित्य का प्रकाशन करते है। आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त करते है एंव आत्मघाती कार्यवाहियों को अंजाम देने तत्पर रहते है। वर्तमान में नक्सलवाद ने केवल भारत की आंतरिक समस्या है वरन् यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आया है।[6]

NRrhlx<+ esa uDlyokn%

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम मध्य प्रदेश के विभाजन अर्थात् छत्तीसगढ़ का निर्माण से पूर्व की स्थिति एंव द्वितीय छत्तीसगढ़ कें विभाजन के बाद की स्थिति।

मध्यप्रदेश के विभाजन के पूर्व छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र या निरंतर उपेक्षा एंव तिरस्कार का पात्र बना रहा। इसकी भोली–भाली आदिवासी जनता का जमींदारों, साहूकारों, बाहर से आये व्यापारियों एंव प्रशासन के भ्रष्ट नुमांइदों के साथ इनके नेतृत्व की कमान सम्भाले जन प्रतिनिधियों ने भी जमकर शोषण किया। वन–विभाग के अधिकारियों–कर्मचारियों ने आदिवासियों के हितों के प्रतिकूल अनेक कानून बना रखे थे, किन्तु स्थिति में परिवर्तन तब आया जब पांचवे दशक में बंगाल के विस्थपितों के पुनर्वास के लिये जहाँ जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई की गई। यह कटाई ही एक तरह से इस क्षेत्र में नक्सली बीजी की बुआई थी। आदिवासियों ने देखा कि उन्हें पेड़ काटने से रोका जाता है उन्हीं की आंखों के सामने बाहर से आये लोगों की बसाहट के लिये खुलेआम जंगल काटे जा रहे है, इससे उन्होनें अपने घर में खुद को बेगाना महसूस करना शुरू कर दिया।

आदिवासियों ने जब इसके विरूद्ध प्रतिकार

किया तो शासन–प्रशासन ने सुधार करने की बजाय इन पर दमन का चक्र तेज कर दिया और शोषण पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थोप दी गयी जिसने आदिवासियों के जीवन को त्रासदी से भर दिया। बची–खुची कसर अक्षम और भ्रष्ट आदिवासी नेता और जन–प्रतिनिधियों ने कर दी जिस कारण आदिवासियों को नये मसीहा की आवश्यकता महसूस हुई। इसी बीच बस्तर के लोकप्रिय महाराजा प्रवीरचंद भंजनदेव की पुलिस गोलीबारी में हुई मौत ने इस कमी को और धनीभूत कर दिया। आंध्रप्रदेश के नक्सलियों ने मौके की नजाकत को समझते हुए इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियाँ प्रारम्भ कर दी।

आंध्रप्रदेश की सीमा में लगा बस्तर जिला अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नक्सलवादियों को बहुत भाया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गतिविधियों की प्रारम्भिक घटनाएं तब प्रारम्भ हुई। जब सर्वप्रथम 1968 में आंध्रपदेश पुलिस की कड़ी कार्यवाही से बचने के लिये नक्सलवादियों ने बस्तर की शरण ली और उसी दौर में अपनी विचारधारा से संबंधित पर्चे वितरित किये। तत्कालीन छत्तीसगढ़ में अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिये नक्सलवादियों ने 'पृथक' दण्डकारण्य राज्य की मांग के साथ 1970 के आस–पास बस्तर की यात्राएं प्रारम्भ की।[7] 1970 से 1980 के बीच के वर्षो में नक्सलवादियों ने छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अपना क्षेत्र काफी विस्तारित कर लिया। 1980 के बाद नक्सलवादियों ने इन क्षेत्रों में अपना गतिविधियां तेज कर दी। 1992 के दशक तक तो नक्सलवादियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और राजनांदगॉव जिलों के अंदरूनी क्षेत्र में अपनी समानांतर सत्ता स्थापित कर ली थी।[8]

तत्कालीन छत्तीसगढ़ में अपने क्षेत्र का विस्तार करने की नीति के अन्तर्गत नक्सलवादी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जन आंदोलनों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते थे। स्थिति यहाँ तक आ गयी थी कि ग्रामीण आदिवासी अपनी समस्याओं की शिकायत शासन–प्रशासन से न कर नक्सलवादी से करने लगे थे।

नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ क्षेत्र विशेषकर बस्तर जिला अधिक प्रभावित है। इन क्षेत्रों नक्सलवादी आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र से होकर आ रहे है। नक्सलवादी का सहारा लेकर यहाँ चल रहे विकास परियोजनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे है। वैसे धीरे–धीरे नक्सलियों नें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ को अपना शिकार बनाना आरम्भ कर दिया है।

वस्तुतः दण्डकारण्य राज्य की स्थापना की जो रूप रेखा नक्सलियों द्वारा बनाई गई है उसने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले समाविष्ट है। पृथक दण्डकारण्य की स्थापना हेतु नक्सलियों ने जो क्षेत्र निर्धारित किया है। उसमें आंध्रप्रदेश के सात आदिवासी बहुल जिले मध्यप्रदेश, बालाघाट, मंडला एंव डिंडौरी, महाराश्ट्र के भण्डारा, गढ़चिरौली एंव चंन्द्रपुर उड़ीसा के कोरापुर जिला छत्तीसगढ़ के बस्तर, दन्तेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव जिले तक का भाग सम्मिलित है।[9]

NRrhlx< d uDlyokfn;k dh lxBu ,oe dk;l i.kkyh %

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आंदोलन का संचालन सी.पी.आई. (एम.एल) पीपुल्सवार ग्रुप द्वारा किया जाता है। इन गतिविधियों के संचालन में पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मुख्य भूमिका तथा निर्देशन होता है। पिपुल्सवार ग्रुप का मुख्यालय हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) में किसी अज्ञात स्थान पर है। इस सेंट्रल कमेटी में वर्तमान में कई सदस्य है। इनमें गणपति सेन्ट्रल कमेटी के बाद प्रोवेंशियल कमेटी के सदस्य होते हैं जिनके अधीन फारेस्ट कमेटी तथा डिविजनल कमेटी मेम्बर्स (डी.सी.एम.) होते है। प्रत्येक डी.सी.एम. का कार्यक्षेत्र परिभाषित होता है और प्रत्येक डिविजनल कमेटी के अधीन कुछ दलम होते हैं जिसका प्रमुख दलम कमाण्डर कहलाता है। एफ.सी.एम. (फारेस्ट कमेटी मेम्बर) एंव डी.सी.एम. (डिविजनल कमेटी मेम्बर) अपने दलम के साथ ही घुमता रहता है एंव दलम से दूसरे दलम में आते जाते रहता है। प्रत्येक

डी.सी.एम. और दलम कमाण्डर के पास ए.के.47 रायफल होती है अन्य सदस्यों के पास उनकी योग्यता एंव वरिष्ठता के अनुसार 303 या 12 बोर की बंदूकें होती है।

उपर्युक्त डिविजनों में से वर्तमान छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों का उल्लेख करते हुए सम्पूर्ण भारत के लिए पीपुल्सवार ग्रुप ने अनेक कमेटियाँ बनाई है। जिनमें दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है इस कमेटी का कार्यक्षेत्र 04 राज्यों के 25 जिलों तक विस्तारित ळें (1) नार्थ बस्तर डिवीजन (2) साऊथ बस्तर डिवीजन (3) बालाघाट डिवीजन (4) माड डिवीजन (5) गड़ चिरौली डिवीजन

छत्तीसगढ़ राज्य में 72,000 वर्ग कि.मी. भूमि में इनका जाल फैला है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, जशपुर अम्बिकापुर, कवर्धा, राजनांदगांव, कांकेर बस्तर व दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ डिवीजन के अंतर्गत कुछ दलम एंव संघम कार्य करते है। ये सभी सैन्य तकनीकों तथा छापामार युद्धों में प्रशिक्षित होते हैं। प्रत्येक दलम में एक कमाण्डर तथा एक डिप्टी कमाण्डर नियमित रूप से रहता है छत्तीसगढ़ में सक्रिय अधिकतर दलमों में कमाण्डर आंध्रप्रदेश तथा महाराष्ट्र मूल के है। नक्सली अपने दलम के नेता को कमाण्डर कहते है। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का पहला दलम दक्षिण बस्तर में 1983 में गठित किया गया था। नेशनल पार्क दलम का नेता (कमाण्डर) लिंगा पापाया रेड्डी था। 1984 में ''बैलाडिला दलम'' और ''भदेड़ दलम'' भी दक्षिण बस्तर में गठित हुए फिर इनका विस्तार होता रहा है। नक्सलवादी दलम के दलम कमाण्डर तथा सदस्य अपना वास्तविक नाम उपयोग नहीं करते हैं और दलम नाम से स्वयं का परिचय ग्रमवासियों को देते हैं। नक्सली दलम में नये भर्ती होने वाले सदस्यों को नक्सली विचारधारा के बारे में जानकारी दी जाती है। शासन एंव प्रशासन की खामियाँ बताई जाती हैं एंव कमजोर वर्ग के लोगों को प्रतिकार करने की अपील करते हैं।

uDlyokfn;ksa dh dk;Z iz.kkyh %

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलवादियों की कार्यप्रणालियों के कुछ विशिष्ट तरीके है जो इस प्रकार से है –

(1) नक्सलवादियों द्वारा ग्रामीण आदिवासियों की सहानुभूति अर्जित करने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति तथा कर्मचारियों को आम जनता के बीच प्रताड़ित किया जाता है, जिनके द्वारा किसी ग्रामवासी को परेशान किया गया है अथवा ग्रामवासीयों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध पेरशान करने की शिकायत नक्सली दलम तक पहुँचाई गयी है।

(2) शस्त्र एकत्रित कर अपनी मारक क्षमताा बढ़ाने के उद्देश्य से लाईसेन्स धारियों पर हमला कर शस्त्र लुटना।

(3) पुलिस का मुखबिर होने की सन्देह में ऐसे व्यक्ति की हत्या अथवा क्रुरता पूर्वक मारपीट की जाती है ताकि कोई अन्य व्यक्ति मुखबीरी न कर सके।

(4) सेन्ट्रल कमेटी के निर्देशानुसार किसी क्षेत्र विशेष में बंद का आव्हान करने पर उसे सफल बनाने के उद्देश्य से वृक्ष काटकर, पत्थर गाड़कर या गढ़ढे खोदकर मार्ग अवरूद्ध करना, बंद का समर्थन न करने वाले वाहनों को जला देना अथवा क्षतिग्रस्त करना तथा दोषी व्यक्तियों को प्रताड़ित करना।

(5) किसी भी स्तर के निर्वाचन में ग्रामवासियों को मतदान न करने हेतु प्रेरित करना।

(6) देशों में व्याप्त शोषण–भ्रष्टाचार एंव शासन की नीतियों से आम व्यक्ति को होने वाली परेशानियों का व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को इसके विरूद्ध प्रतिकार करने हेतु प्रेरित किया जाता है जिसके अन्तर्गत वे गुरिल्ला तरीके से घात लगाकर हमला करते हैं अथवा माईन ब्लास्ट से नक्सलियों द्वारा प्रायः पुलिस को निशाना बनाया जाता है, पुलिस को अधिक से अधिक क्षति पहुँचाने का प्रयास करते है।(10)

उपरोक्त वर्णनानुसार हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सूत्रपात आदिवासी अंचल के वनवासी जीवन और वहाँ कार्यरत् शासकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य विधियों और कारगुंजारियों के कारण ही हुआ है। आदिवासियों

की पीड़ा और शासकीय उत्पीड़न के विरूद्ध नक्सलवादी मसीहा बनकर आए जबकि राजंतत्र के लिये वे सरकारी मशीन के दुश्मन है। वन में रहने वाले निरीह आदिवासियों की अंतर आत्मा की चीत्कार को सुने बिना नक्सलवाद पर विचार करना भी शासकीय चेष्टाओं को हास्यपद बनाना होगा एंव उनकों बढ़ावा देना है।

सरकारी वातानुकूलित कमरों में बैठकर यह व्यक्तव्य दिये जा सकते है कि नक्सलवाद अन्डरग्राउण्ड है। परन्तु स्थिति यह है कि बस्तर, बालाघाट, राजनांदगांव, मण्डला जिले के वन्य क्षेत्रों में नक्सलवाद की जड़ें फैलती जा रही है और यदि यह रफ्तार रही तो नक्सलवाद गाँवों और नगरों में भी कुछ वर्षो में रास्ता बना लेगा।[11] जब तक गरीब, उपेक्षित आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जाएगा, गोलियाँ चलती रहेगीं। नक्सली गतिविधियाँ चलती रहेगी। भूमिहीनों और भूपतियों की लड़ाई पलटकर अब भूमिहीनों और सरकार के बीच का संघर्ष बन गयी है। न्याय की मांग करने वाले को न्याय न मिलने पर विद्रोह की स्थिति आने पर उनका दमन करके उनकी आवाज को नहीं दबाया जा सकता यदि सरकार समस्या का स्थायी समाधान चाहती है तो उसे समुचित न्याय प्रदान करना होगा तथा भूखों के लिए रोटी, वस्त्रहीनों के लिये वस्त्र, मकान विहीन लोगों के लिए छत की व्यवस्था करनी होगी और उनके समुचित अधिकारों की रक्षा भी करनी होगी।[12]

---

lanHkZ %

1. यू.एन. आई ग्राउण्डर 28 जनवरी 1988
2. दि टाइम्स (लंदन) 10 जून 1969
3. इकोनोमिक एण्ड फिलासफिक मैनुक्रिप्ट्स ऑफ –1984, मास्कों, 1959, पृ.–69
4. राय, शिव कुमार – ''बन्दूक की ताकत से सत्ता का स्वप्न और नक्सलवाद आंदोलन'' नवभारत, इन्दौर, अगस्त 1999, पृ.–4
5. आदिवासियों के दोस्त राबिन हुड नक्सली विदर्भ चंडिका, नागपुर जुलाई, 1991पृ.–5
6. जोशी, मदन मोहन – 'गुनाहो का देवता का दैत्य बन गये'' दैनिक भास्कर, इन्दौर, 13 मार्च 2002, पृ.–4
7. वहीं – पृ. –4
8. पटेरिया, शिव अनुराग – ''व्यवस्था के खिलाफ बन्दूक, ''मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पृ.–73,2001
9. शुक्ल, प्रोफेसर हीरालाल – ''आदिवासी अस्मिता और विकास'' पृ.–290, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
10. उपरोक्त शीर्षक से संबंधित विवेचना पुलिस अधिक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी।
11. मिश्र, पण्डित ए. के – दैनिक भास्कर, 7 मार्च 1997
12. दिनमान 15–21, नवम्बर 1981।

नोटः डॉ. अजय कुमार सिंह ICHR नई दिल्ली को पोस्ट डाक्टोरल फैलोशिप प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते है। प्रस्तुत शोध पत्र के लिए सामग्री में पोस्ट डाक्टोरल फैलोशिप द्वारा प्रदत्त धनराशि का प्रयोग किया गया है।

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 77-80

अगस्त क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि

** डॉ. तिहारु बघेल*

क्रिप्स मिशन विफल हो चुका था, भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा था। बढ़ती हुई कीमतों और युद्धकालीन अभावों के कारण लोगों का असंतोष विस्फोटक स्थिति में पहुंच रहा था। भारतीयों नेताओं ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वाधीनता देने के पक्ष में नहीं है। जिससे भीषण उत्तेजना फैली। इन सबने अंग्रेज सरकार के प्रति गांधीजी के व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन ला दिया। गांधीजी ने हरिजन में लिखे अपने लेख में अंग्रेजों से भारत को भगवान भरोसे छोड़कर चले जाने को कहा। भारत छोड़ो आंदोलन संक्षिप्त था फिर भी इसने साम्राज्य के विरूद्ध भारत के आक्रोश और स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। अगस्त क्रांति को लिनलिथगो ने 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा। इस आंदोलन ने यह दिखला दिया कि जनता की इच्छा के विरूद्ध भारत पर शासन करना अब संभव नहीं। आम भारतीय स्वतंत्रता के कम किसी भी बात पर संतुष्ट नहीं है और इसके लिए वह बड़े से बड़ा तकलीफ उठा सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन से विश्व–भर के मित्र राष्ट्र भी भारतीय स्वतंत्रता की मांग से प्रभावित हुए।

द्वितीय विश्वयुद्ध की अभ्यस्त काल में भारत में आमूल–चूल राजनीतिक परिवर्तन हुए। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से गांधीजी को घोर विक्षोभ हुआ, परिणामस्वरूप भारत छोड़ो आन्दोलन की ओर दृढ़ संकल्पित हुए। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत पर से अपना शासन तत्काल समाप्त करने को उत्सुक नहीं है और न ही किसी सम्मानजनक स्थिति के लिए तैयार है। गांधीजी इस फासिस्ट विरोधी युद्ध को किसी भी तरह कमजोर करना नहीं चाहते थे और इस निर्णय पर पहुँचे और अधिक चुप रहना यह स्वीकार कर लेना है कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय लोगों की इच्छा जाने बिना भारत का भाग्य तय करने का अधिकार है। 'करो या मरो' वाले अपने भाषण में गांधी साफ–साफ कहा था कि ''मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता।'' लेकिन 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है।[1] यद्यपि द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्र प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने का नारा दे रहा था, परन्तु ब्रिटेन भारत में इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर रहा था। ब्रिटेन अपनी संकीर्णता का परिचय देकर भारत की प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और एकरूपता को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। इस ब्रिटिश कुत्सित मानसिकता का तोड़ एक मात्र उपाय था 'भारत की स्वतन्त्रता'। तभी वह अपने मूल्यों को सुरक्षित रख सकता था।[2] इस प्रकार गांधीजी लगातार अंग्रेजों के भारत छोड़ने की संभावनाओं पर विचार कर रहे थे। गांधी जी की विचारधारानुसार ''भारत छोड़ो प्रस्ताव'' अहिंसा की दृष्टि से आत्मा की सबल और स्वस्थ पुकार है। इसका अर्थ है अहिंसा और सत्य के शुद्ध उपायों से विदेशी हुकूमत और अधिकार को खत्म करना। और इस योजना में विदेशियों में द्वेष या नफरत करने की कोई मंशा नहीं है।[3] गांधीजी यह जानते थे कि अंग्रेज भारत की सुरक्षा नहीं कर सकता अतः उसके लिए उत्तम यही है कि भारत को उसके भाग्य पर छोड़ दे, इस विचारधारा को प्रचारित करते हुए उन्होंने 26 अप्रेल

* *शिक्षक, जिला पंचायत, रायपुर (छ.ग.)*

को हरिजन में लिखा कि जब तक ब्रिटेन का अस्तित्व भारत में रहेगा, तब तक हिन्दु–मुस्लिम एकता स्थापित नहीं होगी। अगले लेख में उन्होंने अंग्रेजों के भारत छोड़ने कि स्थिति में भारत का प्रशासन किसे सौपे, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, 'उन्हें ईश्वर के हाथें में भारत को सौंप कर चले जाना चाहिए। इससे निश्चित ही भारत में अराजकता उत्पन्न होगी, तथापि उस अराजकता में से एक सच्चे भारत का उदय होगा।''[4]

भारत छोड़ो आन्दोलन का उद्देश्य एक ओर पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करना और दूसरी ओर अपने देश को जापानी आक्रमण से बचाना था। साथ ही इस युद्ध को जनता के वास्तविक युद्ध में बदलना था। इस समय युद्ध की नीति यह थी कि यदि सम्भव हो तो जनता को युद्ध की आग में ढकेलते हुए ब्रिटिश सरकार से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार की स्थापना की जाए। इस आन्दोलन का नारा था 'अंग्रेजों भारत छोड़ो'। इस नारा ने जनता में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति व जीवन पैदा कर दिया और भारतीयता प्रश्न को एक नया रूप, जीवन व धारणा प्रदान की।[5]

स्वाधीनता का सबसे बड़ा समर्थक तथा प्रजातंत्र के मूल्यों में गांधीजी के अटूट विश्वास पर लेश मात्र भी संदेह नही है। समय के साथ–साथ इनके भारत छोड़ो विचारधारा में परिपक्वता आती गई। देश–विदेश के पत्रकार उनके पास इस संबंध में जानकारी लेने हेतु पहुंचने लगे। उन्होंने विदेशों के अनेक नेताओं को पत्र लिखकर इस विचाराधारा की औचित्य प्रतिपादित किया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक जुलाई को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत छोड़ो विचारधारा के पीछे उनकी मित्र देशों के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी।[6] गांधीजी 8 अगस्त 1942 की रात में कांग्रेस की महासमिति के सामने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' पर बोलते हुए कहा था– 'मैं तो एक ही चीज लेने जा रहा हूँ आजादी, नहीं देना है तो कत्ल करे। मैं आजादी से कम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होऊंगा। आपको एक मंत्र देता हूं – करेंगे या मरेंगे'। 'जेल को भूल जाए आप। सुबह शाम यही कहे कि खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ तो गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए, जो आजादी के लिए मरना जानते हैं, उन्होंने जीने की कला जानी है। आज से तय करेंगे की आजादी लेना है या नहीं। लेनी है तो मरने से भी नहीं डरनी है। आजादी डरपोकों के लिए नहीं है, जिनमें हासिल करने का हौसला व अभिलाषा है, वही जिन्दा रहने के काबिल है। हम चिटियाँ नहीं है, हाथी से भी भयानक शेर से कम नहीं है।[7]

निर्णायक लड़ाई इसलिए भी अनिवार्य हो गया था कि युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों और जरूरी वस्तुओं के अभाव में जनता में बेहद असंतोष था। मलाया और बर्मा को ब्रिटिश सरकार जिस तरह खाली किया, उससे भी काफी क्षोभ फैला। अंग्रेजी बस्तियाँ खाली कर दी गई थी और स्थानीय लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। भारत के लोग सोचने लग गये थे कि अगर जापानी हमला हुआ तो अंग्रेज लोग यहाँ भी उसी तरह विश्वासघात करेंगे। राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं को संघर्ष छेड़ने की जरूरत इसलिए भी महसूस हुई कि लोगों में निराशा फैल रही थी और यह आशंका पैदा हो गयी थी कि कहीं जापानी हमले को जनता द्वारा कोई प्रतिरोध ही न हो।[8] कॉंग्रेस की कार्यसमिति प्रारंभ में गांधी की 'भारत छोड़ो' विचारधारा से सहमत नहीं थी। उन्होंने अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि 'यदि अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया तो उनकी सेनाएं यहाँ से हट जाएगी तथा नागरिक प्रशासन के समूचे तंत्र में खालीपन उत्पन्न हो जायेगी, जिसे तत्काल भरना सम्भव नहीं होगा। इस तरह कार्य समिति में गांधीजी के भारत छोड़ो विचारधारा की तीव्र आलोचना हुई।[9]

इस प्रकार गांधीजी की भारत छोड़ो विचारधारा के पक्ष तथा विपक्ष में कांग्रेस कार्यसमिति में काफी वाद–विवाद हुआ। गांधीजी के समर्थक जहाँ तक उक्त प्रस्ताव को मूलरूप में पास करना चाहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद को भी इस बात का भय था कि यदि गांधीजी का प्रस्ताव मूलरूप में पारित हो गया तो, इससे कांग्रेस कार्य समिति में फूट पड़ जाएगी। अतः उन्होंने दोनों पक्षों को आपस में विचार–विमर्श कर तथा मूल प्रस्ताव में

संशोधन कर इसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखने का निर्णय किया।1.0

एक मई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्य समिति का संशोधित प्रस्ताव स्वीकार किया। यह गांधीजी के मूल प्रस्ताव का संशोधित स्वरूप था।

अतः यह कहा जा सकता है कि गांधी के निकट अनुयायी उनकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत नही थे, तथापि युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति ने उनके और उनके अनुयायियों के बीच मतभेद दूर करने में सहायता प्रदान की। वस्तुतः गांधीजी के बिना कांग्रेस का नेतृत्व सशक्त नहीं हो सकता था। किन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आयी जो पुनः एक बार कांग्रेसी नेताओं को गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार 'भारत छोड़ो आन्दोलन' की विचारधारा से कांग्रेस को सहमत होना पड़ा।[11]

Hkkjr NksMk iLrko &

कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा गांधी द्वारा प्रस्तुत भारत छोड़ो प्रस्ताव पर आंशिक संशोधन उपरान्त 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की वर्धा बैठक, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद किये थे, में स्वीकार कर लिया। यही प्रस्ताव भारत छोड़ो आन्दोलन का मूल आधार बना। प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया कि भारत से ब्रिटिश शासन तत्काल समाप्त होना चाहिए।[12] भारत में होने वाले इस आन्दोलन के स्वरूप के विषय में गांधीजी ने एक प्रश्नकर्ता को बताया था, 'यह ऐसा आन्दोलन होगा जिसको सारा संसार अनुभव करेगा संभव है यह ब्रिटिश सेना कि हलचलों में बाधा न पहुंचा सके, परन्तु यह तो निश्चित है कि इसकी ओर अंग्रेजों का ध्यान जरूर जायेगा।

अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम समझते हो कि भारत में अराजकता हो जायेगी, तो हो जाने दो, लुई फिशर से एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि – भारत छोड़ने और न छोड़ने के बीच कोई दुसरा रास्ता नहीं है।[13] उक्त बातें 5 जुलाई 1942 को हरिजन में गांधी ने कहा था। स्थिति चाहे जो भी हो ब्रिटिश सरकार चिंतित अवश्य थी। इस आन्दोलन का महत्व इसी से लगाया जा सकता है कि 31 अगस्त 1942 को लार्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल को लिखा 'सन 1857 के बाद हुए सबसे गंभीर विद्रोह का मुकाबला करने में मैं व्यस्त हूँ।[14]

8 अगस्त 1942 को प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होने के तुरंत बाद एक अंग्रेज पत्रकार गांधी से मिला और उसने आन्दोलन की रूपरेखा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं है, पर यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आन्दोलन होगा। प्रस्ताव पास हो गया। यह निश्चित था कि व्यापक पैमाने पर एक भीषण जन आन्दोलन होने वाला है पर गांधीजी को अब भी लगता कि कोई समझौता हो जायेगा। मीरा बेन भी इस संबंध में वाइसराय से मिली थी परन्तु वाइसराय ने गांधीजी से मिलने से साफ इंकार कर दिया।[15] 1942 का आन्दोलन देशवासियों की कठिन परीक्षा थी, लोगों का कहना था कि हम गुलामों के रूप में मरना नहीं चाहते। हमारा यह अटल विश्वास है कि हम देश के लिए रक्त की अंतिम बुंद भी बहा देंगे।[16]

vkUnksyu dk ?kVukØe &

9 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवस था। इस दिन शताब्दियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भारतीय जन समुदाय ने मानसिक रूप से अपने को स्वाधीन मानकर विदेशी शासकों को 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नारा देकर ललकारा। इसी दिन भारतीय जनता बंबई के गवालिया टैंक मैदान में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के महाधिवेशन में महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतन्त्रता के लिए करो या मरो का व्रत लेकर आन्दोलन में कूद पड़े।[17] सन् 1942 के अगस्त माह की आठ और नौ तारीख के बीच की रात को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत देश के प्रायः सभी राष्ट्रीय नेता बम्बई में गिरफ्तार कर लिये गये। जेल जाते–जाते महात्मा गांधी ने देश को 'करो या मरो' का मंत्र दिया। देश को आजाद करो या मर मिटो। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज से हर भारतवासी अपने को आजाद समझे। जेल जाते समय राष्ट्रीय नेताओं

ने स्पष्ट आदेश दिया था कि गिरफ्तारी से बचते हुए आन्दोलन की लौ को जलाये रखे।[18] अचानक 9 अगस्त को गांधीजी बिरला हाऊस, जहाँ वे ठहरे हुए थे गिरफ्तार कर लिये गये। साथ–ही–साथ कांग्रेस के अन्य बड़े नेता भी गिरफ्तार कर लिये गये। यह समाचार पूरे देश में आग की तरह फैल गयी। सारे दिन प्रदर्शन, हड़तालें, सभाओं और करो या मरो के नारे से देश गूँजने लगा। 9 अगस्त को ही कांग्रेस पार्टी अवैध ा घोषित कर दी गयी। कांग्रेसियों की सम्पत्ति छीन ली गयी। उत्तेजित भीड़ पर गोली चलाने की आदेश दिये गये।[19]

गांधी की नेतृत्व में पुष्पित एवं पल्लवित 1942 का अगस्त क्रांति, समाचीन थी। इस आन्दोलन ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की। जिसकी सोपानों पर चलकर अन्ततः भारत स्वतन्त्र हुआ। यह अपने तरह का एक ऐसा अलग आन्दोलन था जिसमें पहली बार आमजन समूह के साथ–साथ तादात में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित हुई थी। तात्पर्य यह है कि पहली बार भारतीय आम जनता स्वतन्त्रता के मूल्यों से अवगत हो, क्रांति की अनिवार्यता को सहृदय स्वीकार किया था। इस प्रकार लोग स्वतन्त्रता के लिए व्यग्र हो उठे थे, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारतीय स्वतन्त्रता के प्रति अपने नीति में आमूल परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया था। इस प्रकार 'भारत छोड़ो' आन्दोलन की महत्व स्वमेव सिद्ध है।

---

lnHk %

[1]विपिन चंद, 'भारत का स्वतन्त्रता संग्राम', हिन्दी कार्यनवालय, निदेशालय, नई दिल्ली, 1980, पृ. 366।

[2]ताराचंद, 'हिस्ट्री ऑफ फ्रिडम मूवमेंट इन इंडिया', खण्ड–4, नई दिल्ली, पृ. 367 ।

[3]एम.पी.सी.सी. पेपर्स खण्डवा, 16 अप्रेल, 1946, अंक–33 ।

[4]होम पोलिटिकल डिपार्टमेंट, फाइल नं. आर. 1/3 नोट्स ऑन कांग्रेस 1920–47, पृ. 14–15।

[5]ए.एम. जैदी, 'दि वेह फ्रिडम इन इन्क्वायरी इन टू किट इण्डिया मूवमेंट', नई दिल्ली, 1975, पृ. 34 ।

[6]गोविन्द सहाय, 'सन बयालीस का विद्रोह', नई दिल्ली 1985, पृ. 32 ।

[7]शंकर दयाल सिंह, 'भारत छोड़ो आन्दोलन', पृ. 1 ।

[8]होम पोलिटिकल फाइल 18.02.1945, रिपोर्ट फरवरी, 1945 का द्वितीय पक्ष।

[9]हितवाद, नागपुर, दिनांक 5 अगस्त 1942 ।

[10]रायपुर जिला गजेटियर 1970, पृ. 335 ।

[11]विपिन चंद, 'पुर्वोक्त', पृ. 366–67 ।

[12]ए.एम. एण्ड एस.जी. जैदी, 'पूर्वोक्त', पृ. 469 ।

[13]ओम नागपाल, 'भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास' नई दिल्ली, 1987, पृ. 154 ।

[14]श्री केयूर भूषण, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, साक्षात्कार, दिनांक 18 दिसम्बर 2011 ।

[15]पी.एन. चोपड़ा, 'किडट इण्डिया मूवमेंट', (ब्रिटिश सीक्रेट रिपोर्ट पर आधारित) ।

[16]रामलखन शुक्ल, 'आधुनिक भारत का इतिहास', हिन्दी माध्यम कार्यानवालय निर्देशालय, नई दिल्ली, 2011, पृ. 465 ।

[17]संतोष शुक्ला, 'महाकौशल', दीपावली विशेषांक, 1970, पृ. 12 ।

[18]होम पोलिटिकल फाइल 18.06.1942, पाक्षिक रिपोर्ट, जून 1942 का द्वितीय पक्ष ।

नवभारत, रायपुर, दिनांक 9 अगस्त, 1942 ।

Mind & Society, ISSN 2277-6907
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 61-71

दलित उत्थान और महात्मा ज्योतिराव फुले

* दीनूराम राणा

हरिजनों के उद्धार हेतु महात्मा फुले ने अनेक कार्यक्रम और सुधार कार्य कर समरसता का परचम लहराया। जो उस समय के समाज में साहस की बात थी। इसीलिए 19वीं सदी के महात्मा गांधी इन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। शूद्रों को आज जो महत्ता मिली, इसके प्रथम प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले है। इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर इन्हें गुरू मानते थे।

महात्मा ज्योतिबा फुले का सारा जीवन दलितों और शोषितों के उद्धार हेतु समर्पित था। वे मानव को स्वालंबी व स्वतंत्र देखना चाहते थे। उनकी प्रतिभायें उनकी शिक्षा, उनका व्यक्तित्व,उनका कृतित्व सच्ची मानवसेवा व सच्ची राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती है। वे मानव की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के प्रबल प्रहरी थे। दलितों के उद्धार के साथ–साथ समाज सुधारक भी थे। इस सन्दर्भ में उन्होंने रूढ़ियों का खण्डन किया। सती प्रथा तथा विधवा मुंडन का विरोध तथा विधवा विवाह का समर्थन किया और दीन दलित स्त्रियों के लिए छोटे–छोटे उद्योगों की व्यवस्था की।

महात्मा ज्योतिबा फुले ने रूढ़िवादिता, मनुवाद, संकीर्णता और जाति व्यवस्था के विरूद्ध कार्य किया और दलितों, शोषितों के सर्वांगीण विकास में अपना जीवन समर्पित किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि शुद्रों के विनाश का मूल कारण उनमें व्याप्त अज्ञान है, इसलिए उन्होंने अज्ञान के विरूद्ध एक प्रकार से जिहाद छेड़ा था और शुद्रों की शिक्षा पर ज्यादा बल दिया । विद्यार्जन की महत्व का वर्णन करते हुए ज्योतिबा फुले ने कहा है बिद्या बिन मति गयी, मति बिना नीति गयी, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गये।

महात्मा ज्योतिबा फुले दलितों का सुधार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दलितों और शूद्र जातियों को संगठित करने का संकल्प लिया। उनमें सबसे पहले ज्ञान की ज्योति को प्रज्जवलित करने का व्रत लिया । एक बार ब्राम्हण मित्र की शादी में अपमानित होने की घटना ने उनके चिंतन और कर्म की ध
ारा को भी मोड़ दिया, इस घटना ने उनके जीवन में क्रांति ला दी। कट्टर मनुवादी दुर्व्यवहार से उनकी आंखें खुल गयी। दलितों में जागृति उनकी शिक्षा और उन्हें संगठित करने की भावना बलवती हो गयी। यही घटना उनके लिए वरदान साबित हुई। वे एक क्रांतिकारी महान् समाज सुधारक बने।

महात्मा ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रणेता थे, उनका मानना था कि दलितों में शिक्षा बहुत ही जरूरी है। इससे उनमें आत्म सम्मान की भावना उत्पन्न होगी। एक नई संगठित शक्ति उभरेगी और दासता से जूझने का सामर्थ्य आयेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले का यही संकल्प एक नये युग का सूत्रपात का आधार बन गया।

विश्व के इतिहास में सन् 1848 का समय

* *विभागाध्यक्ष, (इतिहास विभाग), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा (छ0ग0)*

अपने में एक विशेष महत्व रखता है। इसी वर्ष विश्व भर में धर्म गुरू एवं पाखण्डियों के विरोध में जन आंदोलन छिड़ गया। इंग्लैण्ड में स्त्री स्वतन्त्रता की माँग होने लगी, फ्रांस में मानव अधिकारों के लिए क्रान्ति शुरू हुई और भारत में ज्योतिबा और सावित्री बाई ने शूद्रातिशूद्र एवं स्त्री शिक्षा का आरम्भ करके नये युग की नींव डाली।

अपने मित्र सदाशिव गोविन्दे की अहमद नगर में ईसाई मिशनरी की लड़कियों की पाठशाला देखकर उनके विचारों को दिशा एवं गति मिल गयी। 1 जनवरी 1848 को महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुणे स्थित तात्या भिंडे की हवेली में लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल खोला। उन्होंने कोई किराया नहीं लिया अपितु 100 रूपये चन्दा भी दिया। पहले दिन स्कूल में केवल 6 लड़कियाँ आयी। उन्होंने स्वयं ही अध्यापन का कार्य प्रारम्भ कर दिया। स्कूल खुलते ही कट्टर पंथियों में व्यापक रोष फैल गया। लेकिन ज्योतिबा के दो साथी सदाशिव हाटे और गोविन्दे ने इस विद्यालय के संचालन में मदद की।

महात्मा ज्योतिबा फुले को अब तक विद्यालय के लिए कोई शिक्षिका भी नहीं मिली। फलतः उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को इसके लिए राजी किया। नारी, शुद्रातिशूद्र, अनाथ, विधवा, खेतिहर मजदूर आदि शोषित–पीड़ितों के बारे में फुले दम्पत्ति के मन में समान सहानुभूति थी। सावित्री बाई ने शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा सहते हुए इस कार्य की पूर्ति में जो निष्ठा एवं लगन दिखाई उसके लिए इतिहास में कोई मिसाल नहीं।

महात्मा ज्योतिबा फुले दम्पत्ति को प्रथम स्कूल की सफलता एवं विस्तार से बहुत खुशी मिली, इसीलिए उन्होंने 15 मई 1848 में पुणे की एक दलित बस्ती में, जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ सकते थे, दूसरा स्कूल खोला। अब महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने कार्य में गति मिल गयी। उन्होंने पुणे तथा उसके समीप मार्च 1852 तक अर्थात् लगभग सवा चार वर्ष की अवधि में 18 पाठशालाओं की स्थापना की शुद्रातिशूद्र की शिक्षा का कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, उसके पीछे था, शूद्रों, दलितों एवं शोषितों में समाज परिवर्तन का एक प्रभावी साधन स्त्री शिक्षा।

महात्मा ज्योतिबा फुले के कार्यों का सार्वजनिक अभिनन्दन होने लगा। पूना संस्कृत कॉलेज के मेजर कैंडी उनके कार्यकलापों के बड़े प्रशंसक थे। बार्डे अध्यक्ष सर एरस्किन पैरी, कमिश्नर रीक्स और हैदराबादा कर्नल टायलर महात्मा ज्योतिबा फुले को महिला शिक्षा आन्दोलन, समाज सुधार और जागृति का जनक मानते थे। पूना और बम्बई के धनवान समाज सुधारक भी महात्मा ज्योतिबा फुले की आर्थिक मदद करते थे। कुछ उदार हृदय यूरोपियन भी इस कार्य के लिए धन देते थे।

महात्मा ज्योतिबा फुले के सफल शिक्षा अभियान ने ब्रिटिश सरकार की नीति बदल डाली। अब ध्यान महिला शिक्षा देश और गरीब पिछड़ी स्त्रियों की शिक्षा की ओर भी देगी। शासकों और अंग्रेजों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। ज्योतिबा के सफल पूना प्रयोग ने अंग्रेजों की आँखे खोल दी थी।

सत्यशोधक समाज ही एक ऐसा संगठन था। जिसके संस्थापक निम्न जाति के थे। इसकी स्थापना 23 सितम्बर 1873 को कई प्रतिष्ठित समाज सेवियों की उपस्थिति में पूना में हुई। सत्य शोधक समाज के संस्थापकों में कई सदस्य मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी, ब्राम्हण, मराठा, महार, माग और माली आदि जातियों से संबंध रखते थे। समाज ने स्पष्ट घोषणा कर रखी थी, कि वह जाति–पाति अस्पृश्यता धर्म की संकीर्णता और मनुष्य के हर प्रकार के शोषण के विरूद्ध है। इस पर कट्टपंथी भड़कने लगे कि सत्यशोधक समाज सबको ईसाई बना देगा और बिना संस्कृत भाषा के कोई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती। ज्योतिबा ने बहके हुए लोगों को समझाया कि सभी

धर्म समान है। सबका ईश्वर एक है, वह जाति–पाति नहीं मानता, ईश्वर सब भाषाओं में प्रार्थना सुन सकता है। जाति–पाति, वर्णभेद और ऊँच–नीच की दीवारें सब ब्राम्हणों की देन है, जो उन्होंने अपने लाभ के लिए खड़ी की है। ईश्वर गरीब से गरीब की हर भाषा और बोली समझ लेता है। पुरोहितों रहित, दहेज रहित सीधे–सीधे विवाह से लोगों में एक नई चेतना का उदय हुआ। ज्योतिबा का सत्य शोधक समाज व्यवहारिक धरातल पर कार्य करता था। गरीबों और पद दलितों से सहानुभूति ही नहीं, सच्चा प्रेम करता था। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज आन्दोलन अपने सुधारवादी कार्यक्रमों के कारण पूरे महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हो गया था। यह शूद्र, अतिशूद्र, निम्नवर्ग, किसान, कामगार और दस्तकारों में जागृति की लहर फैलाने वाला क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला जन आन्दोलन बन गया।

सत्य शोधक समाज दलितों पर हो रहे अत्याचारों, दमन शोषण के विरूद्ध तथा समाज के संगठित प्रचार–प्रसार से यह दलित लोगों की आकांक्षा का प्रतीक और जागृति का संदेशवाहक बन गया। प्रारम्भ से ही सत्य शोधक समाज ने जाति एकता पर बल दिया था। यह दलित जातियों में समन्वय स्थापित करने के पक्ष में थे, वे सभी शूद्र और दलितों को एक ही मंच पर लाना चाहते थे।

महात्मा ज्योतिबा फुले ने सामाजिक सुधार में 28 जनवरी 1853 को अपने पड़ोसी उस्मान शेख के यहाँ ''बाल हत्या प्रतिबंधक गृह'' की स्थापना की। जिसमें दो चार साल में सौ से अधिक विधवाओं की प्रसूति हुई। इस गृह की पूरी व्यवस्था और देखभाल सावित्रीबाई करती थी। सावित्रीबाई खुद निःसंतान थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी विधवाओं की कोख से जन्म अनेक बच्चों की माता बनकर उनकी सेवा एवं परवरिश का महान कार्य किया।[1] इतना ही नहीं उन्होंने पुणे के अनाथालय में जन्में एक ब्राम्हण विधवा के बच्चे को गोद लिया, उसे अपना नाम दिया तथा उसका अपने पुत्र के सामान लालन–पालन किया।[2]

1871 में उन्होंने विधवाओं के शिशुओं के लिए पूना में आश्रम स्थापित किये। उन्होंने पर्चे लगवा दिये कि जो विधवायें अपने बच्चों को जन्म देने या शिशु पालन करने की इच्छुक हैं, वह उनके आश्रम में आ सकती है। यह भी एक संयोग की बात है कि अधिकांश ब्राम्हण स्त्रियाँ ही तिरस्कृत की जाती थी । देश में यह अपनी तरह का प्रथम आश्रम था। इस प्रयास ने महिला मुक्ति इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, नये विचारों को जन्म दिया, नयी परम्परायें स्थापित की।

महात्मा फुले का जीवन इस देश की मनुवादी सामाजिक व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष का वह मजबूत कदम था, जिसने कि आगे चलकर एक देशव्यापी आन्दोलन का रूप धारण कर लिया है। वस्तुतः महात्मा ज्योतिबा फुले को अगर भारत में सामाजिक क्रान्ति के पितामाह की संज्ञा दी जाये, तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरू स्वीकार किया।[3]

महात्मा ज्योतिबा फुले अछूतों के मसीहा, स्त्री शिक्षा के कर्णधार, हिन्दू विधवाओं के उद्धारक और ब्राम्हणवाद के कट्टर शत्रु थे। वे एक ऐसे समाज की संरचना के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे, जिसका आधार सामाजिक और न्यायिक समानता हो। उन्होंने शूद्रों के हितों की रक्षा के लिए तथा महिलाों के उद्धार करने के उद्देश्य से एक जबरदस्त आंदोलन प्रारम्भ किया था। महाराष्ट्र के कट्टरपंथी ब्राम्हणों ने महात्मा ज्योतिबा फुले के कार्यों का विरोध किया था, किन्तु वे अपने मार्ग पर अडिग रहे। महात्मा गाँधी ने उन्हें ''वास्तविक महात्मा'' और वीर सावरकर ने उन्हें क्रांतिकारी समाज सुधारक कहा है।[4]

महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने टूटे–बिखरे और दबे हुए समाज को बताया कि ''अमर बेल बिना जड़ के होती है और जिस वृक्ष पर डाल दी जाती

है, उसे खोखला करके सुखा देती है और उसका अस्तित्व हमेशा–हमेशा के लिए मिट जाता है, जबकि स्वयं सदा हरी–भरी रहती है।'' इसीलिए यह समझ लें कि ब्राम्हणवाद हम सभी दलित, पिछड़े और शूद्र समाजिकों के लिए अमर बेल है, अतः हमें इसका मुकाबला करना होगा। इस तरह इक्कीस वर्ष की आयु में ही ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र राज्य के अछूतों को सामाजिक गुलामी से छुटकारा दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने देखा था कि अछूत अपनी इच्छानुसार जीवन नहीं जी सकते, उनका मान–सम्मान मनुस्मृति के काले कानूनों के कारण मिट चुका है। अतः ब्राम्हणवाद की सारी विषमताओं की जड़ है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कर्म के बजाय जन्म पर आधारित कलुषित ब्राम्हणवाद को समूल नष्ट करने का बीड़ा उठाया।[5]

सन् 1855 के प्रारंभ में महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक पर्चा अस्पृश्यांच कैफियत अर्थात् अछूतों की दशा प्रकाशित किया। ज्योतिबा ने स्पष्ट लिखा है कि– ''यदि ब्राम्हण सचमुच देश भक्त होते तो देश के बहुसंख्यक हिन्दू समाज को उन्होंने शूद्र और अति शूद्र न बनाया होता तथा यह भ्रांति और कुत्सित धारणा न फैलाया होता, कि शूद्र के हाथ का स्वच्छ जल भी अपवित्र तथा पशुओं के मूत्र के समान है।'' ज्योतिबा ने शूद्रों को संदेश लिखा है कि ''वे जब तक हमारे देश में ब्रिटिश राज्य है, अपने को शिक्षित एवं सुसंस्कृत बना ले। कहा नहीं जा सकता कि अंग्रेजी शासन कब समाप्त हो जाय। साथ ही उनको चाहिए कि समाजिक समानता, स्वतंत्रता तथा मातृ भावना के लिए खुला संग्राम करने की शक्ति और साहस जुटा लें।''[6]

महात्मा फुले जाति प्रथा और अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। उन्होंने समाज में ब्राम्हण वर्ग के एकाधिकार और विशेषाधिकार का विरोध किया। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि हिन्दी धर्म ग्रंथों में जो ब्राम्हणों की सर्वोच्चता प्रतिपादित की गई है, वह स्वयं ब्राम्हणों की ही चाल है और ऐसा हिन्दी समाज के निम्न वर्ग का शोषण करने के लिए किया गया है। सितम्बर, 1853 ई. में आयोजित महिला शिक्षा समिति की एक बैठक को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि निम्न और अछूत जाति के लोगों की शिक्षा से बढ़कर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। इस बैठक में उनके मित्र सदाशिव गोवाण्डे ने कहा कि हमारे देशवासियों की अज्ञानता ने उन्हें अंधविश्वासों और दासता का जीवन जीने के लिए बाध्य किया है। अज्ञानता समाज की खतरनाक बीमारी है, जिसको दूर करना आवश्यक है।

महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे, जिसमें सभी लोगों को शिक्षा देना चाहते थे, ताकि वे अपने लिए समान अधिकारों की मांग कर सके एवं अपनी दयनीय स्थिति से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर सके। ज्योतिराव ने जाति–पांति का भेदभाव मिटाने, अस्पृश्यता को दूर करने एवं शूद्र वर्ग को शिक्षित करने का अभियान जीवन भर जारी रखा। इस मार्ग में आने वाली बाधाओं का उन्होंने डटकर मुकाबला किया एवं अपने उद्‌देश्य की तरफ बढ़ते रहे उन्हें अपने उद्‌देश्य की पूर्ति में पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई।[7]

सन् 1865 में महात्मा फूले ने ''गुंलाम गीरी'' नामक पुस्तक लिखकर शूद्रों के लिए नवीन इतिहास की रचना की और मनुवादी व्यवस्था को सबक सिखाया। उन्होंने महसूस किया कि राजनैतिक गुलामी से सामाजिक गुलामी अत्यन्त कष्टदायक है। महात्मा फुले ने अपने संघर्ष भरे जीवन में शूद्रों के लिए तालाब, शिक्षा के लिए स्कूल, विधवाओं का पुनर्विवाह, गरीबों के लिए अस्पताल और अन्तर्जातीय विवाह जैसे महान कार्य करते हुए 1890 ई. में मृत्यु को प्राप्त हुए। दलित समाज के लिए किए गए आजीवन संघर्ष के कारण महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण दलित समाज महामानव ज्योतिबा फूले की क्रांति और कर्तव्य का अनुसरण करेगा, ऐसा उम्मीद पर हम कायम रहेंगे।[6]

''यू तो हजारों जनम लेती है जिन्दगी,
जो जिये औरों के लिए, उस जिंदगी को बंदगी।''[9]

I inHk %

1. अम्बेडकर टुडे, हिन्दी मासिक पत्रिका, 2007 ।
2. भीम दिशा, 2005 से उद्धृत ।
3. अम्बेडकर टुडे, हिन्दी मासिक पत्रिका, 2007 ।
4. नागोरी, एस.एल., कांता, आधुनिक भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृष्ठ संख्या 116।
5. बहुजन संगठक, संपादक – कांशीराम, 23 फरवरी, 1998, पृष्ठ संख्या 4 ।
6. हरित, द्रौपदी, हमें जिन पर गर्व है, पृष्ठ संख्या 133 ।
7. नागोरी, एस.एल., कांता, आधुनिक भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृष्ठ संख्या 118।
8. बहुजन संगठक, संपादक – कांशीराम, 23 फरवरी, 1998, पृष्ठ संख्या 7 ।
9. पटेल, बालकराम, पिकअॅप छत्तीसगढ़, 2 दिसम्बर, 2001 ।

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 86-89

छत्तीसगढ़ में सामाजिक एवं राजनैतिक संचेतना का विकास और वामनराव लाखे

* *एवलाल मेश्राम*

छत्तीसगढ़ में सामाजिक संचेतना के विकास की दृष्टि से वामन राव लाखे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सह्रदयता युक्त उनका व्यवहार लोगों को सहज ही प्रभावित करता था। और यही कारण है कि वे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय जननेता और समाज सुधारक माने जाते हैं। निःस्वार्थ जनसेवा उनका लक्ष्य था जनहित में उनका जीवन समर्पित था। वे एक महान विभूति थे। अपने राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक काल से ही लाखे जी राष्ट्रीय जागरण संबंधी समस्त गतिविधियों में गुणग्राही, सेवा भावी, अनुशासित तथा समर्पित भाव से संलग्न रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न अवसरों पर उनका यह प्रयास रहा कि राजनीतिक गतिविधियों में अधिक से अधिक स्त्रियों को सम्मिलित किया जाय।

वामनराव लाखे रायपुर जिला में सहकारिता के जनक थे सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपका जन्म 17 सितम्बर 1872 को रायपुर में हुआ। बलीराम गोविन्दराव लाखे इनके पिता थे, जिनका समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था।

निःस्वार्थ जन–सेवकों तथा देशभक्तों का जब नाम लिखा जाता है तब पं. वामन बलीराम लाखे को भुलाया नहीं जा सकता। उनके नाम का उल्लेख हमें सप्रे जी की जीवनी में मिलता है। लाखे जी सप्रेजी के सहपाठी ही नहीं सहचिंतक और सार्वजनिक जीवन में प्रमुख सहयोगी भी थे ।[1]

पं. राम राव चिंचोलकर तथा माधवराव सप्रे द्वारा सन् 1900 ई. से सम्पादित हिन्दी मासिक पत्रिका ''छत्तीसगढ़ मित्र'' के प्रकाशक एवं स्वामी वामन बलीराम लाखे जी थे।[2] पत्रिका के खर्च का भार उन्हीं पर था। इस पत्रिका में जो आर्थिक क्षति हुई उनकी पूर्ति भी लाखे जी को ही करनी पड़ी। लाखे जी मराठी भाषी थे, किन्तु हिन्दी भाषा की पत्रिका के प्रकाशन के लिए उन्होंने जो कार्य किए निःसंदेह सराहनीय है।[3] छत्तीसगढ़ के अरण्यांचल में बौद्धिक जागृति का सूत्रपात पं. माधवराव सप्रे ने पं. लाखे जी के सहयोग से ''छत्तीसगढ. मित्र'' मासिक पत्रिका के माध्यम से किया था। यद्यपि यह पत्रिका लगभग तीन वर्ष निकली पर इससे एक राजनीतिक चेतना भी इस अंचल में विकसित हुई।

सन् 1904 में कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर वकालत प्रारम्भ की । वे रायपुर नगर पालिका के सदस्य बूढ़ापारा वार्ड से थे। दो बार नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे।[4] पहली बार दिनाँक 1/4/1922 से 31/3/1925 तक[5] और दूसरी बार दिनाँक 19/9/1931 से 1/7/1934 तक[6] जिला सत्र

* *इतिहास अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर (छ.ग.)*

न्यायालय रायपुर में सन् 1919, 1933, 1942 में रायपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे।[7] कांग्रेस के नरम और गरम दलों में फूट का बीजारोपण 1907 में हुए सेन्ट्रल प्रोविन्सेस एवं बरार प्रोविन्शयल एसोसिएशन के तृतीय सम्मेलन के अवसर पर हो चुकी था जिसके परिणाम स्वरूप 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों को कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी।[8]

पं. रविशंकर शुक्ल, पं. वामनराव लाखे, माधव राव सप्रे जी तिलक जी के गरम दल के समर्थक थे। 1915 में नरम दल एवं गरम दलों के एकत्रीकरण में बालकृष्ण मुंजे एवं दादा साहब खापर्डे ने विशेष प्रयास किए।[9]

छत्तीसगढ़ के तत्कालीन समाज में ग्रामीण समाज की दयनीय स्थिति के प्रति वामनराव जी लाखे चिंतित थे, उन्होंने समाज सेवा का संकल्प लिया था। रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश की। समाज में एक गोत्र के लोगों की संख्या की बहुलता के कारण शादी ब्याह में प्रायः अड़चन हुआ करती थी इस अड़चन को दूर करने के लिए उन्होंने सगोत्र विवाह करने का मार्ग प्रशस्त किया। अपने चतुर्थ पुत्र चि. नारायण वामन लाखे का विवाह दिनाँक 5/12/1941 को हुआ।[10] यह सगोत्र विवाह था। उन्होंने सामाजिक सेवा का कार्य जहाँ एक ओर कोसमंदी, पलारी, सराईपाली, बसना जैसे आदिवासी अंचल में किया वहाँ दूसरी ओर रायपुर नगर भी अछूता न रहा। ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश को समान्वित कर उन्होंने समय के साथ सामाजिक परिवर्तन की चेष्टा की।

ukjh tkxj.k d: i:.krk okeu jko yk[k th

लाखे जी का स्पष्ट मत था कि स्त्रियों को केवल परिवारों से बंधे न रहकर राजनीतिक, सार्वजनिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्वःस्फूर्त रूप से दायित्व वहन करने हेतु आगे आना चाहिए। अपने राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक काल से ही लाखे जी राष्ट्रीय जागरण संबंधी समस्त गतिविधियों में गुणग्राही, सेवा भावी, अनुशासित तथा समर्पित भाव से संलग्न रहे। स्वातंत्रता आंदोलन में विभिन्न अवसरों पर उनका यह प्रयास रहा कि राजनीतिक गतिविधियों में अधिक से अधिक स्त्रियों को सम्मिलित किया जाय। इसे वे नारियों में जागरण लाने तथा समाज में प्रचलित विभिन्न बुराइयों को दूर करने का प्रभावकारी माध्यम मानते थे। भारतीय समाज में स्त्रियों के संबंध में प्रचलित हीन भावनाओं के वे कट्टर विरोधी थे। बाल–विवाह को वे नारियों की दुरावस्था का एक प्रमुख कारण मानते थे। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों के वे सक्त विरोधी थे।

परिवार एवं समाज में स्त्रियों को समानता का अधिकार प्रदान किये जाने के वे पक्षधर थे। वे चाहते थे कि हर योग्य स्त्री पारिवारिक दायित्वों से समय निकालकर राष्ट्रीय तथा समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रमों में सहयोग दें। असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत लाखे जी की धर्मपत्नी श्रीमती जानकी बाई लाखे अन्य महिलाओं श्रीमती शुक्ल (पं. रविशंकर शुक्ल की धर्मपत्नी) डॉ. राधबाई आदि के साथ अग्रणी रही।

वनिता मंडलों, विधवा आश्रमों, आदि नारी कल्याण संबंधी अनेक संस्थाओं के साथ शुक्ल जी एवं लाखे जी का संबंध रहा है तथा इनको सफल बनाने की दिशा में वे बराबर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहयोग देते रहे। समाज में व्याप्त निर्धानता को दूर करने हेतु उन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अथक प्रयास किया। स्त्री शिक्षा के लिए उनके प्रयासों द्वारा रायपुर में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जानकी देवी के नाम पर जानकी देवी महिला पाठशाला स्थापित हुई।[11]

"kgj dh lkekftd lLFkvk l lEc)rk

आनंद समाज, बाल समाज, विधवा आश्रम, महाराष्ट्र मंडल इत्यादि संस्थाओं से लाखे जी सम्बद्ध रहे हैं। स्व. लाखे जी का जीवन सार्वजनिक था

और रायपुर की प्रायः प्रत्येक सार्वजनिक संस्था के वे अध्यक्ष या मंत्री रह चुके हैं।[12] जहाँ देखों तहाँ लाखे जी ही कार्यरत दिखाई देते थे। उन्होंने इतना सब करते हुए बहुत की सादा जीवन व्यतीत किया है। वे समय का सदुपयोग करते थे और प्रत्येक बात को गम्भीरता से करने में गौरव मानते थे। सहयोग और प्रेम के वे प्रतीक थे।[13]

yk[kS th ,oa xzkeh.k lekt %

लाखे जी सद्‌गुणों की जीवित मूर्ति थे। विशेषकर दीन दुखियों की सेवा करना उनका जीवनवृत्त था। गरीब किसान देश की मुख्य रीढ़ है उन्हें जब तक सबल नहीं बनावेंगे तब तक देश शक्तिशाली नहीं होगा। ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। उनका यह भी विश्वास था कि इस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए''सहकारिता'' सबसे उत्तम मार्ग है।[14]

यदि कहा जाय कि श्री लाखे सहकारिता के सिद्धांतों की सजीव प्रतिमा थे तो यह कहना अनुपयुक्त न होगा। उन्होंने अपनी जीवन सहकारिता द्वारा जन सेवा को अर्पण कर दिया था।[15]

लगातार पड़ रहे दुकाल ने जहाँ एक ओर किसानों की कमर तोड़ रखी थी वहाँ दूसरी ओर सूदखोर, महाजन, जमाखोर व्यापारी भी उसे अधमरा कर रहे थे उनके स्थिति ''दुबर के लिए दो आषाढ़'' जैसे हो गई थी नव युवक वामनराव लाखे का ध्यान इस ओर गया। वे किसानों की सेवा सहायता करने का कोई मार्ग भी ढूंढने लगे।

सन् 1913 में लाखे जी ने अपना कार्य क्षेत्र सहकारी आंदोलन को बनाया। अपने जीवन के अंत तक वे निंरतर सहकारिता–आंदोलन के द्वारा ही इस क्षेत्र के दुःखी शोषित ग्रामीण कृषकों की सेवा और सहायता करते रहे।[16]

रायपुर जिले के किसानों की रचनात्मक सेवा के इस पुजारी ने प्रयत्न और कठिनाईयों का सामना कर सन् 1945 में अपनी वृद्धवस्था में बलौदाबाजार में एक विशाल ''किसान राइस मिल'' भी स्थापित किया जिसके जन्म और संस्थापन का इतिहास उपदेश प्रद ही नहीं स्वस्फूर्ति दायक भी है ।[17]

किसानों की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु वे सदैव सजग रहते। धमतरी के कंडेल नहर सत्याग्रह में पं. सुन्दरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्त नत्थू जी जगताप आदि नेताओं के साथ पं. वामनराव लाखे जी का सहयोग भी अविस्मरणीय रहेगा। इन्हीं नेताओं के सद्प्रयासों से इस अंचल में गाँधी जी का आगमन हुआ था। गाँधी जी के आने के पूर्व ही अंग्रेज सरकार अपने निर्णय को वापस ले चुकी थी। यह जन–चेतना की जीत थी।

सन् 1939 में लाखे साहब ने सहकारी दुग्धालय की स्थापना की। इस संस्था के साथ एक पशुपालन संघ का निर्माण सरोरा (तिल्दा के समीप) ग्राम में हुआ।[18] छत्तीसगढ़ में सामाजिक संचेतना के विकास की दृष्टि से वामन राव लाखे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दुर्ग में उनके मित्र घनश्याम सिंह गुप्त आर्य समाज के माध्यम से समाज सुधार कार्य में संलग्न थे। वेशभूषा में सादगी के प्रतिमूर्ति थें वे खादी की मोटी धोती एवं कुरता पहिनते थे। टोपी भी लगाते थे, हाथ में छड़ी रखते थे। सह्रदयतायुक्त उनका व्यवहार लोगों को सहज ही प्रभावित करता था। और यही कारण है कि वे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय जननेता और समाज सुधारक माने जाते हैं। निःस्वार्थ जनसेवा उनका लक्ष्य था जनहित में उनका जीवन समर्पित था। वे एक महान विभूति थे ।[19]

I inHk %

1. ठाकुर हरि – छत्तीसगढ़ के रत्न भाग–1, पृ. 33.
2. छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका–1900, अंक–1.
3. ठाकुर हरि – छत्तीसगढ़ के रत्न भाग–1, पृ. 34.
4. शर्मा कमला कांत – छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का परिचय भाग–1, पृ.कृ 45.
5. लोकल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नं. 327 एफ दिनाँक 1/5/1922.
6. लोकल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नं. 5217–1976 एम–8, दिनाँक 11/9/1931.
7. परिशिष्ट में पृष्ठ क्रंमाक 196 से 204 तक.
8. ए. एम. एंड. जी. जैदी– द एन साइक्लोपीडिया आफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस खंड–6, पृ. 62.
9. बाल शास्त्री हरदास – धर्मवीर डॉ. वा. शि. मुंजे यॉंचे चरित्र – भाग–1, पृ.138, सन् 1972.
10. निमंत्रण पत्रिका – मंगल विवाह, रायपुर दिनाँक 28/11/1941.
11. श्रीवास्तव, बाबू मावली प्रसाद – स्व. लाखे जी – नवज्योति पृ. 18.
12. श्री लक्ष्मी नारायण दास – अभिभाषण लाखे स्मारक समिति में दिनाँक 20/1/51(नव ज्योति पृ. 2)
13. पूर्वोक्त.
14. विसेन उदयसिंह – गर्वनर मध्यप्रदेश तथा बरार सहकारी फेडरेशन लि. बिलासपुर – लाखे जी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि (नव–ज्योति)
15. सेठ, के. बी. एल. – संदेश दिनाँक 25/12/1950. (नव ज्योति)
16. ठाकुर हरि – छत्तीसगढ़ के रत्न भाग–1, पृ. 34.
17. श्रीवास्त, मावली प्रसाद – स्व. लाखे जी, नव ज्योति, पृ. 19.
18. विश्वास नरेन्द्र नाथ – रायपुर सहकारी दुग्धालय नव ज्योति पृ. 73.

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 90-93

19. डॉ. सुनीत मिश्र – साक्षात्कार, दिनाँक 03/06/1999.

✤

छत्तीसगढ़ में कृषि का विकास : एक ऐतिहासिक अध्ययन

** कु. शिखा सिंह*

कृषि मानव जगत की बड़ी पुरानी परम्परा है, इसकी प्राचीनता उतनी है, जितनी मानव सभ्यता। प्राचीनकाल से ही कृषि आय का प्रमुख स्रोत रहा है। मानव जीवन का विकास कृषि पर आधारित रहा है। प्राचीन काल के राजा से आधुनिक काल के ब्रिटिश गवर्नर ने भी उन्हीं क्षेत्र को सर्वप्रथम अपने अधीन किया जो कृषि की दृष्टि से उन्नत थी। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है। प्राचीनकाल से ही यहाँ के लोगों के आर्थिक आजीविका का साधन कृषि रहा है। अंचल में क्रियाशील जनसंख्या के 85% लोगों की आजीविका कृषि से ही चलती है। छत्तीसगढ़ के लगभग 88.37ः क्षेत्रों में खाद्यानों का उत्पादन होता है, जिनमें चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, दालें, ज्वार, बाजरा, कोदो आदि है। छत्तीसगढ़ के किसान भाई जहां पहले अपने खेत से अपना पेट भी मुश्किल से भर पाते थे। वहां आज वे दूसरों को अपनी पैदावार बेच लाभ कमा रहे हैं और गरीबी के दलदल से निकलकर खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं।

कृषि की अवधारणा या संकल्पना की व्याख्या बड़ी कठिन है, क्योंकि यह एक अत्यन्त व्यापक शब्द है ''ऐगर'' (Ager) शब्द का अर्थ खेत या मिट्‌टी है और ''कल्चर'' (Culture) शब्द का अर्थ देख–रेख से है, परन्तु कृषि में केवल इतनी ही बाते सम्मिलित नहीं है। इसके अंतर्गत खेत की जुताई और फसल की बुआई के अतिरिक्त फलोत्पादन वृक्षारोपण आदि भी सम्मिलित है। भोजन की प्राप्ति इसका प्रमुख ध्येय है। इसके साथ ही साथ कच्चे माल का उत्पादन करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है।

जिम्मरमैन के अनुसार ''कृषि के अंतर्गत वे उत्पादक प्रयास सम्मिलित हैं, जो भूमि पर बसा हुआ मानव प्रयोग करता है और पौधों एवं पशु जीवन की प्राकृतिक जननिक या विकास की प्रणाली को इस सीमा तक प्रोत्साहित एवं संशोधित करता है। जिससे मानव के लिए वांछित या आवश्यक वनस्पति एवं पशु उत्पादन प्रदान करती है।''[1]

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है। प्राचीनकाल से ही यहाँ के लोगों के आर्थिक आजीविका का साधन कृषि रहा है। अंचल में क्रियाशील जनसंख्या के 85% लोगों की आजीविका कृषि से ही चलती है। छत्तीसगढ़ के लगभग 88,37% क्षेत्रों में खाद्यानों का उत्पादन होता है, जिनमें चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, दालें, ज्वार, बाजरा, कोदो आदि है।[2]

राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 77% से अधिक भाग में चावल की कृषि की जाती है। चावल

** शोध छात्रा, इतिहास अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर (छ.ग.)*

के विपुल उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ को ''धान का कटोरा'' कहा जाता है।[3]

छत्तीसगढ के लगभग 75% कृषक अशिक्षित है तथा वे पारंपरिक ढंग से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि में यंत्रीकरण, उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई, आदि सुविधाओं के उपयोग हेतु किए गए प्रयासों से खाद्यान उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई सरकार द्वारा उचित व्यय द्वारा बेकार भूमि को सुधारकर कृषि योग्य बनाया गया तथा कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ भी किया गया।[4]

वर्ष 1980 से 1984 के बीच आदिवासी कृषकों का ''विभागीय कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई कुओं के निर्माण डीजल/विद्युत पम्प आदि के लिए 720 लाख रूप्ये की धनराशि उपलब्ध कराई गई।''[5]

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। छत्तीसगढ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि या कृषि आधारित उद्योग–धंधों पर आश्रित है। यहाँ कृषि योग्य सकल कृषि क्षेत्र 55.23 लाख हेक्टेयर है। जिसमें 17.46 लाख सीमांत 7.16 लाख लघु 7.93 लाख मध्य एवं दीर्घ है। इस प्रकार कुल 32.55 लाख कृषक परिवार कृषि कार्य में संलग्न है।[6]

वर्ष	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	बोया या क्षेत्रफल	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	सकल बोया गया क्षेत्रफल
2000–01	13787	4763	564	5327
2001–02	13736	4800	796	5595
2002–03	13780	4754	692	5446
2003–04	13790	4779	928	5707
2004–05	13790	4770	946	5716
2005–06	13789.80	4763	981	5745
2006–07	13789.80	4722	1009	5732
2007–08	137898.00	4727	1020	5748
2008–09	13789.80	4710	973	5683
2009–10	-	-	-	-

स्रोत : छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप 2005 और 2009, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ में 2000–01 से 2008–09 तक में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2001–02 का क्षेत्रफल 4800 हजार हेक्टेयर है, जबकि सबसे कम बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2006–07 में 4722 हजार हेक्टेयर है। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक वर्ष 2007–08 में 1020 हजार हेक्टेयर है, जबकि सबसे कम वर्ष 2000–01 में 564 हजार हेक्टेयर हे। वर्ष 2002–03 से 2007–08 में लगातार वृद्धि हुई है। सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2007–08 में 5748 हजार हेक्टेयर है जबकि सबसे कम वर्ष 2000–01 में 5327 हजार हेक्टेयर है।[7]

NRrhlx< esa Qly dk mRiknu esa lokZf/kd mRiknu /kku dk gS o"kZ 2000&01 ls 2009&10 ds vkadMksa dk ,d fo'ys"k.k

वर्ष 2007–08 में धान का सर्वाधिक उत्पादन 5635 हजार मीट्रिक टन था, जबकि सबसे कम उत्पादन वर्ष 2000–01 में 2369 हजार मीट्रिक टन था। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2009–10 में 232 हजार मीट्रिक टन है। जबकि सबसे कम उत्पादन वर्ष 2000–01 में 74 हजार मीट्रिक टन है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2001–02 में 9 हजार मीट्रिक टन तथा सबसे कम उत्पादन वर्ष 2009–10 में 4 हजार मीट्रिक टन है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2009–10 में 246 हजार मीट्रिक टन तथा सबसे कम उत्पादन वर्ष 2001–02 में 70 हजार मीट्रिक टन है। कोदो कुटकी का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2001–02 में 54 हजार मीट्रिक टन तथा सबसे कम उत्पादन वर्ष 2009–10 में 20.6 हजार मीट्रिक टन है।

दाल में सर्वाधिक उत्पादन चना का होता है वर्ष 2009–10 में चना का सर्वाधिक उत्पादन 331 हजार मीट्रिक टन तथा सबसे कम उत्पादन वर्ष 2000–01 में 72 हजार मीट्रिक टन है। तुअर का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2003–04 में 32 हजार मीट्रिक टन तथा सबसे कम उत्पादन 2001–02 में 20 हजार

मीट्रिक टन है। मूंग मोठ का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2009–10 में 18 हजार मीट्रिक टन तथा लगभग वर्ष में मूंग मोठ का उत्पादन 4 हजार मीट्रिक टन है। उड़द का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2009–10 में 77 हजार मीट्रिक टन तथा सबसे कम उत्पादन वर्ष 2002–03 में 29 हजार मीट्रिक टन है। कुल्थी का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2009–10 में 26 हजार मीट्रिक टन तथा सबसे कम उत्पादन वर्ष 2002–03 में 14 हजार मीट्रिक टन है।

प्रमुख फसलों का उत्पादन हजार मिट्रिक टन में											
फसल	वर्ष										दशकीय वृद्धि
	2001–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	
धान	2369	5074	2635	5568	4587	5287	5442	5635	4707	5265	
गेहूँ	74	103	99	109	85	85	94	104	97	232	
ज्वार	7	9	6	8	5	5	5	7	6	4	
मक्का	126	70	123	135	140	109	123	157	139	246	
कोदो कुटकी	32	54	29	51	39	29	30	39	25	20	
चना	72	125	113	197	120	172	193	212	190	331	
तुअर	21	20	24	32	27	22	23	26	29	–	
मूंग गोठ	4	4	4	5	4	4	4	4	4	18	
उदड़	34	36	29	35	33	34	35	35	32	77	
कुल्थी	19	21	14	18	16	18	17	17	16	26	
गन्ना	9	9	10	13	16	19	20	27	22	40	
मटर	3	4	4	6	5	6	6	6	6	23	
शकरकंद	17	14	15	15	15	15	16	16	14	–	
आलू	66	64	61	49	60	49	45	49	48	–	
प्याज	27	34	35	33	27	25	23	21	22	–	
मिर्च	1	4	6	4	4	2	2	4	3	–	
अदरक	2	2	1	1	1	2	2	2	2	–	
लहसून	2	2	2	3	2	3	3	3	2	–	
मूंगफल्ली	32	42	38	36	34	36	38	40	38	–	

गन्ना नकद फसल है इसका सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2009–10 में 40 हजार मीट्रिक टन तथा सर्वाधिक कम उत्पादन 2000–01 तथा 2001–02 में 9 हजार मीट्रिक टन है। मटर का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2009–10 में 23 हजार मीट्रिक टन तथा सबसे कम उत्पादन वर्ष 2000–01 में 3 हजार मीट्रिक टन है। शकरकंद का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2000–01 में 17 हजार मीट्रिक टन तथा वर्ष 2001–02 एवं वर्ष 2008–09 में सबसे कम उत्पादन 14 हजार मीट्रिक टन है।

छत्तीसगढ़ वर्ष 2009–10 में फसलों को 6183.74 हजार हेक्टेयर में गया, जिसमें उत्पादन क्रमशः धान 5265.48, गेहूँ, 232.34, ज्वार 3.98, मक्का 246, कोदो–कुटकी 20.66, चना 331.40, मटर 22.87, अरहर 85.17, मूंग 18.13, उड़द 77.42, कुल्थी 26.37, तिवड़ा 211.72, मसूर 9.61, गन्ना 40.94, मूंगफली 84.46, तिल/रामतिल 40.12, सोयाबीन 148.17, सूर्यमुखी 9.44, अलसी 33.01 कुसुम 1.78, राई–सरसों

84.00 हजार मीट्रिक टन हुआ।[8]

कृषि उत्पादन की सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित होने के पश्चात् वर्ष 2001–02 में 70 मंडियाँ एवं 98 उपमंडियाँ कार्यरत थी। वर्तमान में कृषि उपज के विपणन की और अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से 03 कृषि उपजमंडियों और 13 उपमंडियों की स्थपना की गई है। इस प्रकार वर्ष 2009–10 में छत्तीसगढ़ में कुल 73 मुख्य मंडियां एवं 111 उपमंडियां कार्यरत है। मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।[9]

छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई से संबंधित अनेक योजनायें चलाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नदीघाटी/बाढ़ उन्नमुख योजना, लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना, लघु सिंचाई योजना प्रमुख हैं।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल धान है यहाँ धान की लगभग 20000 से अधिक किस्में पायी जाती है। जिसमें स्वर्णा, महामाया, आई.आर. 36, आई. आर. 64, बम्लेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, क्रांति, अन्नदा, सफरी, इंदिरा 9, आर 1102 है। दुबराज, विष्णुभोग, बादशाह भोग, जवाफूल आदि छत्तीसगढ़ की चांवल की विख्यात एवं परंपरागत किस्में हैं। राज्य भारत सरकार की सहायता से धान उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेष खाद्यान्न उत्पादन के तहत आई.सी.डी.पी. चांवल योजना विकास चलाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के किसान अपने बड़े–बूढ़ों से खेती की बातें सीखकर सदियों से खेती करते आए है, परंतु पुरानी खेती आज के युग में बहुत बदल गई है और नित नई खोंजे होने लगी है। बीजों की नई किस्में निकल आई, जिनकी पैदावार पुरानी बीजों की तुलना में कई गुनी अधिक होती है। हजारों लाखों हेक्टेयर बेकार पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाया गया है। सिंचाई के लिए नए–नए साधन पैदा किए गए हे। नहरों और नलकुपों का जाल सा बिछ गया है। बैलों की जगह ट्रैक्टर लेते जा रहे हैं। उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं के निज नए कारखाने खुल रहे हैं और बिजली भी गांव–गांव तक पहुंच गई है। इधर लागत के आधार पर पैदावार की कीमत तय होने से हमारे किसान भाईयों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने लगा है। हमारे देश में किसान भाई जहां पहले अपने खेत से अपना पेट भी मुश्किल से भर पाते थे। वहां आज वे दूसरों को अपनी पैदावार बेच लाभ कमा रहे हैं और गरीबी के दलदल से निकलकर खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं।

lanHkZ %

1. हारून, मोहम्मद, आर्थिक भूगोल, अंजनी कुमार मिश्र मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी, पृ. सं. 168।
2. जिला जनसंपर्क कार्यालय, रायपुर म.प्र. ''छत्तीसगढ़ राज्य एक झलक'' अक्टूबर 2000, पु. सं. 3 ।
3. छत्तीसगढ़ किसान आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन दिनांक 14 मार्च 2001।
4. छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल 1974, पृ. सं. 20।
5. मध्यप्रदेश आदिवासी शासकीय योजनाएं, 1984–85, पृ. सं. 05 आदिम जाति कल्याण संचालनालय म.प्र., भोपाल।
6. छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2009–2010।
7. छत्तीसगढ़ की सांख्यिकी संक्षेप 2005 और 2009, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़।
8. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप 2005 और 2009 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़।
9. छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2009–2010।

Mind & Society, *ISSN 2277-6907*
Vol .2, No. I, Jan-Mar. 2013 page 48-53

बैगा जनजाति विकास की शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन

(पूर्वी मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में)

** खड़क सिंह चौहान*
** प्रिया धीमन*

बैगा जनजाति समाज विकास की मुख्यधारा में विशेष रूप से पिछड़ा रहा है। समाज के मुख्यधारा में इनको लाना विशेष चुनौती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इनकी सामाजिक , आर्थिक दशा सुधारने के लिये काफी प्रयास किया गया है। अनेकों नीतियॉ बनाई गई हैं फिर भी यह देखा जा रहा है, कि इनके विकास की चुनौती बरकरार है। बैगा जनजाति प्रारंभ से ही दूरस्थ स्थानों पर निवास करते है। परिणामस्वरूप आदिवासियों पर शहरी सभ्यता एवं विकास का बहुत कम प्रभाव पड़ा हैं। इसी कारण ये सदैव ही प्रगति के नवीन साधनो के अभावो से ग्रस्त रहे है। बैगा जनजाति शब्द अपने आप में असीम, अनुपम और अद्‌भूत इतिहास संजोए हुए है। इसका उच्चारण करते ही पुरातन संस्कृति सम्पन्न जन समूह की एक झलक सामने आ जाती है। बैगा आदिवासी सस्कृती समग्र भारतीय सस्कृति कि अनमोल धरोहर है। को केन्द्र एवं राज्य सरकार के विकास कार्यक्रम के कियान्वयनकर्त्ता न मानकर स्थानीय स्व शासन की संस्थाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। योजना के कियान्वयन के साथ साथ उसका मूल्यांकन, कार्य की गुणवत्ता तथा पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जनजातियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाना अति आवश्यक नहीं। बालाघाट के विकास में बाधक तत्व नक्सलवाद को समाप्त कर देना चाहिए। सामाजिक विकास के लिए अन्य समुदाय के विकसित लोगों से सम्पर्क एवं मेल जोल आवश्यक है। बालाघाट क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण रोजगार प्राथमिक आवश्यकताओं के अवसर प्रदान करने उनके दृश्टिकोण को व्यापक बनाया जा सकता है।सामाजिक विकास एवं राजनैतिक चेतना हेतु युवाओं में नेतृत्व विकसित करना अतिआवश्यक है। जिससे सभी क्षेत्रों में उनका सर्वागीण विकास होगा। इसके लिए समाजको संगठित एवं सुदृढ़ करना जरूरी है। यह जन जागृति पैदाकर किया जा सकता है। बैगा जनजातियों के विकास के लिए अतिआवश्यक है कि उनकी प्रत्येक समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में आंका जाये और स्थानीय परिस्थितयों को ध्यान में रखकर ही नीतियों को बनाया जाए। क्योंकि बैगा जनजातीयों की कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती है।

** पीएचडी शोधार्थी (समाजशास्त्र), डॉ.बाबासाहेब अम्बेडकर, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान्, डॉ,अम्बेडकर नगर, महू (म0प्र0)*
*** एम.फिल. शोधार्थी,, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान् डॉ अम्बेडकर नगर, महू (म0प्र0)*

जनजाति समाज विकास की मुख्यधारा में विशेष रूप से पिछड़ा रहा है। समाज की मुख्यधारा में इनको लाना विशेष चुनौती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इनकी सामाजिक , आर्थिक दशा सुधारने के लिये काफी प्रयास किया गया है। अनेकों नीतियॉ बनाई गई हैं फिर भी यह देखा जा रहा है, कि इनके विकास की चुनौती बरकरार है। बैगा जनजाति भारत के मूल निवासी हैं। यह जाति प्रारंभ से ही दूरस्थ स्थानो पर निवास करते है। परिणाम स्वरूप आदिवासियों पर शहरी सभ्यता एवं विकास का बहुत कम प्रभाव पड़ा हैं। इसी कारण ये सदैव ही प्रगति के नवीन साधनो के अभावो से ग्रस्त रहे है। जनजाति शब्द अपने आप में असीम, अनुपम और अद्भूत इतिहास संजोए हुए है। इसका उच्चारण करते ही पुरातन संस्कृति सम्पन्न जन समूह की एक झलक सामने आ जाती है। आदिवासी सस्कृती समग्र भारतीय सस्कृति कि अनमोल धरोहर है। प्रस्तुत शोधपत्र में बैगा जनजाति के विकास शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन नीतियों पर प्रकाश डाला गया है।'' बैगा'' जनजाति मध्यप्रदेश राज्य के जनजातिय बहुल ' बालाघाट ' जिले में निवास करती है। जिले के कुल 10 विकास खंड में से 3 विकास खंडों में इनकी कुल जनसंख्या जनसंख्या 2001 की जनगणाना के अनुसार 337182 है। मानव सभ्यता विकास के विकास क्रम में ये पिछड़ी अवस्था में हैं। जिले के सुदूर क्षेत्रों, वनों में इनका निवास हैं। ये कई गोत्र एवं उप गोत्रों में है। इनके घर प्रायः मिट्टी के बने होते हैं। इनके प्रमुख आर्थिक स्रोत कृषि, वनोपज संग्रह, मजदूरी इत्यादि है। इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लियें बैगा जनजाति अभिकरण का गठन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों पर सर्वाधिक ध्यान एवं गम्भीर चिंतन की आवश्यकता है। इन विशेष पिछड़ी जनजातियों में बैगा जनजाति का महत्वपूर्ण स्थान है।

बैगा जनजाति को अत्यन्त पिछड़े स्तर पर रहते हुए शेडयुल्ड एरिया एण्ड 'शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन' ने 1960–61 में मध्यप्रदेश की छटवी विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अनुसूचित किया है। विशेष पिछड़ी जनजाति के मान्यता निम्न तथ्यों को ध्यान में रखकर दी गयी। शिक्षा का अति निम्नस्तर, करीब –करीब स्थिर जनसंख्या, वन संसाधनों पर निर्भरता, विशेष स्वास्थ्य समस्याओं से समानता, अस्तित्व के संकटपूर्ण स्तर पर जीवित, तुलनात्मक रूप से दुर्गम क्षेत्रो में निवास (तिवारी, शिवकुमार 2000)[1]

मध्य प्रदेश मैं देश की सर्वाधिक जनजातियां एवं सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.3 प्रतिशत भाग जनजातीय जनसंख्या का है।

मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में गोंड,भील, कोल, कोरबा, सहरिया, बैगा, भारियां, कमार, कोरकू एवं प्रधान आदि है। बैगा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है यह मध्यप्रदेश के डिंडोरी, मंडला एवं बालाघाट जिलो में निवास करती है। बालाघाट जिले की बैहर तहसील मैं बैगा जनजाति की प्रमुख बसाहट है। बैहर तहसील 22.19^0 से 21.24^0 अक्षांश एवं 79.39^0 से 81.39^0 देशान्तर पर स्थित है। बालाघाट जिले का एक तिहाई भाग मैदान एवं दो तिहाई भाग पहाड़ों से घिरा हुआ है। जिले का कुल वन क्षेत्रफल 829 हेक्टेयर है। इसकी जनसंख्या 2001 की जनगणाना के अनुसार 337182 है जिसमे से 181101 जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है बालाघाट जिले की अधिकांश बैगा आदिवासी जनसंख्या इसी क्षेत्र मैं निवास करती है।

बैहर तहसील के अंतर्गत बालाघाट जिले

के तीन आदिवासी विकासखंड बैहर, बिरसा एवं परसबाडा शामिल हैं। संपूर्ण बैहर तहसील क्षेत्र भारत शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गाया है। बैहर कि बैगा जनजाति को भारत शासन द्वारा विशेष पिछ्डी जनजाति घोषित की गई है एवं इसके विकास के लिए बैहर मैं बैगा विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। बैहर का संपूर्ण क्षेत्र वनों से ढका हुआ पहाड़ी–पठारी भाग है । दक्षिण बैहर का अधि ाकांश भाग जहॉ बैगा जनजाति की 50 प्रतिशत जनसंख्या का एकत्रिकरण है वही भाग नक्सली गतिविधि ायों का केन्द्र बना हुआ है। (जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2009)[2]

अध्ययन क्षेत्रः– प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिले की बैहर तहसील है ।

mnns'; %&

1. बैगा जनजाति के वर्तमान सामाजिक जीवन पर शासकीय योजना के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. बैगा विकास अभिकरण के कार्यक्रमों में बैगा जनजाति की जनभागीदारी का अध्ययन करना।

'kks/k fof/k%& शोध संरचना–प्रस्तुत शोध हेतु अन्वेषणात्मक शोध प्रचना के अंतर्गत अध्ययन किया गया।

v/;;u dk lexz & बालाघाट जिले की बैहर तहसील के समस्त बैगा जनजाति परिवार ।

v/;;u dh bdkbZ & बैगा जनजाति परिवार।

fun'kZu fof/k & बालाघाट जिले की बैहर तहसील के जनजातीय बहुल तीन विकासखण्ड क्रमशः बैहर, परसवाडा और बिरसा का उद्देश्य पूर्ण निदर्शन द्वारा चयन किया गया है।

परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बैगा विकास अभिकरण बैहर बालाघाट म.प्र.।

बैगा कृषकों हेतु वर्मी कम्पोस्ट खाद/बायोगैस टेंक एग्रीकल्चर किट, उन्नत नस्ल के कृषि बीज, खाद तथा कीटनाशक दवाओं एवं कृषि यंत्र प्रदाय। हार्स पॉवर के डीजल पंप एवं सहायक सामग्री का प्रदाय अथवा बैल जोडी एवं कृषि यंत्र प्रदाय। सामाजिक उद्यानिकी/वानिकी अंतर्गत बाडी/नर्सरी प्रशिक्षण कार्यक्रम। मस्यबीज, जाल एवं नाव का प्रदाय तथा अन्य मस्य विकास कार्यक्रम। पशु संवर्धन गो–सेवक प्रशिक्षण शिविर आयोजन एवं मंडिकल किट का प्रदाय। लघु वनोपज/कृषि उपज संग्रहण एवं प्रशिक्षण तथा साईकिल का प्रदाय। मधुमक्खी पालन के शहद संग्रहण प्रशिक्षण एवं आवश्यक सामग्रियों का प्रदाय।(रस्सी/सफाई/घास/छिंद झाडू/गुलदस्ते) व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ।वाटर हार्वेस्टिंग टेंक निर्माण कार्य सामूदायिक कूप निर्माण कार्य । मैसमेंट/उद्यमी विकास संस्थान के माध्यम से सुरक्षा गार्ड ड्राइवर । महिला हस्तकला (सिलाई–कढाई एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण) कार्यक्रम) ।बैगा महिला को सिलाई मशीन का प्रदाय एवं महिला हस्तकला व सिलाई कढाई प्रशिक्षण । चयनित क्लस्टर ग्रामों में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन एवं औषधियों का प्रदाय बैगा/छात्र/छात्राओं हेतु व्यक्तित्व विकास शिविर एवं क्रीडा प्रशिक्षण का आयोजन/आश्रम शालाओं में लोग संस्कृति कार्यक्रम। (प्रगतिः2009)[3]

'kklu dh dY;k.kdkjh ;kstuk %& केन्द्र क्षेत्र योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के परिवारों हेतु संचनालय विशेष पिछड़ी जनजाति समूह म.प्र . भोपाल से स्वीकृत नीचे लिखि योजनाओ ंसे लाभांवित किया जाना जनश्री बीमा योजना। शिक्षा। स्वास्थ्य। कृषि कार्यक्रम। आवास योजना। पेय जल योजना। आजीविका। योजनाओं का शोध एवं मूल्यांकन। जनश्री बीमा योजना वर्ष 2007–08 से

प्रारंभ किये गये कंजरवेशन कम डेव्लपमेंट प्लान (संरक्षण सह विकास योजना) में प्रारंभ की गई योजनाएं :—स्थानीय बोली में पढ़ाने हेतु एक अतिरिक्त संविदा शिक्षक वर्ग—3 2. अतिरिक्त आंगनबाड़ी शिक्षिका / नर्सरी शिक्षिका (पी.टी.जी.)। विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में संचालित छात्रावासों में। शक्तिमान योजना। विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना।स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु मोबाइल वेन। कृषि विकास कार्यक्रम विद्युतीकरण आदिवासी उपयोजना क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत शासन द्वारा पंपों के उर्जीकरण, मजरे / टोलों एवं एकल बत्ती कनेक्शन हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। (प्रशासकीय प्रतिवेदन, 2009)*4*

cSxk tutkfr dk vkfFkZd ,oa lkekftd thou ij izHkko %&

जनजाति क्षेत्र में बैगा जनजाति अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास का विस्तृत अवलोकन करें तो कुछ आधारभूत तत्व स्पष्ट हो में सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार हुआ। बैगा क्षेत्र में शिक्षा के विकास की गति अत्यन्त धीमी रही है। वस्तुतः इस मामले में यहाँ के बैगा जनजातिय क्षेत्र देश में सबसे अधिक पिछड़े हुए है। बैगा समाज पर विकास का प्रभाव नितान्त भिन्न रहा है।ये समाज एक साथ आर्थिक विकास की अनेक स्थितियों में जीवन—यापन कर रहे है, कहीं तो हमें कृषि—पूर्व अर्थव्यवस्था जैसी की तैसी मिलेगी, मानों कही कुछ बदला ही नही जंगल काटा, जलाया, जो उपज हो गई उसी में संतोष ! पर दूसरी ओर उनमें से कुछ अत्याधुनिक आर्थिक व्यवस्था में पहुँच गए है और अपने विकास में निर्णायक भूमिका अदा कर रहे है।

बैगा जनजाति क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया बैगा जनजाति समाज को एक ओर छोड़ती हुई अग्रसर हो रही है। वह उसकी नयी चुनौतियों से असंबद्ध है। बैगा जनजाति इस तीव्र परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि नयी व्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक शिक्षा से भी वे अभी तक वंचित रहे है। नई आर्थिक संभावनाएँ एक के बाद एक बड़ी तेजी से सामने आ रही है। इनके कारण उच्च कौशलयुक्त और नयी व्यवस्था से सुपरिचित बाहरी लोग आकर्षित हो रहे है। बैगा जनजाति क्षेत्रों की विशेषता है, उनका अलगाव, उनकी आर्थिक गतिविधियों की धीमा स्पन्दन और एक स्वयंपूर्ण सामाजिक संरचना। उनके अलगाव के लिए वहां की कठिन भौगोलिक स्थिति ही जिम्मेदार है।

बैगा जनजाति अर्थव्यवस्था वनों की और उसके दोहन की रीति—नीति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जनजाति समाज की बदलती हुए सामाजिक, आर्थिक संरचना में गतिशील अन्तर्निहित प्रक्रियाओं और वन व्यवस्था के लिए उनके निहितार्थो के स्पष्ट विश्लेषण की आवश्यकता है। इससे वनों और जनजातीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एवं स्वयं के विकास हेतु कार्यनीति के निर्धारण में सहायता मिल सकती है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बैगा जनजाति तथा वन संरचना का दूसरा पहलू भी उल्लेखनीय है। वन्य क्षेत्रों में आबादी विरल है। वहां बैगा जनजाति समाज निवास करती है, जो अर्थव्यवस्था के विकास क्रम में अन्य लोगों की तुलना में बहुत पीछे है। इसलिए समृद्ध प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी ये क्षेत्र अपेक्षाकृत कम विकसित है। बैगा जनजाति जनजातीयां अब भी अपने भोजन के लिए अनेकों वस्तुएं वनों से प्राप्त करती है। इनमें कुछ को बाजार में बेचकर आवश्यकता की अन्य वस्तुएं तेल, नमक, गुड़, कपड़ा, आदि खरीदते

\` में महुआ, चिरौंजी, लाख, तेंदूपत्ता, आंवला, शहद, गोंद मुख्य है। इनमें से अधिकांश का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। अतः बैगा जनजाति इनके संग्रह में भी मजदूर की भूमिका निभाता है। इन लघु उपजों के अलावा साल के बीज, हर्रा बहेरा, विविध प्रकार की पत्तियों, घास आदि भी इनके द्वारा वनों से प्राप्त किये जाते है।

fu"d"kZ % &

विकास कायों के लिए प्रतिवर्ष भिन्न–भिन्न योजनाओं के माध्यम से योजनाएँ हैं लेकिन विडम्बना है या दुर्भाग्य कि इसके बाद भी बैगा समाज के लोगों के लिए विकास स्वपन की तरह है।जो शासन की ओर से प्रदान की जाने वाली सभी योजनाओं से वंचित है स्थिति इतनी दयनीय है कि शासन की एजेन्सी इनके क्षेत्र में नहीं आती है जिसके कारण इन लोगों को शासन की ओर से प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती इन सीमित आवश्यकताओं के लिए मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर होते सिमटते हुए वनों और उन पर निरंतर बढ़ते प्रतिबंधों एवं दबावों के कारण जनजातिय लोग कृषि और पशुपालन की ओर भी मुड़ने लगे हैं।

l|>ko%

(1) सामाजिक–सांस्कृतिक परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाये। जनजातियॉं अपनी परंपरागत मूल्यों के प्रति संवेदनशील रहती है। कोई भी विकास योजनाऍं यदि इसके विपरित होती है, तो वे उसके प्रति उदासीन हो जाती है।

(2) क्षेत्र विशेष की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाये। एक ही प्रकार की विकास नितियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन सार्वभौमिक रूप से नही किया जा सकता हैं। किसी भी निम्न नीतियों के निर्माण के पूर्व समाज वैज्ञानिक तथा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की टीम द्वारा सर्वेक्षण कराया जाये तथा प्रतिवर्ष इसकी समीक्षा कराई जाये।

(3) शिक्षा के समुचित विकास हेतु कम से कम प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम इनकी मातृभाषा में अनिवार्यता कराई जाये।जनजातिय क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु वित्तीय सहायता सीधे इनके पंचायतो को भेजा जाना चाहिये। प्रत्येक क्षेत्र में सूचना पद्धतियों के माध्यम से उस क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा प्रदर्शित किया जाये।

(4) जनजातिय क्षेत्रों में स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हैं। अतः आधुनिक शिक्षा के साथ–साथ इनके परंपरागत चिकित्सा को भी समुचित बढ़ावा दिया जाये।

(5) स्वरोजगार बढ़ाने हेतु स्थानिय कुटीर उद्योग, आचार, पापड़, सेप, सांस, बॉस टोकनियॉं, कलाकृतियों मृदृमान्ड कला को प्रोत्साहित कर इनके विकल्प की व्यवस्था की जाये।

(6) किसी भी निम्न नीतियों के निर्माण के पूर्व समाज वैज्ञानिक तथा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की टीम द्वारा सर्वेक्षण कराया जाये तथा प्रतिवर्ष इसकी समीक्षा कराई जाये।

lanHkZ %

1. तिवारी, शिवकुमार (2000), ''म.प्र. की जनजातियां'' म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल ।
2. जिला सांख्यिकी पुस्तिका वर्ष 2009, कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी जिला बालाघाट ।
3. प्रगति : (2009) बैगा विकास अभिकरण परियोजना बैहर ।
4. प्रशासकीय प्रतिवेदन 2009 सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बालाघाट ।
5. नीतिमार्ग : दिसम्बर 2010 भोपाल ।
6. प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2009–2010 मध्यप्रदेश शासन ।